महानगर नई दिल्ली गुरुवार 29 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

उड़ी के गुरेज में पाकिस्तान के दो कमांडो मार गिराए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

उड़ी के गुरेज सेक्टर में बुधवार को आतंकियों को साथ लेकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी सेना के दो कमांडो को भारतीय सैनिकों ने ढेर कर दिया। घुसपैठ कराने की कोशिश में पाकिस्तान ने संघर्षविराम का उल्लंघन किया।

भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के दो अन्य कमांडो घायल हुए हैं। मंगलवार को एसएसजी के तीन कमांडो ढेर किए गए थे। एक सप्ताह में पाकिस्तान के 10 कमांडो मारे गए हैं। दरअसल, सैन्य खुफिया इकाई ने सूचना जुटाई है कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के नजदीक अपनी स्पेशल फोर्सेज के 100 से ज्यादा कमांडो तैनात किए हुए हैं। पाकिस्तान इन कमांडो का इस्तेमाल बॉर्डर एक्शन टीम और कमांडो दस्ते की मदद के लिए कर रहा है। ये लोग आतंकियों के साथ घुसपैठ की फिराक में हैं।

घुसपैठ कराने के इरादे से संघर्षविराम उल्लंघन, एक सप्ताह में ढेर किए गए 10 पाकिस्तानी कमांडो

नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों के साथ जुटे पाकिस्तानी एसएसजी के सौ कमांडो

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर : अनुच्छेद 370 हटाने के आदेश को दी गई चुनौती

सुप्रीम कोर्ट का पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगा समीक्षा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में बदलाव करने का केंद्र का निर्णय बुधवार को न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया जो इन पर अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने इस मुद्दे को लेकर दायर याचिकाओं पर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किए। पीठ ने इन याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर केंद्र से जवाब मांगा है।

याचिकाओं में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने संबंधी कानून और राष्ट्रपति के आदेश 'गैरकानूनी और जम्मू कश्मीर की जनता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला है। पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सालिसीटर जनरल तुषार मेहता की बाकी पेज 8 पर

संविधान पीठ इन मुद्दों से संबंधित 11 याचिकाओं पर अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में सुनवाई करेगा।

राज्य में देंगे 50 हजार नौकरियां : मलिक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

कहा, दो-तीन दिनों में केंद्र करेगा बड़े एलान

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार को एलान किया कि अगले दो से तीन महीने में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 50,000 सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की जाएगी।

उन्होंने कहा कि एक- दो दिनों में कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार कई बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें राजनीतिक नौसिखुआ बताया। मलिक ने कहा कि अनुच्छेद 370 पर फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हित और बेहतरी के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, 'आने वाले दो-तीन महीनों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 50,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जल्द ही पदों और आवेदन तिथि, प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।'

उन्होंने कहा कि सूबे के सात लाख सेब उत्पादकों की समस्याओं से हम वाकिफ हैं। गवर्नर मलिक ने कहा, '50 डिग्री कॉलेज और खोले जाएंगे। लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज बनाए जाएंगे। पांच नए मेडिकल कॉलेज बनने हैं। हर जिले में एक आइटीआइ होगी। प्रधानमंत्री ने हर बाकी पेज 8 पर

मंत्री समूह का गठन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विकास, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को देखने के लिए बुधवार को एक मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आएगा। गृह बाकी पेज 8 पर

जम्मू-कश्मीर पर भीतर

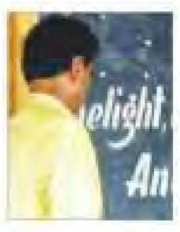

घाटी में हाई स्कूल खुले
कश्मीर घाटी के उन क्षेत्रों में बुधवार को हाई स्कूल खोल दिए गए जहां पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है। पेज 5 पर

येचुरी को इजाजत
कोर्ट ने कहा, किसी भी नागरिक को किसी भी हिस्से में जाने का हक पेज-8 पर

फैसल ने प्रति मांगी
केंद्र को दो सितंबर तक का समय दिया, तीन सितंबर को होगी सुनवाई। पेज -2 पर

कश्मीर में मीडिया पर प्रतिबंध : केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदी सहित कई कठोर प्रतिबंधों को हटाने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किए। साथ ही, उनसे एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। दरअसल इन प्रतिबंधों से मीडिया का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के फैसले बाकी पेज 8 पर

कराची के ऊपर तीन विमानन मार्ग बंद किए पाकिस्तान ने

इस्लामाबाद, 28 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान ने कराची विमानन क्षेत्र के तीन मार्गों को 28 अगस्त से 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया है। नागर विमानन प्राधिकरण ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि वह भारतीय उड़ानों के लिए देश के विमानन क्षेत्र के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है।

इस पाबंदी से कराची के ऊपर तीन मार्गों का इस्तेमाल कर रही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ेगा। पायलटों को कराची को पार करने के लिए वैकल्पिक बाकी पेज 8 पर

शाह ने कहा, पुलिस मामलों में दोषसिद्धि की दर 'बहुत ही दयनीय'

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि देश में आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि दर 'बहुत ही दयनीय' है। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी तकनीकों जैसे संदिग्ध को थर्ड डिग्री देने और फोन टैपिंग से अपराधों पर नकेल या अपराधियों को दोषी साबित कराने में वांछित नतीजे नहीं मिलेंगे।

शाह ने यहां पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के 49वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पुलिस संगठनों के आला अधिकारियों से यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपराधियों के गुनाह को साबित करने के लिए जांचकर्ताओं के लिए फोरेंसिक सबूतों बाकी पेज 8 पर

राहुल के बयान को आधार बना संरा पहुंचा पाक

भाजपा हुई हमलावर, माफी की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कश्मीर पर दिए एक बयान को आधार बनाकर पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र पहुंचने के बाद भाजपा ने विपक्षी दल के नेता पर हमला बोला है। विवाद बढ़ते देख राहुल गांधी ने बुधवार को दूसरा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने दो-टूक कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और वहां पाक ही हिंसा भड़का रहा है।

कांग्रेस नेताओं द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावडेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर तीखा हमला किया और कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने अपनी हरकतों से देश को शर्मसार किया है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के बारे में टिप्पणियां कीं, वे निंदनीय हैं।

जावडेकर ने कहा कि राजनीतिक मतभेद रहे हैं लेकिन ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा या बोला जिसका पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया हो। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक व्यवहार पिछले 70 वर्षों में नहीं देखा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को सबूत बनाते हुए पाकिस्तान को यूएन में याचिका लगाने का मौका मिला। यह दिवालियापन तो है ही साथ ही कांग्रेस की वोटबैंक की राजनीति भी है। देशभर के बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का यू-टर्न, कहा : जम्मू-कश्मीर हमारा आंतरिक मामला

कोयला खनन में 100 फीसद एफडीआइ को केंद्र सरकार की मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

केंद्र सरकार ने बुधवार को कोयला खनन उत्खनन कारोबार व अनुबंध पर विनिर्माण कार्य में विदेशी कंपनियों को 100 फीसद पूंजी निवेश (एफडीआइ) की मंजूरी दी है। एकल ब्रांड खुदरा कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के नियमों में ढील दी गई है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,000 करोड़ की लागत से अगले तीन साल में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई है। साथ ही, गन्ना किसानों को निर्यात छूट देने का ऐलान किया गया। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कोयला खनन और संबद्ध ढांचागत सुविधा में स्वतः मार्ग से 100 फीसद एफडीआइ की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनुबंध विनिर्माण में स्वतः मार्ग से 100 फीसद एफडीआइ की अनुमति दी गई है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया में 26 फीसद एफडीआइ की मंजूरी दी गई है।

एकल खुदरा ब्रांड में एफडीआइ के बारे में मंत्रिमंडल ने घरेलू बाजार से 30 फीसद खरीद की अनिवार्यता से जुड़े नियम की परिभाषा का दायरा बढ़ाया है। साथ ही विदेशी कंपनियों के लिए एकल खुदरा ब्रांड को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने से पहले देश में खुदरा दुकान स्थापित करने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक, मंत्रिमंडल की बैठक में 24,000 करोड़ रुपए के खर्च से 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को मंजूरी दी गई। इससे छात्रों के लिए 15,700 नई मेडिकल सीटें सृजित होंगी। जिन क्षेत्रों व जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले पांच साल में मेडिकल पीजी और एमबीबीएस बाकी पेज 8 पर

24,000 करोड़ की लागत से तीन साल में खोले जाएंगे 75 नए मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक

100 फीसद एफडीआइ अनुबंध आधारित विनिर्माण क्षेत्र में, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार

मोदी की रूस यात्रा में अहम रक्षा और परमाणु समझौते की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार से छह सितंबर तक रूस के शहर व्लादिवोस्तोक की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शिखर वार्ता करेंगे। भारत और रूस के बीच कई अहम रक्षा व परमाणु करार पर दस्तखत किए जाएंगे। उनकी इस यात्रा को लेकर रूस के भारत स्थित राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से दोनों देशों के पहले से प्रगाढ़ संबंधों में एक 'नए अध्याय' की शुरुआत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद बाकी पेज 8 पर

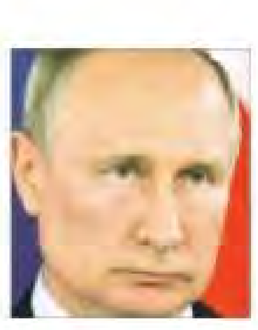

व्लादिमीर पुतिन

नरेंद्र मोदी

उत्तर प्रदेश के डीजीपी को महिला आयोग का नोटिस

भाषा/जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली/देहरादून, 28 अगस्त।

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ 'यौन शोषण' का आरोप लगाने वाली छात्रा के लापता होने के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया और विस्तृत रिपोर्ट तलब की।

दूसरी ओर आरोपों से घिरे चिन्मयानंद सरस्वती हरिद्वार में अपने आश्रम में है। वे इस बारे में मीडिया से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आयोग ने बाकी पेज 8 पर

चिन्मयानंद के खिलाफ यौन शोषण का मामला। **महिला आयोग** ने कहा : मामले की जल्द जांच हो, लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

दरअसल

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश | **शिकायत** | कांग्रेस विधायक ब्राक्टा ने उठाया था विधानसभा में यह मुद्दा

निजी क्लीनिक ने महिला को बताया एचआइवी पॉजिटिव, सदमे से मौत

शिमला, 28 अगस्त (जनसत्ता)।

राजधानी शिमला के दुर्गम क्षेत्र की 22 वर्षीय एक महिला को निजी क्लीनिक के 'एचआइवी पॉजिटिव' बताए जाने के बाद कोमा में चले जाने और फिर गहरे सदमे से मौत हो गई। अब हिमाचल प्रदेश की जय राम सरकार ने इस मामले में गहन जांच की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि निदेशक-स्वास्थ्य मामले की जांच कर 15 रोज में सरकार को संबंधित रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, रोहड़ू से ही कांग्रेस विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने बुधवार यहां प्रदेश विधानसभा में यह मामला 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर' के तहत उठाया।

कांग्रेस विधायक ने कहा कि 22 वर्षीय महिला जब बीमार हुई तो इसे रोहड़ू अस्पताल में परिजनों ने भर्ती कराया। लेकिन वहां कोई स्त्रीरोग विशेषज्ञ नहीं थी तो उसके परिजन उसे एक क्लीनिक में ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसकी जांच-पड़ताल के लिए कुछ टेस्ट कराए और फिर इन जांच-पड़तालों की रिपोर्ट तैयार कर उन्हें थमा दी। लेकिन क्लीनिक के डॉक्टरों ने रिपोर्ट में दर्ज ब्योरे के बारे में महिला के परिजनों को कुछ भी नहीं बताया। इसी निजी क्लीनिक की ओर से उन्हें यह कहकर कि महिला एनीमिया से ग्रस्त है यानी उसमें खून की कमी है, इसलिए उसे राजधानी शिमला के सरकारी कमला नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया। ब्राक्टा ने सदन को बताया कि पीड़ित महिला के परिजन उसे लेकर कमला नेहरू अस्पताल पहुंचे जहां महिला का ऑपरेशन सफल रहा। जब महिला के पति ने वहां सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों से संपर्क किया तो उन्होंने उनकी पत्नी के कुछ और टेस्ट कराने की सलाह दी। इस पर पति ने कहा कि वह तो टेस्ट करवा चुके हैं।

पति ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को निजी क्लीनिक की वह रिपोर्ट दिखाई तो पता चला कि इसमें तो उनकी पत्नी को 'एचआइवी पॉजिटिव' बताया गया है।

जब यह जानकारी महिला को मिली तो उसे गहरा मानसिक एवं भावनात्मक आघात लगा और वह कोमा में चली गई। इसके बाद महिला को वहां से शिमला के ही इंदिरा गांधी मेडिकल अस्पताल (आईजीएमसी) में दाखिल करा दिया गया जहां मंगलवार को उसने कोमा में ही दम तोड़ दिया। हालांकि, सरकारी अस्पताल में पीड़ित महिला के जो टेस्ट कराए गए, उसमें एचआइवी पॉजिटिव होने की बात नहीं थी।

ब्राक्टा ने मांग की कि मामले की गहन जांच होनी चाहिए और महिला के परिजनों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। साथ ही रोहड़ू अस्पताल में महिला डॉक्टर की तैनाती का भी बंदोबस्त होना चाहिए।

सदन में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इसे एक बेहद चिंताजनक मसला करार दिया। उनके संज्ञान में अब यह मामला आ गया है तो पहले वे पूरे मामले की रिपोर्ट लेना चाहते हैं, उसके बाद ही अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी और महिला के परिवार वालों को मुआवजा भी दिलाया जाएगा।

ब्राक्टा ने मांग की कि मामले की गहन जांच होनी चाहिए और महिला के परिजनों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। साथ ही रोहड़ू अस्पताल में महिला डॉक्टर की तैनाती का भी बंदोबस्त होना चाहिए।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Priyal Jain D/o Amit Kumar Jain R/o P-51 Gali No.3, Shankar Nagar Ext. Delhi-110051, inform that name of my father,my mother has-been wrongly written as Amit Jain,Sapna Jain in my Educational Documents & other Documents. The actual name of my father,my mother are Amit Kumar Jain, Sapna Rani Jain respectively which may be amended accordingly 0040509789-4

It is for general information that I, Saroj Devi W/O Jitendra Ram, residing at Barakala, Bara, Imamganj, Gaya, Bihar-824206, informs that my name has been wrongly written as Suman Devi in my son's get 13 in Class 9th School records. The correct name of mine is Saroj Devi which may be amended accordingly. 0040509732-1

It is for general information that I, Amit Kumar Jain S/o Adish Kumar Jain R/o P-51 Gali No.3, Shankar Nagar Ext. Delhi-110051, inform that name of my mine,my wife hasbeen wrongly written as Amit Jain,Sapna Jain in my minor son Bhavya Jain(17-Years) Educational Documents & other Documents.The actual name of my mine, my wife are Amit Kumar Jain,Sapna Rani Jain respectively which may be amended accordingly 0040509789-3

It is for general information that I RADHA V. W/O SURESH C., residing at F-20/72,Sector-15, Rohini, Delhi-110089, informs that name of mine has been wrongly written as RADHA SURESH in my minor son ARJUN SURESH aged 14 years in his School Record. The actual name of mine is RADHA V., which may be amended accordingly. 0040509593-1

It is for general information that I Jitendra Ram S/O Mohan Ram, residing at Barakala, Baara Bara, Imamganj, Gaya, Bihar – 824206, informs that my name has been wrongly written as Jeetu Singh inmy son's aged 13 in class 9th school records. The correct name of mine is Jitendra Ram which may be amended accordingly. 0040509736-1

I,Sudhanshu Jaipuria S/o Abhay Jaipuria R/o W-97, GreaterKailash-II N.D-110048, have Changed my minor daughter name from Anahira Jaipuria to Mehak Jaipuriaa for all purposes 0040509740-1

I,Shailendra Pratap,S/o-Hari Prasad Singh,R/o-B-169(New No-692),Block-B,New Ashok Nagar,Delhi-110096,have changed my name from Shailendra Pratap Singh to Shailendra Pratap for all purposes. 0040509805-10

I,Rekha Seth,W/o-Vipin Seth,R/o-706,Savera Apartment,Sector-13,Rohini,Delhi-110085,have changed the name of my minor son Devansh seth aged 15 years and he shall hear-after be known as Dev Prakash Seth. 0040509805-9

I,Ketan Chaudhary S/o Shri Krishna Chaudhary R/o-794,Indira Nagar,Unnao East,Uttar Pradesh-209801,have changed my name to Aviraj Chaudhary for all future purposes. 0040509805-14

I,15705825N NK Prince S S/o Soosairaj, R/o 66/W2, T.Sindalachery Thevaram (VIA) Teh-Uthamapalayam, Dist-Theni, Tamil Nadu-625530. Have changed my minor son's name from Rakshith Lijo to P.Rakshith Lijo for all future purposes. 0040509734-1

I, Vishal Kaushik S/o Vijay R/o-14/114, Near Gurudwara, Geeta Colony, Delhi have changed my name to Veshaal Koushik. 0040509793-1

I, Tanvi Singhal W/o Vinay Goyal R/o 139 Tarun Enclave Pitampura Delhi-110034 changed my name to Tanvi Goyal. 0040509826-5

I, Vinod Kumar Binny S/o Mr.Rampal Singh R/o-1-D Vidhata Apartment, Vasundhara Enclave Delhi-110096,have changed my minor daughter's name from Sanjeevani Dedha to Sanjeevani for all future purposes. 0040509789-2

I, Vimal Seth S/o Prem Chand R/o-3096, Mohalla-Dassan, Charkhey-Walan, Delhi-110006., inform that Vimal Kumar and Vimal Seth both are same and one person and in future I will be known as Vimal Seth. 0040509777-8

I Khalid Minhaj Siddiqui S/O Minhajuddin, H.No-86, Thompson Road Near Minto Bridge N.Delhi-110002 Have Changed My Name To Khalid Minhaj. 0040509818-7

I Jugesh S/o Late Sh.Karan Singh R/o D-30, Gali No.2, Mangal Bazar Road, Swami Shardhanand Colony, Libas Pur, Delhi-110042 have changed my name to Yogesh for all purposes. 0040509729-1

व्यक्तिगत

I, Teena Mehra W/o Parvesh Kumar R/o B4/38A, Keshav Puram Delhi-35 have changed my name to Teena Rani. 0040509805-2

I, Tanvi Goyal W/o Vinay Goyal R/O-139 Tarun-Enclave Pitampura Delhi-110034, changed my minor daughter's name Anviksha Singhal to Anviksha Goyal. 0040509826-4

I, Sunita Singh W/o-Deepak Choudhary R/o:WZ-1605/1, Nangal Raya, New Delhi-46.Have Changed My Minor Daughter's Name from Arzoo Choudhary to Ayesha Choudhary.,for all Purposes 0040509777-9

I, Sunil Singh S/o Sh. Kishun Singh R/o RZD-24, Blk-B, Mahavir Vihar, Puranvas Colony, Palam Village, South West Delhi-110045 have changed my name to Arun Dev Singh for all future purposes. 0040509726-1

I, Sunil Kumar Awana S/o Deshraj R/o H.NO-606, Near Shiv Mandir Village-Atta, Sector-27 Noida Gautam bud-dha Nagar, UP-201301 Have change my Name Sunil Awana for all future purpose. 0040509752-1

I, Sunil Chawla S/o Ram Kishan Chawla R/o-B-272, Gali-No.3, Majlis-Park, Azadpur Delhi-110033 have changed my name from Sunil Kumar to Sunil Chawla for all purposes. 0040509793-7

I, Sumarjeet Kaur, D/o Partap Singh, W/o Raghbir Singh R/o H.No.75, Mata-Wali Gali, Sukhrali, Gurugram(Haryana-122001, have changed my name to Samarjeet. 0040509777-10

I, Shri Krishan S/o Late Sh.Shambhu Dayal Gupta R/o-88 Mreera-Enclave DDA-Colony Chaukhandi N.Delhi-110018, changed my name to Shri Krishan Gupta. 0040509826-2

I, Shikha Garg S/o Hans Raj Garg R/o.-209/20,Onkar Nagar-B,Trinagar, Delhi-110035 have changed my name from Shikha Garg to Shikha for all future purposes. 0040509805-5

I, Shanaz W/O Naseer R/O 18/18/15, Anar Kothi, Near-Bilal Masjid, Malka Ganj, Delhi-110007. Changed My Name To Shahnaj. 0040509803-6

I, Shabuddin S/o Salimuddin R/O-V-250, Gali No.18, Vijay Park, Maujpur, Delhi-110053, have changed my name to Shabuddin Khan. 0040509818-2

I, Seema W/o Sher Singh R/o-Flat No102 Plot-No82, Sukhiram Park, Kiran-Garden, Uttam Nagar ND-59,have Changed my name to Seema Rani after marriage for all future purposes. 0040509728-1

I, Seema Rani W/O Girish Negi R/O-Ward No-6, Durga-Colony, Near Power-House, Samalkha, Panipat, Haryana-132101. Changed My Name To Seema Negi 0040509803-7

I, Seema R/o H.No.137, Mohammadpur-Village, New Delhi-110066, have changed my minor daughter's name from Kirti Rana to Kirti permanently 0040509826-1

I, Satish Thakur S/O Devendra Thakur R/O-L-18/48, Saurabh Vihar Jaitpur Badarpur New Delhi-110044 Changed My Name To Satish Kumar Permanently. 0040509826-6

I, Parvesh Mehra S/o Tirath Ram R/o B4/38A, Keshav Puram Delhi-35,have changed my name to Parvesh Kumar. 0040509805-1

I, Samim Malik S/o Sh. Shahabuddin Malik R/o H.No. E-14/C-91, New Seelampur, Delhi-110053, have changed my name from Samim Malik to Shamim Malik for all purpose in future. 0040509761-1

I, Sambhu Parsad S/o Tara Dutt R/o-B-79, 3rd-Floor, B-Block, INA-Colony, Laxmi-Bai-Nagar, New Delhi-110023, have changed my name to Sambhu Prasad. 0040509818-4

I, Renu Chaudhary, w/o Somveer Singh Dala, R/o H.No. A3-403, Tulip Orange, Sector 70, Gurugram, Haryana, have changed my minor daughter's name from Laksha to Laksha Dala for all purposes. 0040509858-1

I, Raju Choudhary S/o Santram Choudhary R/o-9/5221Old-Seelampur Gandhi Nagar, Delhi-110031, have changed my minor daughter name from Anjlina to Anjliina Choudhary for all future purpose 0040509740-3

I, Raju Choudhary S/o Santram Choudhary R/o-9/5221, Old-Seelampur Gandhi Nagar, Delhi-110031, have Changed my name from Raju to Raju Choudhary for all future purpose 0040509740-2

I, Sudesh Kumar S/o Sh. Jagarnath Prasad R/o B-333, Gali No.7, Inder Enclave, Phase-I, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086 inform that my father's name has been wrongly written as Jagnath Ram in my Passport No (K-3334262) instead of Jagarnath Prasad. 0040509482-8

I, VIMAL KUMAR GROVER, Son of Sh. Kishan Chand Grover, Resident of H.No. 23, Pocket 4A, Sector 23, Rohini, New Delhi 110085, have changed my name to VIMAL KUMAR GROVER and I shall hereafter be known as VIMMAL GROVERR New name. 0040509810-1

I, Rajender Kumar Chauhan S/o Tulsi Ram Chauhan R/o-C-213 Gali No.8 Majlis-Park Aadarsh-Nagar Delhi-110033, changed my name to Rajender Chauhan. 0040509826-3

I, Puneet Miglani S/o Atam Prakash Miglani R/o 13/5, Indira Vikas Colony, Delhi-110009, have changed my name from Puneet to Puneet Miglani for all future purposes. 0040509801-1

I, Priyanka D/o Balwant Singh Gusain R/o-Plot No.527, Flat No.301, Sector-01, Vasundhra, Ghaziabad. have changed my name to Priyanka Gusain. 0040509793-3

I, Praveen Kumar Goel S/O Ram Niwas Goel R/O-58, Rameshwar-Nagar, Model Town-III, Delhi-110009.Have Changed My Minor Child Name From Vertika To Vertika Goel. 0040509777-7

I, Praveen Goel S/O Ram Niwas Goel R/O-58, Rameshwar Nagar, Model-Town-III, Delhi-110009. Have Changed My Name To Praveen Kumar Goel. 0040509777-6

I, Piyush S/O Ram Niwas Arichwal R/O.Flat No-104, Shivalik-Apartment, Sector-10-A, Gurgaon, Haryana- Have Changed My Minor Son Name From Paarth To Paarth Arichwal 0040509777-5

I, Pavneesh Singh S/o Jasvinder Bir Singh R/o J-157, Rajouri Garden,New Delhi-27, Have Changed My Name to Pavneesh Shahpuri 0040509803-3

I, Nikhil Kumar S/o Satish Kumar R/o-BA,61-B,Janakpuri,B-1, West Delhi-110058,Have Changed my name to Nikhil Soni for all Future purposes. 0040509805-4

I, Nidhi Chaudhary D/o Udai Singh R/o:Village-Chittora, Post-Muradnagar, District-Ghaziabad, Uttar Pradesh-201206, Have Changed My Name from Nidhi to Nidhi Chaudhary, for all Purposes 0040509793-9

I, Naresh Lata Chawla D/o Shri T. C. Popli and W/o Mr. Baldev Raj Chawla, aged 74 R/o 11A/9, Old Rajinder Nagar, New Delhi – 110 060 do hereby solemnly affirm that I have changed my name to Neeru Chawla for all purposes. 0040509782-1

I, NAFIS UL REHMAN S/o Abdul Rehman R/o H. No.174, Phase-2, Shahzada Bagh, Inderlok, Delhi-110035 have changed my name to NAFEES UR REHMAN for all purposes 0040509774-1

I, Manaswi N S/O Nandevar Prasad Singh R/O Flat No-10, Hanuman Appartment, Saidul Azaib Delhi 110030.Changed My Name To Manasvi Singh. 0040509793-4

I, Roop Chand, S/O Juglal Singh, A-37, Gali No.14, Sanjaynagar, Adarshnagar Delhi-33., Have Changed My Name To Roop Singh, Permanently. 0040509777-4

I, Krishna Nandan Prasad Roy/Krishna Nandan Prasad S/o Late Shri Hans Lal Roy, R/o Flat No.-1004 Tower-T1, Gulmohar Garden, Raj Nagar Extension, Ghaziabad-201003, UP. Have inform that both the name are one and the same person for all purposes. 0040509746-1

I, Krishan Singh R/O H.No. 84, D-Block, Gali No.4, Gopal Nagar, South West Delhi-110043, have changed my name to Krishan Singh Yadav. 0070672036-1

I, Jyoti Thakur W/O Satish Kumar. R/O-L-18/48, Saurabh Vihar Jaitpur Badarpur New Delhi-110044 Changed My Name To Jyoti Devi Permanently. 0040509826-7

I, Jaswanti Sejwal, D/o Jeet Singh Sejwal, W/o Shailesh Singh, R/o 357, Post-Office se Palam-Vihar Road, Bijwasan, South-West Delhi-110061, have changed my name to Jaswanti Phogat. 0040509793-2

I, Jagjit Singh Lamba S/o Pritpal Singh Lamba, H.No.25, Site-2, Janta-Flats, Vikaspuri, Delhi-110018, have changed my name to Jagjeet Singh. 0040509818-6

I, Israrul Haque S/o Mohammad Amanullah R/o R-257, FF, Lane No.3, Jogabai Extension, Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my name from Mohammad Israrul Haque to Israrul Haque for all purposes 0040509733-1

I, Himanshu Sejawal S/O Om Prakash Sejwal R/O 43, Adhchini-Village, Delhi-110017, Changed My Name To Himanshu Sejwal. 0040509803-8

I, Himanshu Saremalji Shah S/o, Saremalji Shah R/o D-57, Third-Floor, Saraswati-Garden, N.Delhi-110015. that my minor son's name has been wrongly-written as Parv Himanshu Shah in his school records but his actual name is Parv Shah aged-13-Years. 0040509826-9

I, A. Rishabh Karthik, S/o Anandaraj Ponnusamy (whose earlier name was P. Anandaraj) and Muruga Jeyalakshmi Sannasi (whose earlier name was S. Muruga Jeyalakshmi) R/o E1005 Amrapali Platinum, Sector 119, Noida, U.P., have changed my name to Rishabh Karthik Anandaraj, for all purposes. 0040509775-1

व्यक्तिगत

I, Harsh Bhardwaj S/O Late Shri Shiv Kumar R/O H.No. A-2/140, 1st Floor, Hastsal Road, Uttam Nagar, New Delhi, inform you that my father died on 05-12-18 and Shiv Kumar and Shiv Kumar Sharma both are my father's name. 0040509750-1

I, HASINA BANO W/o Muzaffar Khan R/o 274/4, Gali No.4, Zakirnagar, Jamianagar, Okhla, New Delhi-110025 changed my name HASINA BANO to HASEEN BANO permanently. 0040509742-1

I, Gurtej Singh born on 22.12.1997 R/o-M-501, Guru Harikishan Nagar, Paschim-Vihar, Delhi-87, have changed my name to Gurtej Singh Kohli. 0040509777-1

I, Gurpreet S/o Niranjan Singh R/o-S-1/186 G/F Gali No.1, Old Mahavir Nagar, Tilak Nagar Delhi-18,have changed my name to Gurpreet Singh. 0040509789-1

I, Gurjyot Singh born on 22.11.1999 R/o-M-501, Guru Harikishan Nagar, Paschim Vihar, Delhi-87,have changed my name to Gurjot Singh Kohli. 0040509777-2

I, Gauhar Rehman W/o Syed Hifzur Rehman R/o C-19, Batla House, Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my name from Gohar Zaheer to Gauhar Rehman since 01/01/1980 for all purposes 0040509733-2

I, Dimple Kapoor W/o Rahul Kapoor R/o-6/13, Block-6, Nirmalpuri, Lajpat-Nagar-4, N.Delhi-110024. have changed the name of my minor daugh-ter, Ahaana Kapoor to Bhavya Kapoor. 0040509818-3

I, Dhairya Aggarwal S/o Rakesh Kumar Aggarwal R/o-48, Pocket-A-8, Kalkaji Extension, New Delhi-110019. have changed my name to Dhiren Aggarwal. 0040509818-1

I, Deepak Kohli S/O Gopal R/O-B-193, Guru-Nanak Dev-Colony, Gali No.5, Bhalswa Dairy, Delhi-42 Have Changed My Name To Deepak Koli. 0040509777-5

I, Dav Dutt Sharma S/o Ghamendi Lal Sharma R/o Village-Barola Sector-49,Noida Distt:-Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh,have changed my name Dev Dutt Sharma for all Purposes. 0040509805-3

I, Darshan Singh Bains, S/o Mangal Singh, R/o-28-A, Arjun-Nagar, Safdarjung-Enclave, New Delhi-110029, have changed my name to Darshan Singh. 0040509793-6

I, Aradhana D/o Rajesh Sharma R/o-C-107/9, Paryavaran-Complex, Saidulajab, New Delhi-110030. have changed my name to Aradhana Sharma, for all purposes. 0040509803-1

I, Anupama Arora W/o Sanjay Mehta R/o-B-7/127, Sector-5, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Sonia Mehta permanently. 0040509793-8

I, Amod Rani Dahima Spouse Of Jaidrath Singh R/O-V.P.O-Khatta Prahladpur Distt.-Baghpat U.P-250515.,Have Changed My Name From Amod Rani Dahima To Amod Kumari. Vide-Affidavit Dated-26.8.2019.At New delhi. 0040509826-8

I, Aman Chaudharry S/o Ranbir Singh R/o-A-106, Omex-City, Sec-14, Jhajjar Road, Bahadurgarh, Haryana have changed my name to Aman Chaudhary. 0040509803-4

I, Alok s/o Suresh Chand r/o BG-6/10C, Paschim Vihar, Delhi-110063, have changed my name to ALOK NATH. 0040509737-2

I, Allan Anthony T C Thomas S/O Mr. Anthony Thomas R/O-1/69, Nehru-Nagar, New Delhi-110065, inform That I, have Changed My Name To Allan Anthony, For All Purposes. 0040509803-5

I, Aditya Arora @ S. Aditya S/o Late Shri Satpal R/o 749, Pocket GH-13, Pachim Vihar, New Delhi-110087, have changed my name to Aditya Arora for all future purpose. 0040509836-1

I, Abdul Wahab S/o Mohd. Yusuf R/o-313/76A, Tulsi-Nagar, Inderlok, Near Bilal Masjid, School-Road, Delhi-110035, have changed my minor son's name Ariba Khatoon to Ariba Khan. 0040509818-5

I, A. Shivani, D/o Anandaraj Ponnusamy (whose earlier name was P. Anandaraj) and Muruga Jeyalakshmi Sannasi (whose earlier name was S. Muruga Jeyalakshmi) R/o E1005 Amrapali Platinum, Sector 119, Noida, U.P., have changed my name to Shivani Anandaraj, for all purposes. 0040509772-1

I, "VIMMAL GROVERR" Son of Sh. Kishan Chand Grover, Resident of H.No. 23, Pocket 4A, Sector-23,Rohini, New Delhi 110085 have changed the name of my minor son "DHRUV GROVER" aged 14 Yearsand he shall hereafter be known as "DHRUVA V GROVER" New Name. 0040509810-2

I hitherto Known as Reena Srivastava W/O Sh.P.K.Srivastava R/O-12/6 Sewa Nagar Railway-Colony New Delhi-110003 have changed my name and shall hereafter be known as Reena Narayan 0040509793-5

I hitherto known as Shabnam W/o Mohd Saleem residing at-E-52/2, Gali No-9, Shastri-Park, Delhi-110053 have changed my name and shall hereafter be known as Bakreedan. 0040509803-2

I, Anand Kumar Prasad S/o Ram Din Prasad R/o-B-104/2-A Ist floor, Dilshad-Colony, Delhi-110095,have Changed my minor Son name from Yash Kumar to Yash Kumar Prasad for all future propose 0040509740-4

I Madhvender S/O Udaybir Singh R/o H.no.-kc-425, Krishna Colony, Near Sawliya Ki Chakki, Palwal, Haryana-121102, have changed my name to Madhvender Singh. 0050154134-1

I hitherto known as Shruti Arora alias Monika Arora alias Monika Gupta Daughter of Sh.Vijay Kumar Gupta & wife of Ashok Arora, Residing at-B-10/130, Sector-3, Rohini, Rohini Sector-7, Delhi-110085, have changed my name and shall hereafter be known as Shruti Arora. 0040509803-10

खोया-पाया

I, PADAM Singh S/o Late tika Ram R/o-h.no-751 st.no-31 D-block gokalpur Amar-colony Delhi-94 have lost my original-certificate class-10th year-2008 Rollno-1606300 R.J.P-BOARD. 0040509818-9

I, PRASHANT Kumar s/o kamal Singh R/o-B-118/8 pardhan-wali gali-johripur Delhi-94. have lost my original certifi-cate class-10th year-2017 Rollno-8168356 CBSE, Delhi 0040509818-8

I,Subodh Gupta,S/O Narayan Dass,R/O H- 1403,Pearl Court APPT.Ram Prasth Green,Sec-7,Vaishali Ghaziabad,have lost my 100Equity original Shares Certificate of M/S Aar Gee Board Mills(P)Ltd,Finder con-tact 9811113403. 0040509805-11

It is notified for the informa-tion that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Secondary /Senior Secondary Examination of Year-2010/ 2012 Roll No.6116721/ 9117090 issued by CBSE hasbeen actu-ally lost. Sparsh Oberoi R/o-F-20/11 Top-Floor, Krishna-Nagar, Delhi-110051 #8860896762. 0040509797-5

My original CBSE(Delhi) quali-fying secondary examina-tion(10th) year-2010 roll-no.6399670 and senior sec-ondary examination, (12th),2012 rollno.9696551 cer-tificate/marksheet have been lost. Ritu D/o Mahender Singh, A-59-A, New Multan-Nagar, Delhi-110056. 0040509793-10

I, Das Krishan S/o Ram Singh R/o-B-68, East Nathu-Colony, Delhi-110093. Have lost my original-caste SC-certificate & Class-X and XII-pass CBSE-Delhi Marksheet & Certificate also 10th Roll.No-6319220 Year-2002, 12th Roll Number-6615850 Year-2004. 0040509818-10

I, Khem Chand Sharma, S/o (Late) Sh. J.N. Sharma, F.No.1200, Sector 37, Arun Vihar, NOIDA, Distt. G.B.Nagar, UP, have lost origi-nal Allotment Letter issued by Builder M/s Gaursons India Limited towards Allotment of Flat No. 308, Gaur Ganga II, Residential Complex in Sector-4, Vaishali Scheme, Vaishali, Ghaziabad (UP). Finder Please contact on Mob: 7567563120. 0040509778-1

It is notified for the informa-tion that my original Certificate of main Secondary Exam Year-2016, Roll No. 9639667, Passout from CBSE, Delhi has been actually lost. Kanchan at House No-N-20/H, Street No.2, Sadatpur Extn., Delhi-110094. 0040509845-1

I, Neeharika Manchanda D/o Manohar Lal Manchanda R/o-A-77-78, Bunkar Colony, 1st Floor,Ashok Vihar,Ph-4,Delhi-52,have lost original certifi-cate of 10th class All India Secondary,Rohtak, Haryana, 2005, Roll.NO.2115130, LR.No.518586/2019 on dated 31/01/2019. 0040509805-13

रिक्त स्थान

आवश्यकता है BTC/D.El.Ed में प्राचार्य, प्रवक्ता, लिपिक पद हेतु सिकरवार कालेज सैदपुर मथुरा। योग्यता- NCTE मानक अनुसार। इंटरव्यू- दिनांक 29.08.2019 स्थान- औरंगाबाद, मथुरा- 7618222275, sikarwarschool@gmail.com

PUBLIC NOTICE

FREEHOLD PROPERTY BEARING NO. B-254, TALAGANG CGHS LTD., KNOWN AS NEELKANT APARTMENTS, PLOT NO. 49, SECTOR-13, ROHINI, DELHI

Public at large is hereby informed that the captioned property is subject matter of **Equitable / Registered Mortgage with State Bank of India**, it is further informed to the public at large that proposed Sale Deed will be executed by (1) Shri Ravinder Singh Anand (50% share) (2) Smt. Kamal Malharu(25% share) (3) Shri Tarvinder Kant (25%share) in favor of **Shri Shanti Lal Aggarwal** after obtained registered Relinquishment Deed from other Legal heirs in favor of the proposed Seller(s)

It is hereby notified that any person or entity, firm / company, Bank , financial institution having claim any charge, interest or lien or claim on the basis of documents / court judgment or otherwise and / or objection to thereof, he/ she/ they may lodge/ notify the same to the undersigned with documentary proof/ court judgment within 15 days from the day of publication failing which the title / Transfer Deed / Sale Deed executed in favor **Shri Shanti Lal Aggarwal or its nominees** shall be deemed to be clear and marketable without any defect , encumbrance, flaw and impediment and my client (s) is/are free to create Equitable / Registered Mortgage by deposit of Chain of available title documents with any person/ firms company , financial Institution / Bank

NIRMAL KUMAR (Advocate)

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला **भावना पत्नी नितिन गोयल** निवासी 38/2, गली न. 11, वेस्ट विनोद नगर शकरपुर दिल्ली–92 ने अपने भाई **उमेश गिरी** से अपने समस्त सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं। उसके किसी भी कृत्य व उसके किसी भी लेन देन के लिए मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नहीं होगी।

भवदीय

योगेश शर्मा (एडवोकेट)

PUBLIC NOTICE

This is to bring to your kind notice that I Mithilesh Kumar, Advocate on behalf of my Clients Sh. Rajeev Dahiya S/o Late Major Sh. Suraj Mal R/o 21/4, New Rajinder Nagar, New Delhi that the GPA By Mrs. Diru Lalwani in favour of Sh. Mukesh Lalwani of the property bearing plot no. 21/4, New Rajinder Nagar, New Delhi, Measuring 130 Sq Mtrs, General Attorney of Sh. Joginder Kumar Seth & Smt. Madhu Seth was lost some where in New Rajinder Nagar area, New Delhi, If Found by anyone may kindly be return to the aforesaid address of my client.

Mithilesh Kumar (Advocate)
Ch. No. 717, 7th Floor, Lawyers Chambers District Court, Rohini, Delhi-110085

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instruction from and on behalf of "My Client **Smt. Lakshmi Devi** W/o Late Ram Swaroop R/o Ground Floor, F-61, Budh Nagar, Inderpuri, New Delhi-110012, have disowned her son namely **Mr. Ramesh Kumar Bairwa** S/o Late Sh Ram Swaroop and daughter-in-law **Mrs. Usha** W/o Mr. Ramesh Kumar Both R/O First Floor F-61, Budh Nagar, Inderpuri, New Delhi-12, due to misbehavior & dishonesty from all her moveable, immovable assets & ceased all relations with them. Anybody dealing with them will do so at his/her their own risk. My client will not be responsible for their any act, transaction in any manner.

R.B. Singh (Advocate)
Ch No.75, W.W. Tishazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, **ASHOK KUMAR KAUSHAL** S/o SH. **BALDEV KRISHAN KAUSHAL** Residing at 601, JANTA FLATS GTB ENCLAVE, DELHI-110093 declare that name of mine and my father has been wrongly written as **ASHOK KUMAR**, and my father's name **BALDEV KRISHAN** educational documents/service book and in the other documents. The actual name of mine is **ASHOK KUMAR KAUSHAL** and father's name **BALDEV KRISHAN KAUSHAL** respectively which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Siya Ram** son of Lathuri Singh & **Smt. Urmila Devi** wife of Siya Ram both residents of D-11A, Sanjay Enclave, Uttam Nagar, New Delhi-110059, have disowned/ debarred their son namely **AJAY KUMAR** from their movable and immovable properties due to his disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with him for all intents and purposes with immediate effect, Anybody he/they deals with him will do so at his/her/their own risk and responsibility.

Ashok Kumar Tyagi & Associates (Advocates)
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client, Ramesh Kumar Aneja s/o Late M.D. Aneja R/o E-89, First Floor, Kirti Nagar, New Delhi-110015, have break up all his family, business relations with his brother Harish Chander Ajena s/o Late Maya Dass Aneja, and his family members all residing at above said address, because of his mis-behaviour, mis-conduct towards my client. Any person/s dealing with them shall be at his/her own risk. **Parvesh Kr. Tyagi (Advocate)** Seat Behind Court Room No.36, Tis Hazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Sh. Harbans Lal S/o Sh. Suraj Ram R/o B-6-G Vijeta Vihar, Delhi Police Society, Sector-13, Rohini, Delhi-110085 have disowned & debarred his son namely Sh. Subhash Chander S/o Sh. Harbans Lal & his wife Ms. Kiran W/o Sh. Subhash Chander & their children from all of his movable & immovable properties & has severed all his relations from them. As such from today onwards, my client & his family shall have no relations with his aforesaid son & daughter-in-law & their children nor shall he be responsible for any of their actions.

Sanjiv Sharma (Advocate)
Ch. No. 463, Saket Court, New Delhi.

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my Client Sh. Naval Kishor Puri S/o Late Sat Narain Puri & Smt. Urmila Devi W/o Sh. Naval Kishor Puri both R/o WZ- 32C, Sharda puri, Ramesh Nagar, New Delhi-15, have disowned their sons namely Pankaj Puri and his wife Sushama Puri and Prabhat Puri and his wife Puja Puri all their moveable and immoveable properties. My both above said client shall not be responsible for their acts in future from today i.e. 27/08/2019.

S. D Pandey (Adv.) Enrl. D/[illegible]
Chamber 750, Lawyers Chambers
Dwarka Court, New Delhi-110075

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that my clients Sh. Lakhender Singh, S/o Sh. Nand Lal Singh, and his wife Smt. Indu Devi, both R/o F-39 Sitapuri Part-2, Gali No.-2, New Delhi 110045 being dissatisfied with the conduct and behavior of their son Mr. Sanjay Kumar and his wife Mrs Chandani Kumari have severed all their relations with their said son and daughter-in-law and disowned them from all their movable and immovable properties, including the property bearing no. F-39, Sitapuri Part-2, Gali No.-2, New Delhi 110045. My said client Mr. Lakhender Singh has also expelled / disowned his said son Mr Sanjay Kumar from his business i.e. his proprietorship concern M/s Vishwakarma Automates and any person dealing with their said son and daughter-in-law with respect to the above mentioned property or business shall be doing so on his/her own risk.

Sd/-
Amit Shrivastava (Advocate)
Chamber no. 618, Dwarka Courts New Delhi-75

सूचना

[illegible] यह सूचना दिनांक 29 अगस्त, 2019

[illegible] (अधिवक्ता)
[illegible] बी–88, सेक्टर–40, नोएडा–201301 जिला– गौतम बुद्ध नगर (यूपी)

PUBLIC NOTICE

I, the undersigned, hereby informed to the public at large that my clients (1) Mohd. Arif & (2) Mohd. Abid both sons of late Shri Mohd. Mian both resident of 2184, Gali Mandir Wali, Pahari Bhojla, Bazar Chitli Qabar, Turkman Gate, Delhi-110006 are owners and in possession of the entire ground floor of the abovesaid property measuring 200 sq yards approximately since birth. The said property or its part thereof is not under sale, as on date. If, anyone dealing with any other persons except my clients in respect of the above said property shall be doing so at his own risk, cost and consequences and my clients shall not be responsible for any loss or damages sustained by the said person(s) in doing so.

TANISHQ PANWAR (Advocate)

फैसल ने लुकआउट सर्कुलर की प्रति मांगी, हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए शाह फैसल की उस याचिका पर बुधवार को केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर की प्रति मांगी है। वह फिलहाल श्रीनगर में हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल के पीठ ने केंद्र से दो सितंबर तक जवाब देने को कहा और मामले को फैसल की ओर से उनकी हिरासत के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ तीन सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। फैसल की वकील वारिसा सरासत ने कहा कि वे नहीं जानते कि लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) किस आधार पर जारी किया गया है।

वकील ने कहा कि एलओसी केवल उन्हें यात्रा करने से रोक सकता है, लेकिन यह उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकता तथा यह एलओसी का दुर्भावना को दर्शाता है।

PUBLIC NOTICE

The public at large is hereby informed that my client Smt. laxmi upadhyay W/O Lt. Sh vibhishan Upadhyay R/o 426, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad, pin code-201012 have debar their son namely Sh. Muskan upadhyay S/o Lt. Sh vibhishan Upadhyay R/o 426, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad, pin code- 201012 and his wife namely Smt. Chandni Chauhan W/o Sh. Muskan upadhyay D/o Sh Mool Chand Chauhan R/o R 539, New Rajinder Nagar, delhi-110060. All R/0 426, Sector-3, Vasundhara, Ghaziabad pin code-201012 (who were got married on 24/05/2019 and now living separately from my client) from their life, movable and immovable properties due to their bad conduct/quarrel and disobedient towards my client and my client have no control of any manner over them, If anyone deals with them will be at his/her own risk then my client will not responsible in any manner and my client have snapped their relations with them in all manner for all purposes,

Sd/-
RAJNEESH GAUTAM (Advocate)
2059A, old Anaj Mandi Narela , Delhi-40

PUBLIC NOTICE

This is to inform General Public at large that my client Mr. Ramveer is intending to purchase a Property i.e. Entire Ground Floor, without roof rights, area measuring 50 Sq. Yds. built on property bearing number S-2/106 (Old No.- WZ-142), out of Khasra No.-18, situated in the area of Village Nangli Jalib, Colony known as Old Mahavir Nagar, Delhi from its owners Mrs. Ranjeet Kaur Aneja W/o Mr. Gurmeet Singh & Mrs. Gurmeet Kaur W/o Mr. S. Tejinder Pal Singh who are the joint owners of aforementioned property vide registered Relinquishment Deed No. 17319, Vol. 4634, Book No.-1, pages 78-81 dated 19/08/2019 registered with Sub-Registrar-II Janakpuri, Delhi."The aforementioned property is free from all kind of charge, mortgage, lien, encumbrances whatsoever and my client is intending to mortgage the aforementioned property with Clix Housing Finance Pvt. Ltd.

If any person or institution have any kind of right or claim in the aforementioned property, he may contact at the address given herein under within 15 days from the date of publication of this notice.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No. E 419, Karkardooma Court, Delhi-110032.
Mob.9871603366

अदालती सूचना

IN THE COURT OF SH. LAXMI KANT GAUR, LD. ADJ-05, (CENTRAL), ROOM NO.-307, TIS HAZARI COURTS, DELHI

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF RESPONDENT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

CS. NO : 1962/17

ICICI BANK LTD
V/S
GOPAL KISHAN

To,

GOPAL KRISHAN
IBM INDIA PVT. LTD, B-17
SEC-62, NOIDA-201307

WHEREAS you are intentionally evading service of summons. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the **05/09/2019** the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and seal of the court this, dated: 26/08/2019.

Sd/-
Additional District Judge
Delhi (Central-05)
SEAL

PUBLIC NOTICE

General Public at large on behalf of my client Hinduja Housing Finance Ltd. (HHFL), (A company registered under the Companies Act and governed under National Housing Board through its Authorized representative having office at C-47, First Floor, RDC, Raj Nagar Ghaziabad, U.P. engaged in the business of extending housing loan facilities to the retail customers) hereby informed that in the month of May 2018 during shifting of branch office of the company from C-53, Second Floor, Sarnam Plaza, RDC Raj Nagar, Ghaziabad, U.P. to the aforementioned present office, the original property documents of the following customers/loan accounts have been lost/misplaced from bulk of documents.

1- Mrs. MAMTA KUMARI (CONTRACT NO. DL/NCU/GHAU/A000000178 DATED 01/09/18). - Second Floor built on property bearing no.RZG-136, area measuring 50 Sq. Yards, Out of Khasra no.51/4, Situated at Raj Nagar-II, Palam Colony New Delhi.

2- Mr. HARISH DEDHA CONTRACT NO. UP/NCU/GHAU/A000000026 DATED 31/12/16. - C-5/7, C block FF-1, Gali No.4, Sudama Puri Gamri, Bhajanpura, Delhi, India-110053.

3- Mr. RAVINDER KUMAR JHA CONTRACT NO. UP/NCU/GHAU/A000000053 DATED 31/11/16.-First Floor, Flat No. Front side 1 BHK Siscon SBI Tower SEC-122, Parthala Khanzarpur, Noida, U.P.

4- Mr. PRAMOD SINGH CONTRCT NO. UP/NCU/GHAU/A000000170 DATED 06/03/17- Flat 401-402, Second Floor, Village Barola, Sector-49, Noida, U.P.

5-Mr. NUTAN KUMAR CONTRACT NO. UP/NCU/GHAU/A000000271 DATED 15/05/17.- House No.1413, Khasra No. 523B, New Basti Ghukna, Village Sihani, Pargana Loni, Metro, Ghaziabad, U.P.

6- Mr. ARUN ARYA CONTRACT NO. UP/KNP/MRUT/A000000025 DATED 18/04/17.- 14, Neelkanth Puram, Bhola Road, Urban, Meerut, U.P.

7- Mr. SUBHASH PRADHAN CONTRACT NO. HR/GGN/FRBD/A000000025 DATED 31/03/17.- Vashika No.2434, Khewat No.1564, Khatoni No.2676, Nu. No.85/4/2, Mauja-Gochi, Tehsil Balabgarh Faridabad Haryana.

8- Mr. RAKESH KUMAR CONTRACT NO. DL/DEL/DLHI/A000000056 DATED 02/01/17.- 585, Jal Nigam Road, New Shanti Nagar, Ghaziabad, Metro Ghaziabad, U.P.

9- Mr. ARUN KUMAR CONTRACT NO. HR/NCH/GURH/A000000063 DATED 02/01/17.-H.No.E42, Khampur Extn., Flat No.10, New Delhi, Khampur Extn., Cambridge Public School, Metro New Delhi.

10- Mr. SANTOSH KUMAR SINGH CONTRCT NO. DL/DEL/DWND/A000000105 DATED 30/06/17.-Plot No.C-1/167, Gali No.5, Block C-1, Near Rajauri Road, Sanjay Enclave, Uttam Nagar, Delhi, Metro New Delhi.

In this regard a lost/missing report has been duly lodged on 04/07/2019 at P.S. Kavi Nagar, District-Ghaziabad, U.P.

Notice is hereby given that the immovable properties pertaining to the abovenamed person/loan accounts are equitable mortgaged with Hinduja Housing Finance Ltd. (HHFL), and no Person/or group of Persons/Entities/HUF/Bank/Company/NBFC,/Firms or Institution is authorized to do any acts, deeds, matter or things on the basis of the said original property documents."""Further, no person should deal with or enter into any agreement or transaction of whatsoever nature in respect of the aforementioned loan accounts and in case any person enter into any agreement, understanding or transaction in respect of subject properties/loan accounts, the same shall not be binding upon my client, owners of the property or HHFL and would be entirely on his own risks, costs and consequences.

If any person found the original property documents for the aforementioned loan accounts he is requested to return the same either to my client/company or at the address given herein under.

Avnish Shukla (Advocate)
Ch. No.-E 419, Karkardooma Court, Shahdara, Delhi-110032
Mob. 9871603366

चिदंबरम की गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि गुरुवार तक के लिए बढ़ा दी है। धनशोधन का यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दर्ज किया है। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के पीठ ने चिदंबरम की अपील पर महान्यायवादी तुषार मेहता की दलीलें सुनीं। पीठ गुरुवार को भी दलीलें सुनेगी।

मेहता ने कहा कि चिदंबरम खुद को पीड़ित के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और मामले में ईडी को उनकी गिरफ्तारी से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधी होने की वजह से उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि उनका (चिदंबरम का) आरोप है। हमारे पास यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य हैं कि यह धनशोधन का गंभीर मामला है। मामले में हमने अकाट्य सामग्री जुटाई है। शीर्ष अदालत अग्रिम जमानत रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ चिदंबरम की अपील पर सुनवाई कर रही है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने याचिका के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत नामंजूर कर दी थी।

जेल जाने वाले नेता बनते हैं : सत्यपाल मलिक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

जम्मू–कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के बाद मुख्यधारा के सियासतदानों को हिरासत में रखने को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह कहते हुए न्यायोचित ठहराने की कोशिश की कि जितना ज्यादा वक्त वे जेल में रहेंगे, उन्हें उतना ही राजनीतिक फायदा मिलेगा।

केंद्र द्वारा जम्मू–कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को खत्म किए जाने के बाद श्रीनगर में पहली बार मीडिया से बातचीत कर रहे मलिक से तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्य सियासतदानों को हिरासत में लेने तथा उन्हें रिहा करने के बारे में पूछा गया था। राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया हुआ है। इसको लेकर राज्यपाल ने कहा, 'क्या आप नहीं चाहते हैं कि लोग नेता बनें। मैं 30 बार जेल गया हूं। जो लोग जेल जाते हैं, वे नेता बनते हैं। उन्हें वहां रहने दें। जितना ज्यादा वक्त वे जेल में बिताएंगे, चुनाव प्रचार के समय उतना ही वे दावा कर पाएंगे। मैंने छह महीने जेल में गुजारे हैं।' उन्होंने कहा, 'इसलिए अगर आपको उनसे हमदर्दी है तो उन्हें हिरासत में लेने से दुखी नहीं हों। वे सभी अपने घरों में हैं। मैं आपातकाल के दौरान फतेहगढ़ जेल में था जहां पहुंचने में दो दिन लगते थे। अगर किसी मुद्दे पर किसी को हिरासत में लिया जाता है और उसकी मर्जी है तो वह राजनीतिक लाभ लेगा।'

‘रविवार से डेंगू के खिलाफ शुरू होगा अभियान’

● मुख्यमंत्री ने जनता से की अपील, एक सितंबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को अपना 10 मिनट का समय यह सुनिश्चित करने में दें कि उनके घर या आसपास में पानी जमा या ठहरा हुआ तो नहीं है

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

दिल्ली में एक सितंबर से डेंगू के खिलाफ अभियान शुरू होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इससे दिल्ली को जलजनित बीमारियों से बचाया जा सकेगा और जनता को इस योजना में भागीदार बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वे खुद दिल्ली सरकार के मंत्रियों व अधिकारियों के साथ इस अभियान की जांच करेंगे। इस संवाददाता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वह एक सितंबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को अपना 10 मिनट का समय यह सुनिश्चित करने में दें कि उनके घर या आसपास में पानी जमा या ठहरा हुआ तो नहीं है। इससे डेंगू के लारवे को पैदा होने से रोका जा सकेगा और डेंगू के मामलों में इससे कमी लाई जा सकेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि आगामी 10 सप्ताह तक अपने घर व आसपास में यह अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि बीते तीन साल में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक और फीवर क्लीनिक स्थापित किए हैं। इसका लाभ हुआ है कि दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में 80 फीसदी कमी आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस साल डेंगू और चिकनगुनिया से किसी की मौत नहीं हो।

अस्पतालों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी

डेंगू के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने हर अस्पताल में एक नोडल अधिकारी तैनात किया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकार ने अस्पतालों में 20 फीसद तक बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए हैं। सख्त निगरानी व जनता की जागरूकता की वजह से जलजनित बीमारियों के मामलों में कमी आई है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों को धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मौत 2017 में डेंगू व अन्य जलजनित बीमारियों की वजह से हुई थी। इसके बाद से ही डेंगू के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है।

भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए कलह : ‘आप’

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान पर आम आदमी पार्टी (आप) ने चुटकी ली है। ‘आप’ नेता संजय सिंह ने कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद के लिए तीन उम्मीदवार हैं। तीनों नेता ‘आप’ के संपर्क में हैं और जिसको घोषित किया उनमें से दो ‘आप’ की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में मुख्यमंत्री पद को लेकर कलह मची हुई है।

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से लिए गए नीतिगत फैसलों का श्रेय लेने के लिए भाजपा के तीन नेता– मनोज तिवारी, विजय गोयल और विजेंद्र गुप्ता बेताब हैं। जब से दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों को पंजीकृत करने की घोषणा की है, तब से भाजपा इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है।

ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
यूनिट : इण्डो गल्फ फर्टिलाइज़र्स

100 प्रतिशत जल विलेय उर्वरक के उत्पादन, भण्डारण और बिक्री के सम्बन्ध में सूचना कृषि सहकारिता और किसानकल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किए गये आदेश क्रमांक : 2900 (E) दिनांक 24 अक्टूबर 2015 के सन्दर्भ में निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उ.प्र. को अवगत कराना चाहेंगे कि ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि० यूनिट : इण्डो गल्फ फर्टिलाइज़र्स द्वारा 100 प्रतिशत जल विलेय उर्वरक एन०पी०के० (19:19:19) उत्पादित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी 100 प्रतिशत जल विलेय उर्वरक पोटैशियम नाइट्रेट (13-00-45) का आयात, भण्डारण और बिक्री करेगी। जिसके विवरण निम्नवत् हैं।

Composition	NPK* 19:19:19		Potassium Nitrate 13:0:45
Total Nitrogen per cent by weight, minimum	19.0	Moisture per cent by weight maximum	0.5
Nitrate Nitrogen per cent by weight, maximum	4.0		
Ammonical nitrogen per cent by weight, minimum	4.5	Total Nitrogen (all in Nitrate form), per cent by weight minimum	13.0
Urea nitrogen, per cent by weight, maximum	10.5	Water soluble Potassium (as K2O) per cent by weight minimum	45.0
Water soluble Phosphates (as P2O5) per cent by weight, minimum	19.0	Sodium (as Na) per cent by weight, maximum	1.0
Water soluble potassium as K2O per cent by weight, minimum	19.0	Total Chloride (as Cl) per cent by weight maximum	1.5
Total Chloride (as Cl) per cent by weight, maximum	1.5		
Sodium as NaCl per cent by weight, maximum	0.5	Matter insoluble in water, per cent by weight, maximum	0.5
Matter insoluble in water per cent by weight, maximum	0.5		
Moisture per cent by weight, maximum	0.5		

*Heavy metals as per FCO Specifications

ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लि० यूनिट : इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स
औ० क्षेत्र जगदीशपुर, जनपद अमेठी-227817 दूरभाष 05631-270032-38

Form A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF INDIRAPURAM HABITAT CENTRE PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	INDIRAPURAM HABITAT CENTRE PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	18.03.2002
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi & Haryana (ROC DELHI)
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U74899DL2002PTC114606
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Regd office:** Unit No. 154, F.F. Aggarwal Shopping Center, Plot No. 2, LSC, Block CD, Pitampura, Delhi-110034. **Principal off:** 707, Chiranjiv Tower, 43, Nehru Place, New Delhi-110019
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	26.08.2019 (order copy received by IRP on 26.08.2019 from NCLT order dated 22.08.2019)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	18.02.2020 (180 days from 22.08.2019)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	PAWAN KUMAR GOYAL IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-18/11473
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	P K Goyal & Associates, 304, D.R. Chamber, 12/56, DB Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi 110005. Email : **ca.pawangoyal@gmail.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	P K Goyal & Associates, 304, D.R. Chambers, 12/56, DB Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Email: **irp.indirapuram@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	09/09/2019 (from date of receipt of order)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Home Buyers (Real Estate Investors)
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1.CA Mr. Kamlesh Kumar Gupta (IBBI/IPA-001/IP-P01316/2018-2019/12071) 2.CMA Mr. Sandeep Goel (IBBI/IPA-003/IP-N00073/2017-18/10583) 3.Advocate Amit Sharma (IBBI/IPA-002/IP-N00172/2017-18/10442)
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Relevant Forms at https://ibbi.gov.in/home/downloads Details of Authorised Representatives at P K Goyal & Associates, 304, D.R. Chambers, 12/56, DB Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **INDIRAPURAM HABITAT CENTRE PRIVATE LIMITED on 22.08.2019.**

The creditors of **INDIRAPURAM HABITAT CENTRE PRIVATE LIMITED**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 09.09.2019 falling fourteen days from the appointment of the interim resolution professional to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorised representative of the class Home Buyers (Real Estate Investors) in Form CA.

***Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.**

Sd/-
PAWAN KUMAR GOYAL
IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-18/11473

Date : 27.08.2019
Place : New Delhi

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

बीओः एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट ई, कॉमर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110091
ईमेलः bo8075@pnb.co.in/ फोनः 011–22779758, 22785289
पंजाब नेशनल बैंक कंसोर्टियम की ओर से

जिसमें पंजाब नेशनल बैंक (एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट ई, कॉमर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110091) कॉर्पोरेशन बैंक (तनाव ग्रस्त परिसम्पत्ति, वार्टिकल दिल्ली ओवरसीज शाखा, एम–93, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001), ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शाखा कार्यालयः एम–1, 2 एवं 3, एम–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001), बैंक ऑफ इंडिया (शाखा कार्यालयः 1ला तल, एससीओ–2, सेन्ट्रल मार्केट सेक्टर–50, नोएडा–201301) तथा आन्ध्रा बैंक (तनाव ग्रस्त परिसम्पत्ति, प्रबंध शाखा, 1ला तल, एम–35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001) शामिल है।

परिशिष्ट IV
[देखें नियम 8(1)]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत कॉर्पोरेशन बैंक (तनाव ग्रस्त परिसम्पत्ति, वार्टिकल दिल्ली ओवरसीज शाखा, एम–93, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001), ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (शाखा कार्यालयः एम–1, 2 एवं 3, एम–ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001), बैंक ऑफ इंडिया (शाखा कार्यालयः 1ला तल, एससीओ–2, सेन्ट्रल मार्केट सेक्टर–50, नोएडा–201301) तथा आन्ध्रा बैंक (तनाव ग्रस्त परिसम्पत्ति, प्रबंध शाखा, 1ला तल, एम–35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001) के साथ कंसोर्टियम बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत लीड बैंक के रूप में पंजाब नेशनल बैंक (एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट ई, कॉमर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110091) के लिए तथा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर मै. श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड (प्रधान ऋणधारक कम्पनी, वर्तमान में पंखुरी इन्वेस्टमेन्ट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड बनाम श्रीधर मिल्क फूड्स लिमिटेड के मामले में एनसीएलटी के **आदेश तिथि 9.8.2018 के माध्यम से कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के अंतर्गत); श्री श्याम गोयल, पुत्र स्व. श्री आर.डी. गोयल (निदेशक सह गारन्टर); श्री अनिरुद्ध गोयल, पुत्र श्री श्याम गोयल (निदेशक सह गारन्टर); श्रीमती साधना गोयल, पत्नी श्री श्याम गोयल (निदेशक सह गारन्टर); श्री विशाल गोयल पुत्र श्री मुकेश कुमार गुप्ता (गारन्टर); मै. श्री बांके कुंज बिहारी मिल्क फूड्स प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारन्टर) तथा मै. वैभव लक्ष्मी एण्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड (कॉर्पोरेट गारन्टर)** को 13(2) के अंतर्गत जारी सूचना में वर्णित राशि के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर खर्चे, लागत एवं अन्य चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

पंजाब नेशनल बैंक कंसोर्टियम के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना जारी कर ऊपर वर्णित ऋणधारकों एवं गारन्टरों को नीचे वर्णित राशि के भुगतान का निर्देश दिया हैः

क्रम सं.	बैंक का नाम	मांग सूचना तिथि	31.3.2018 को बकाया राशि (रु. में)	आगे का ब्याज दर, तिथि से देय
1.	पंजाब नेशनल बैंक	31.3.2018	रु. 145,19,56,899.00 (रुपए एक सौ पैंतालिस करोड़ उन्नीस लाख छप्पन हजार आठ सौ निन्यानवे मात्र)	01.04.2018 से अनुबंधित ब्याज दर पर तथा उस पर अन्य चार्जेज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज
2.	कॉर्पोरेशन बैंक	31.3.2018	रु. 3686,47,451.90 (रुपए छत्तीस करोड़ छियासी लाख सैंतालिस हजार चार सौ इक्यावन एवं पैसे नब्बे मात्र)	01.04.2018 से अनुबंधित ब्याज दर पर तथा उस पर अन्य चार्जेज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज
3.	ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	31.3.2018	रु. 42,29,24,543.90 (रुपए बयालिस करोड़ उन्नतीस लाख चौबीस हजार चार सौ तिड़ेपन एवं पैसे नब्बे मात्र)	01.04.2018 से अनुबंधित ब्याज दर पर तथा उस पर अन्य चार्जेज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज
4.	बैंक ऑफ इंडिया	31.3.2018	रु. 22,23,22,668.18 (रुपए बाईस करोड़ तैईस लाख बाईस हजार छह सौ अड़सठ एवं पैसे अठारह मात्र)	01.04.2018 से अनुबंधित ब्याज दर पर तथा उस पर अन्य चार्जेज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज
5.	आन्ध्रा बैंक	31.3.2018	रु. 29,20,93,122.50 (रुपए उन्नतीस करोड़ बीस लाख तिड़ानवे हजार एक सौ बाईस तथा पैसे पचास मात्र)	01.04.2018 से अनुबंधित ब्याज दर पर तथा उस पर अन्य चार्जेज, अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज
कुल			रु. 275,79,44,685.48 (रुपए दो सौ पचहत्तर करोड़ उन्यासी लाख चौआलिस हजार छह सौ पच्चासी एवं पैसे अड़तालिस मात्र)	

जैसा कि, पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी, मयूर विहार फेज–II, पॉकेट ई, कॉमर्सियल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110091, इस कंसोर्टियम व्यवस्था के लीड बैंक होने के नाते सभी कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की ओर से प्राधिकृत है और इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी पीएनबी के सभी कंसोर्टियम सदस्य बैंकों की ओर से धारा 13(4) के अंतर्गत वर्तमान सूचना जारी करने के लिये सक्षम हैं।

उपरोक्त ऋणधारक (कों)/सह–ऋणधारक(कों)/मार्टगैजर(रों)/गारन्टर(रों) सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी 13(2) सूचनाओं के अनुसार मांग की गई राशि का भुगतान करने में विफल रहे, एतद्द्वारा ऋणधारक(कों)/सह–ऋणधारक(कों)/मार्टगैजर(रों)/गारन्टर(रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 26 एवं 27 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उपरोक्त ऋणधारक(रों)/सह–ऋणधारक(कों)/मार्टगैजर(रों)/गारन्टर(रों) तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर स्वीकृत रूप में आगे के ब्याज तथा खर्चे, लागत एवं अन्य चार्जेज के साथ 31.3.2018 को रु. 145,19,56,899.00 के लिये पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), 31.3.2018 को रु. 36,86,47,451.90 की राशि के लिये कॉर्पोरेशन बैंक (सीबी), 31.3.2018 को रु. 422924543.90 की राशि के लिये ऑरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, 31.3.2018 को रु. 22,23,22,668.18 की राशि के लिये बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) तथा 31.3.2018 को रु. 29,20,93,122.50 की राशि के लिये आन्ध्रा बैंक (एबी) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक(कों)/सह–ऋणधारक(कों)/मार्टगैजर(रों)/गारन्टर(रों) का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण
	इक्विटैबल मार्टगैज (सावधि ऋण के लैण्डरों (पीएनबी एवं ओबीसी) के साथ 1 ला समानुरूप प्रभार) तथा कार्यरत पूंजी के लैण्डरों (पीएनबी, सीबी, ओबीसी, बीओआई एवं एबी) के साथ 2रा समानुरूप प्रभार
1.	श्री श्याम गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के गाता नं. 92 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 211.11 वर्ग मीटर
2.	श्री अनिरुध गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के खसरा नं. 86 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 2968.44 वर्ग मीटर
3.	श्री अनिरुध गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के खसरा नं. 92 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 1260.00 वर्ग मीटर
4.	श्री अनिरुद्ध गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के खसरा नं. 85 एवं 94 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 850.00 वर्ग मीटर
5.	श्री अनिरुद्ध गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के खसरा नं. 93 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 2100.00 वर्ग मीटर
6.	श्री श्याम गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के गाता नं. 92 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 105.55 वर्ग मीटर
7.	श्री श्याम गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के गाता नं. 92 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 316.66 वर्ग मीटर
8.	श्री श्याम गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के खसरा नं. 85 एवं 94 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 7810.00 वर्ग मीटर

क्रम सं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण
	इक्विटैबल मार्टगैज (पीएनबी, सीबी, ओबीसी, बीओआई एवं एबी के साथ समानुरूप आधार पर)
1	श्री श्याम गोयल के नाम में ग्राम मुबारकपुर, जोया, जिला जेपी नगर, उ.प्र.–244422 के गाता नं. 92 में स्थित औद्योगिक भूमि, माप लगभग 3154.40 वर्ग मीटर
	इक्विटैबल मार्टगैज (पीएनबी, सीबी, ओबीसी, बीओआई एवं एबी के साथ समानुरूप आधार पर)
1.	श्री श्याम गोयल के नाम में प्लॉट नं. 93–पी, सेक्टर 46, फरीदाबाद, हरियाणा–121003 में स्थित आवासीय भूमि एवं भवन, माप लगभग 480.00 वर्ग मीटर
	इक्विटैबल मार्टगैज (पीएनबी, सीबी, ओबीसी, बीओआई एवं एबी के साथ समानुरूप आधार पर)
1.	श्री अनिरुध गोयल के नाम में गाते नं. 473, ग्राम आरजी, भूमि धोरी, करणपुर कायस्थ, तह. सम्भल, जिला मुरादाबाद, उ.प्र.–244001, माप लगभग 14000 वर्ग मीटर में स्थित आवासीय भूमि।
	इक्विटैबल मार्टगैज (पीएनबी, सीबी, ओबीसी, बीओआई एवं एबी के साथ समानुरूप आधार पर)
1.	श्रीमती साधना गोयल के नाम में प्लॉट नं. एस–4/159, योजना चैतन्य विहार आवासीय योजना, फेज II, राजपुर बांगर, वृन्दावन (उ.प्र.)–281121 में स्थित सम्पत्ति, माप लगभग 162.00 वर्ग मीटर
	इक्विटैबल मार्टगैज (पीएनबी, सीबी, ओबीसी, बीओआई एवं एबी के साथ समानुरूप प्रभार)
1.	श्रीमती साधना गोयल के नाम में शॉप नं. 631–ए जीएफ एवं 632, 1ला एवं 2रा तल तथा टैरेस, खारी बावली, दिल्ली–06 में स्थित सम्पत्ति, माप लगभग 1047.60 वर्ग फीट
	केवल पीएनबी में ईएम के विस्तार द्वारा 2रा प्रभार
1.	श्रीमती साधना गोयल के स्वामित्व में प्लॉट नं. 406, सेक्टर–37 में स्थित आवासीय भूमि एवं भवन

तिथिः 27.8.2019
स्थानः दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
पंजाब नेशनल बैंक

केन फिन होम्स लि.

एससीओ–34 एवं 35, 1ला तल, केनरा बैंक के ऊपर, सेक्टर–10ए, गुड़गाँव, फोनः 0124–2370035, 2370760

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [नियम 8(1)]

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर अधोलिखित ऋणधारक(कों)/सह–ऋणधारकों/गारन्टरों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उगाही की तिथि तक अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

सं.	ऋणधारकों तथा गारन्टरों का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा की तिथि
1.	श्री मोमिन खान (ऋणधारक) पुत्र बशीर अहमद, श्रीमती शबनूर बेगम (सह–आवेदक) पत्नी मोमिन खान, श्री ललित सिंघल (गारन्टर) श्री अशोक कुमार	फ्लैट नं. 06, प्रथम् तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुद्ध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), माप 800 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः फ्लैट नं. 05, पश्चिमः अन्य प्लॉट	8.6.2019	2838733.00/–	22.8.2019
2.	श्री ललित सिंघल (ऋणधारक) पुत्र अशोक कुमार, श्रीमती चांदनी सिंघल (सह–आवेदक) पत्नी– ललित सिंघल, श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद (गारन्टर)	फ्लैट नं. 05, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुद्ध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 06	8.6.2019	2899399.00/–	22.8.2019
3.	श्री विकास सिंह राना (ऋणधारक) पुत्र जगदीश सिंह राना, श्रीमती पूजा, पत्नी विकास सिंह राना (सह–आवेदक), श्री अमीर खान (गारन्टर) पुत्र राशिद खान	फ्लैट नं. 12– दूसरा तल मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुद्ध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः गैलरी, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 11	8.6.2019	3100731.00/–	22.8.2019
4.	श्री अमीर खान (ऋणधारक) पुत्र– राशिद खान, श्रीमती मुमताज (सह–आवेदक), पत्नी–अमीर खान, श्री विकास सिंह राना (गारन्टर), पुत्र जगदीश सिंह राना	फ्लैट नं. 8, प्रथम् तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुद्ध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः गैलरी, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड, पश्चिमः फ्लैट नं.–07	8.6.2019	2863704.00/–	22.8.2019
5.	श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद (ऋणधारक), श्रीमती जायनम (सह–आवेदक), पत्नी श्री फिरोज, पुत्र फूल मोहम्मद, श्री नरेश कुमार (गारन्टर) पुत्र मदनलाल	फ्लैट नं. 9, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतमबुद्ध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश), माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 10	8.6.2019	2894427.00/–	22.8.2019
6.	श्री पिन्स (ऋणधारक) पुत्र विनोद कुमार, श्रीमती उषा कुमार (सह–आवेदक), पत्नी विनोद कुमार, श्री पवन ए अगरवाल (गारन्टर), पुत्र अमीरचन्द अगरवाल, श्री पवन ए अगरवाल (गारन्टर), पुत्र अमीरचन्द अगरवाल	फ्लैट नं. 02–ग्राउण्ड दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः फ्लैट नं. 1, पश्चिमः अन्य प्लॉट	8.6.2019	2491909.00/–	22.8.2019
7.	श्री अमीर चन्द अगरवाल (ऋणधारक), पुत्र भोलाराम ठाकुरदास अगरवाल, श्री पवन अमीरचन्द अगरवाल (सह–आवेदक), पुत्र अमीर चन्द अगरवाल, श्री पिन्स (गारन्टर), पुत्र विनोद कुमार	फ्लैट नं. 01, भू तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं.–02	8.6.2019	2692638.00/–	22.8.2019
8.	श्री योगेश कुमार (ऋणधारक), पुत्र–नरेश कुमार सागर, श्री नरेश कुमार (सह–आवेदक) पुत्र– जगदीश, श्री ईश दुदेजा (गारन्टर) पुत्र जीतेन्द्र कुमार दुदेजा	फ्लैट नं.–3, भूतल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं.–07, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः गैलरी, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति	8.6.2019	2905328.00/–	22.8.2019
9.	श्री ईश दुदेजा (ऋणधारक) पुत्र जीतेन्द्र कुमार, श्रीमती चन्द्र मोहनी दुदेजा (सह–आवेदक), पत्नी जीतेन्द्र कुमार, श्री हर्षित जैन (गारन्टर) पुत्र अशोक जैन	फ्लैट नं.–13, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः प्रवेश, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः सीढ़ियाँ/एलएचसाईड/उसी का भाग, पश्चिमः फ्लैट नं. 12	8.6.2019	2967200.00/–	22.8.2019
10.	श्री हर्शित जैन (ऋणधारक) पुत्र अशोक जैन, श्रीमती गीता जैन (सह–आवेदक), पत्नी अशोक जैन, श्रीमती चन्द्र मोहिनी दुदेजा (गारन्टर) पत्नी जीतेन्द्र कुमार	फ्लैट नं.–04,भू तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः रोड 30 फीट चौड़ा, दक्षिणः सीढ़ियाँ एवं लिफ्ट, पूर्वः उसी प्लॉट का आरएचएस, पश्चिमः एन्ट्री/फ्लैट 1	8.6.2019	2703403.00/–	22.8.2019
11.	श्री कुलदीप जगलान (ऋणधारक) पुत्र ओम सिंह जगलान, श्रीमती ज्योति (सह–आवेदक) पत्नी–कुलदीप जगलान, श्री सुनील झा (गारन्टर), पुत्र कुलानंद झा	फ्लैट नं.–15, तीसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः प्रवेश, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः सीढ़ियाँ, पश्चिमः फ्लैट नं. 16	8.6.2019	2547391.00/–	22.8.2019
12.	श्री विनोद कुमार (ऋणधारक) पुत्र बच्चू सिंह, श्रीमती सोनिया (सह–ऋणधारक) पत्नी विनोद कुमार, श्री राम कुमार (गारन्टर) पुत्र रघुवीर सिंह	फ्लैट नं.–16, तीसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 762 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः खुला, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः प्रवेश, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति	8.6.2019	2516788.00/–	22.8.2019
13.	श्री विक्रम सिंह भाटी (ऋणधारक) पुत्र धरमवीर सिंह, श्रीमती रविता, पत्नी विक्रम सिंह भाटी (सह–आवेदक) श्री नरेश कुमार रानी (गारन्टर), पुत्र प्रेम राज सिंह	फ्लैट नं.–02–ए, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 870 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः खाली प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः फ्लैट नं. 01ए, पश्चिमः फ्लैट नं. 03ए	8.6.2019	2496936.00/–	22.8.2019
14.	श्री सुनील पाण्डेय (ऋणधारक), पुत्र सीथाराम पाण्डेय, श्रीमती नीतू, पत्नी सुनील पाण्डेय (सह–आवेदक), श्री जीतेन्द्र सिंह (गारन्टर) पुत्र बिजेन्द्र सिंह	फ्लैट नं.–01–सी, तीसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट–1, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1050 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 2सी	8.6.2019	2876195.00/–	22.8.2019
15.	श्री आदित्य (ऋणधारक) पुत्र रामभज सिंह, श्री राहुल (सह–आवेदक), पुत्र रामभज सिंह, श्री सचिन कुमार तोमर (गारन्टर), पुत्र राम निवास तोमर	फ्लैट नं. 06 डी, चौथा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1050 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः गैलरी, दक्षिणः अन्य प्लॉट, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 5 डी	8.6.2019	2439776.00	22.8.2019
16.	श्री विजय पाल (ऋणधारक) पुत्र गिर राज सिंह, श्रीमती कमलेश (सह–आवेदक), पत्नी श्री विजय पाल, श्रीमती मोनिका रानी (गारन्टर), पुत्री मंगल सिंह राना	फ्लैट नं. 01–बी, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.–318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1050 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः रोड, पश्चिमः लिफ्ट	8.6.2019	2877094.00	22.8.2019
17.	श्री सचिन कुमार तोमर, (ऋणधारक) पुत्र निवास तोमर, श्रीमती अनुराधा तोमर (सह–आवेदक), पुत्री– श्री रामफल, श्री राहुल, पुत्र राम भज सिंह (गारन्टर)	फ्लैट नं. 04–डी, चौथा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 920 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः गैलरी, दक्षिणः अन्य प्लॉट, पूर्वः फ्लैट नं. 5 डी, पश्चिमः अन्य प्लॉट	8.6.2019	2875454.00	22.8.2019
18.	श्री सुरेश यादव (ऋणधारक) पुत्र कामेश्वर यादव, श्रीमती लुखिया देवी (सह–आवेदक), पत्नी श्री सुरेश यादव, श्री राज (गारन्टर), पुत्र भरत लाल	फ्लैट नं. 06 सी, तीसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1050 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः गैलरी, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 5 सी	8.6.2019	2976038.00	22.8.2019
19.	श्रीमती अंजलि घोला (ऋणधारक) पत्नी प्रभु दास, श्री प्रभु दास (सह–आवेदक), पुत्र उमर चन्द, श्री जगदेव ठाकुर (गारन्टर), पुत्र भोला ठाकुर	फ्लैट नं. 03 डी, चौथा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1058 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः फ्लैट नं. 02डी, पश्चिमः अन्य प्लॉट	8.6.2019	3042811.00	22.8.2019
20.	श्री जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (ऋणधारक) पुत्र रामवतार श्रीवास्तव, श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव (सह–आवेदक), पत्नी जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, श्री संदीप रावत (गारन्टर), पुत्र हरि सिंह रावत	फ्लैट नं. 03–बी, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 920 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः 2बी, पश्चिमः आम रास्ता	8.6.2019	2490949.00	22.8.2019
21.	श्री श्याम चौहान (ऋणधारक) पुत्र ओंकार सिंह, श्रीमती गीता देवी (सह–आवेदक), पत्नी शाम सिंह, श्री शिवा (गारन्टर) पुत्र भरत लाल	फ्लैट नं. 05–ए, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 870 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः गैलरी, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः सीढ़ियां, पश्चिमः फ्लैट नं.– 6ए	8.6.2019	2557678.00	22.8.2019
22.	श्री चतर लाल (ऋणधारक) पुत्र यादराम, श्रीमती उमा (सह–आवेदक), पत्नी चतर लाल, श्री विकास पंचाल (गारन्टर) पुत्र रमेश चन्द	फ्लैट नं. 05–ई, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 800 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं. 6 ए, दक्षिणः अन्य का प्लॉट, पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः गैलरी	8.6.2019	2758885.00	22.8.2019
23.	श्रीमती मोनिका रानी (ऋणधारक) पत्नी कमल सिंह रावत, श्री कमल सिंह रावत (सह–आवेदक), पुत्र विक्रम सिंह रावत, श्री विजय पाल, पुत्र गिरि राज सिंह	फ्लैट नं.– 06 बी, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1050 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः रोड, पश्चिमः सामूहिक सीढ़ियां	8.6.2019	2756980.00	22.8.2019
24.	श्री नरेश कुमार (ऋणधारक) पुत्र प्रेम राज सिंह, श्रीमती सुषमा (सह–आवेदक), पत्नी नरेश कुमार, श्री राजीव सिंह (गारन्टर) पुत्र हुकुम सिंह	फ्लैट नं. 01 ए, प्रथम तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः फ्लैट नं. 02ए, दक्षिणः फ्लैट नं. 06ए, पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः 18 फीट रास्ता	8.6.2019	3044066.00	22.8.2019
25.	श्री जगदेव ठाकुर (ऋणधारक) पुत्र भोला ठाकुर, श्री मनोज कुमार ठाकुर, (सह–आवेदक), पुत्र जगदेव ठाकुर, श्री प्रदीप कुमार (गारन्टर) श्री फूल सिंह	फ्लैट नं. 02 डी, चौथा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः सीढ़ियां, पश्चिमः फ्लैट नं. 03 डी	8.6.2019	2684920.00	22.8.2019
26.	श्री ठाकुर जगत सिंह (ऋणधारक) पुत्र सुरेश भाटी, श्रीमती सुरेश भाटी (सह–आवेदक), पत्नी चिद्दा सिंह, श्री राज कुमार (गारन्टर) पुत्र राम प्रसाद	फ्लैट नं. 05–बी, दूसरा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं.– 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) माप 1100 वर्ग फीट। चौहद्दीः उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 06	8.6.2019	2511683.00	22.8.2019
27.	श्री जीतेन्दर सिंह (ऋणधारक) पुत्र विजेन्दर सिंह, श्रीमती अंजू तँवर (सह–आवेदक), पत्नी श्री जीतेन्दर सिंह, श्री जीतेन्दर श्रीवास्तव (गारन्टर), पुत्र राम चन्दर श्रीवास्तव	फ्लैट नं. 01 डी, चौथा तल, मंगलम अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. 318, गौतम बुध नगर, सेक्टर–70, नोएडा (उत्तर प्रदेश) चौहद्दीः उत्तरः अन्य प्लॉट, दक्षिणः गैलरी, पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः फ्लैट नं. 2 डी	8.6.2019	2988254.00	22.8.2019

ऋणधारकों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उगाही की तिथि तक उस पर आगे के ब्याज के साथ प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित राशि के लिए सीएफएचएल के चार्ज के अधीन होगा।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि.

तिथिः 22.8.19, स्थानः गुरूग्राम

epaper.jansatta.com

अनुच्छेद 370, तीन तलाक और ईडब्लूएस आरक्षण रहेंगे अहम मुद्दे

परिचर्चा में गरजेंगे वाम-दक्षिण और आम

सुशील राघव
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

छह सितंबर को होने वाली अध्यक्षीय परिचर्चा में इस बार अनुच्छेद 370 को खत्म करने से लेकर कश्मीर के वर्तमान हालात, तीन तलाक, ईडब्लूएस आरक्षण से लेकर परिसर में दीवारों पर लिखने पर लगे प्रतिबंध चर्चा और बहस होना तय है। इसी एक झलक बुधवार को जेएनयू छात्र संघ चुनाव आयोग की ओर से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दिखाई दी। अध्यक्ष पद के सभी उम्मीदवारों ने बारी-बारी से अपनी बात मीडिया के सामने रखी।

आईशी बोस, वाम एकता

आईशी बोस ने कहा कि आज देश में धर्मनिरपेक्षता के वातावरण को खराब किया जा रहा है। दलितों और अल्पसंख्यकों की देश में ही नहीं परिसर में लिंचिंग हो रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि परिसर से एक नजीब नाम का छात्र गायब हो जाता है, जिसका आज तक पता नहीं चलता। बोस ने कहा कि जेएनयू में सीएसकैश को खत्म कर आइसीसी लाया गया, जहां शिकायतकर्ता जाने से डरते हैं क्योंकि वहां अपराधी का ही संरक्षण होता है। उन्होंने कहा कि वाम एकता विद्यार्थियों के मुद्दों को उठाने के लिए बनाई गई है।

जितेंद्र सूना, बापसा

सूना ने कहा कि आज देश में दबे-कुचलों को कभी गाय तो कभी श्रीराम के नाम पर मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिसर में लेफ्ट और राइट के बीच में आम छात्र पिस रहा है। जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तो उस समय पश्चिम बंगाल में वाम की सरकार थी लेकिन उन्होंने इस आरक्षण को लागू करने से मना कर दिया था और कहा था कि हमारे यहां जातिवाद नहीं है। सूना ने कहा कि परिसर में एससी और एसटी विद्यार्थी सबसे अधिक संख्या में पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने यूजीसी को यूनिवर्सिटी मनु कमीशन कहा।

जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरे (बाएं से) जितेंद्र सूना, प्रियंका भारती, आईशी बोसी, राघवेंद्र मिश्रा, मनीष जागिड़ और प्रशांत कुमार।

मनीष जांगिड़, एबीवीपी

मनीष ने कहा कि जो वाम संगठन एक साल में अपने छात्र संघ को ही अधिसूचित नहीं करा पाए, वो भला विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए क्या संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में दलितों और महिलाओं को अन्य लोगों की तरह समान अधिकार मिले हैं लेकिन इस पर कोई वाम संगठन नहीं बोलेगा। 1990 में जब श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा जलाया गया था तो एबीवीपी के दस हजार कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर तिरंगा फहराया था। उन्होंने कहा कि तीन तलाक जैसी कुप्रथा खत्म हुई है लेकिन इस पर भी यहां कोई नहीं बोलेगा।

प्रशांत कुमार, एनएसयूआइ

प्रशांत ने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने पर हमारे एबीवीपी के साथी जश्न मना रहे हैं लेकिन वे कश्मीर की जमीन को तो चाहते हैं लेकिन कश्मीरियों को नहीं। उन्होंने कहा कि लेफ्ट और राइट के बीच में आम विद्यार्थी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम जीतते हैं तो दो नए पदों को सृजित करेंगे जिनमें संस्कृति सचिव और खेल सचिव शामिल हैं। इससे परिसर के विद्यार्थियों को संस्कृति और खेल से जुड़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जेएनयू की जो दीवारें कभी बोलती थीं आज वे खामोश हैं। हम जीतने के बाद इन दीवारों पर फिर से लिखना शुरू करेंगे।

प्रियंका भारती, छात्र राजद

प्रियंका ने कहा कि मंडल कमीशन लागू होने के करीब बाद 20 साल बाद विश्वविद्यालयों में इसे लागू किया गया लेकिन ईडब्लूएस आरक्षण एक दिन में लागू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पांच लाख सालाना आमदनी वाला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब तो वो होता है जो बिना खाने के मरता है जैसे एक बच्ची भात-भात कहते हुए मर गई। उन्होंने कहा कि इस परिसर में हम जैसे एकलव्यों का अंगूठा कटाने के लिए कई द्रोणचार्य बैठे हैं जो साक्षात्कारों में अपना कमाल दिखाते हैं। उन्होंने वाम एकता पर वार करते हुए कहा कि इन्हें एकता की याद चुनावों के समय ही आती है। प्रियंका ने कहा कि वाम ने अगर संघर्ष किया होता तो जेएनयू की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन नहीं होती।

राघवेंद्र मिश्रा, निर्दलीय

राघवेंद्र ने कहा कि कुछ समय से जेएनयू के केंद्रीय पुस्तकालय में हर शुक्रवार को नमाज अता होती है। मैंने इसके खिलाफ छात्र संगठनों से लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन तक को लिखा है लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम पुस्तकालय को मस्जिद नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि जेएनयू छात्र संघ के कार्यालय में मार्क्स की फोटो तो है लेकिन गांधी की नहीं। अगर मैं जीतता हूं तो सबसे पहले यहां गांधी, सावरकर और गोलवलकर की तस्वीर लगाऊंगा। इसके अलावा हमारे उत्तर-पूर्व से कई महान लोग हुए हैं, उनकी भी तस्वीर यहां लगनी चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद 370 और तीन तलाक कानून पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यदि में जीतता हूं तो जेएनयू परिसर में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कराऊंगा।

एसएफआइ को मिली अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

- एसएफआइ की आईशी घोष अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरी हैं
- अब तक इस गठबंधन में आइसा अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ता था

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव में वामपंथी छात्र संगठन 'वाम एकता' के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। कई सालों से जारी इस एकता में इस बार अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआइ) के हाथ लगी है। एसएफआइ की आईशी घोष अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरी हैं। अब तक इस गठबंधन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ता था लेकिन इस बार उसे महासचिव पद की उम्मीदवार से संतोष करना पड़ा है। वहीं, उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवारी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन (डीएसएफ) को जबकि संयुक्त सचिव पद की उम्मीदवारी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआइएसएफ) को मिली है।

चुनाव में केंद्रीय पैनल के चार पदों पर 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। केंद्रीय पैनल के सभी चार पदों पर केवल वाम एकता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने ही उम्मीदवार उतारे हैं। इन दोनों संगठनों के अलावा हाल में ही छात्र राजनीति में प्रवेश करने वाले संगठन छात्र राष्ट्रीय जनता दल (सीआरजेडी) ने दो पदों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) केवल अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बिरसा आंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (बापसा) अध्यक्ष और महासचिव पद पर चुनाव लड़ रही है।

चुनाव अधिकारी की ओर से जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए छह, उपाध्यक्ष व महासचिव पद के लिए तीन-तीन और संयुक्त सचिव पद के लिए दो उम्मीदवार मैदान में हैं।

अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी ने मनीष जांगिड़ को, बापसा ने जितेंद्र सूना को, एनएसयूआइ ने प्रशांत कुमार को, छात्र राजद ने प्रियंका भारती को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि संस्कृत संस्थान में शोधार्थी राघवेंद्र मिश्रा अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उपाध्यक्ष, महासचिव व संयुक्त पद के लिए वाम एकता की ओर से क्रमशः साकेत मून, सतीश चंद्र यादव व मोहमद दानिश को और एबीवीपी की ओर से क्रमशः श्रुति अग्निहोत्री, सबरीश पीए और सुमंत कुमार साहू को उम्मीदवार बनाया गया है। छात्र राजद की ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए ऋषिराज यादव को उम्मीदवार बनाया है जबकि बापसा की ओर से महासचिव पद पर वसीम आरएस को मैदान में उतारा है।

छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक चार सितंबर को अध्यक्षीय परिचर्चा, छह को मतदान और 6 सितंबर रात 9 बजे से मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा और नतीजे 7 या 8 सितंबर को आएंगे।

अध्यक्ष पद पर राजीब रे और एके भागी के बीच मुकाबला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) पदाधिकारियों के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान होगा। इस बार वामपंथी और दक्षिणपंथी धड़े का सीधा मुकाबला है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) की ओर से एक बार फिर से निर्वतमान डूटा अध्यक्ष राजीब रे पर भरोसा जताया गया है। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शिक्षक संगठन एनडीटीफ ने अध्यक्ष पद के लिए एके भागी को उतारा है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। सुबह दस बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक मतदान होगा। इसके बाद शाम साढ़े छह बजे से मतगणना शुरू होगी जो देर रात तक चलेगी।

शाहबेरी : बिल्डर पर लगाई रासुका

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 28 अगस्त।

शाहबेरी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ प्रशासनिक सख्ती कड़ी हो गई है। इसी कड़ी में शाहबेरी के बिल्डर शाहबुद्दीन को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत निरुद्ध किया गया है। शाहबेरी में 17 जुलाई 2018 को जिस निर्माणाधीन इमारत के गिरने से दबकर नौ लोगों की मौत हो गई थी, उस इमारत का अवैध निर्माण शाहबुद्दीन ने किया था। बताया गया है कि अवैध इमारत बनाकर बेचने के मामले में संभवतः प्रदेश में रासुका की पहली कार्रवाई है।

सेक्टर-27 स्थित जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में बुधवार दोपहर डीएम बीएन सिंह और एसएसपी वैभव कृष्ण ने संयुक्त प्रेसवार्ता की। उन्होंने बताया कि मेरठ के लिसाडी गेट निवासी शाहबुद्दीन ने खसरा संख्या-5 में छह मंजिला टावर का अवैध निर्माण किया था। उसे पता था कि इमारत निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है। वह कमजोर है और कभी भी गिर सकती है। यह इमारत निर्माण के दौरान ही 17 जुलाई 2018 की रात करीब नौ बजे भरभरा कर गिर गई। इस इमारत के संपर्क में आने से एक अन्य इमारत भी गिर गई थी। मलबे में दबकर नौ लोगों की मौत हो गई थी। शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों को प्रशासन समेत ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने समय-समय पर चेतावनी भी दी है।

इसके बावजूद आरोपियों ने उस चेतावनी को दरकिनार कर आपराधिक कार्य किया। शाबहुद्दीन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उस पर पहले ही गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है। डीएम के मुताबिक गैंगस्टर मामले में शाहबुद्दीन की जिला न्यायालय से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

खट्टर का दावा, पांच साल में विकास की गति होगी दोगुनी

फरीदाबाद, 28 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी जन-आशीर्वाद यात्रा के 45वें विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत के बाद कहा कि पिछले पांच सालों में हमारी सरकार के कार्यकाल में विकास का पहिया थमा नहीं है। हमने बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं। उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों में विकास की गति को दोगुना किया जाएगा। विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है। उसके बाद विपक्ष के पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचा। जन-आशीर्वाद यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला कहते है कि प्रदेश में सुशासन की जो नीव मुख्यमंत्री ने रखी है, उससे चौतरफा विकास के रास्ते खुलें हैं।

मुख्यमंत्री ने पल्ला फरीदाबाद को करीब 400 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में निर्माणित होने जा रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर का शिलान्यास किया। इसकी स्थापना करीब 8 एकड़ से अधिक में होगी। उन्होंने बताया कि इमारत का निर्माण दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना का शिलान्यास करने से पहले मुख्यमंत्री का पल्ला में जोरदार स्वागत किया गया। आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद क्षेत्र को भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल में विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ते हुए विकास की अनेक परियोजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में जिस तरह का माहौल यात्रा में उन्हें देखने को मिला है।

पेड़ से पत्ते तोड़ने के विवाद में छात्र पर जानलेवा हमला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में पेड़ से पत्तियां तोड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद दसवीं कक्षा के एक छात्र की पिटाई मामला सामने आया है। घायल आदित्य राज इस समय अस्पताल में भर्ती है। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, जबकि बुधवार को पुलिस अधिकारी का कहना था कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। आरोपी स्थानीय हैं और वे अपने-अपने घरों से फरार है। आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए एक अदालत का रुख किया था लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 308 के तहत मामला दर्ज है और उनकी तलाश जारी है।

आदित्य राज के चचेरे भाई आदर्श ने पुलिस में दी शिकायत में कहा है कि जन्माष्टमी समारोह के लिए वे अपने भाई आदित्य और अन्य साथियों के साथ चंदन विहार स्थित एक मंदिर गए थे। वहां से लौटते समय उनमें से एक युवक ने अशोक वृक्ष से कुछ पत्ते तोड़ लिए। वहां विनोद नामक एक व्यक्ति कार में शराब पी रहा था। जब उसने पत्तों को तोड़ते हुए देखा तो उसने गुस्से में आकर अपनी कार को आगे पीछे कर आदर्श का रास्ता रोक लिया। आदर्श भागने लगा लेकिन आरोपी ने उसका पीछा किया। आरोपी ने चंदन विहार कालोनी के प्रवेश लार पर उसे पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। इस पर आदित्य और उसके अन्य चचेरे भाइयों ने हस्तक्षेप किया। आरोपी के साथ एक और व्यक्ति लाठी लेकर आया और आदित्य के सिर पर लाठी से कई बार हमला किया।

प्रेमिका के दोस्त को फंसाने के लिए खुद को गोली मारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

पंजाबी बाग इलाके में प्रेमिका की दूसरे युवक से दोस्ती एक युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने दूसरे युवक को फंसाने के लिए खुद को गोली मार ली। गोली मारने का आरोप प्रेमिका के साथ रहने वाले दूसरे युवक पर लगा दिया। पुलिस ने जांच के बाद खुद को गोली मारने वाले आरोपी और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 26 साल के गुलाम साबिर परिवार के साथ पंजाबी बाग इलाके में रहता है। उसका पिछले चार साल से इलाके की ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ दिनों पहले वह उत्तर प्रदेश में ठेकेदारी करने चला गया था। इसी दौरान दिल्ली में उसकी प्रेमिका ने पुनीत नामक एक अन्य युवक से नजदीकी बढ़ा ली। उत्तर प्रदेश से लौटने के बाद जब उसे यह बात पता चली तो उसने पुनीत को कई बार समझाया पर वह नहीं माना। इसके बाद आरोपी ने उसे फंसाने की साजिश रची। सोमवार शाम अपने दो दोस्तों को साबिर घर बुलाया। उन्हें योजना समझाने के बाद पुनीत को फोन कर घर आने के लिए कहा। पुनीत के आते ही तीनों उसे युवती से दूर रहने की धमकी देने लगे। लेकिन पुनीत ने मना कर दिया और वापस जाने लगा। इसी दौरान साबिर ने खुद को गोली मार दी और शोर मचा दिया कि पुनीत उसे गोली मार कर भागा है। अपनी पिस्तौल छिपाने के लिए उसने एक दोस्त को दे दी। जबकि दूसरे दोस्त को गवाह के रूप में अपने पास रखा जिसने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने साबिर को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू की।

'भारतीय प्रेस परिषद के फैसले का स्वागत'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया), इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूजपेपर इम्पलाइज ने संयुक्त रूप से भारतीय प्रेस परिषद की ओर से जम्मू-कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में न्यायोचित ठहराए जाने संबंधी अपने रुख में बदलाव करने का स्वागत किया है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (इंडिया) के अध्यक्ष अशोक मलिक, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष के विक्रम राव और नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूजपेपर इम्पलाइज के अध्यक्ष सी एम पापनई ने कहा कि प्रेस परिषद का यह दायत्वि है कि वह कठिन से कठिन समय में भी यह सुनिश्चित करे कि प्रेस की आजादी कायम रहे और उस पर अनावश्यक रूप से प्रतिबंध नहीं लगाए जाएं।

उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता के चाचा का बयान दर्ज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

अदालत ने बुधवार को उन्नाव बलात्कार मामले में पीड़िता के चाचा के बयान को दर्ज किया। मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर प्रमुख आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तीस हजारी अदालत के जिला जज धर्मेश शर्मा युवती के कथित अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। अदालत ने पहले मीडिया को बलात्कार से बचने वाले के नाम और पते, उसके परिवार और गवाहों और मामले के कुछ अन्य पहलुओं की रिपोर्टिंग से परहेज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 9 अगस्त को सेंगर पर महिला के अपहरण और बलात्कार के आरोप में आरोप तय किए थे। 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामले के तहत सुनवाई चल रही है।

पुरी पहले से ही हिरासत में, नहीं कर सकते आत्मसमर्पण : ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत से कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी आत्मसमर्पण करने की स्थिति में नहीं हैं जैसा कि उन्होंने अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में करने की पेशकश की है क्योंकि वे अन्य मामले में पहले से ही हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने यह बात विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष पुरी की एक अर्जी का विरोध करते हुए कही। इस अर्जी में पुरी ने हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण करने की अनुमति मांगी है।

'कांग्रेस को डूसू चुनाव में जीत का भरोसा'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारुन यूसुफ, देवेंद्र यादव और राजेश लिलोठिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) के उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का आह्वान किया कि वे एनएसयूआइ उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करें। तीनों कार्यकारी अध्यक्षों ने कहा कि कांग्रेस अभी चुनौती पूर्ण दौर से गुजर रही है और ऐसे वक्त में डूसू चुनाव जीतने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आगामी विधानसभा चुनावों में भी पार्टी पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी।

प्रदेश कांग्रेस के राजीव भवन स्थित कार्यालय में बुधवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें डूसू चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई।

आज भी प्रयोग हो रहे हैं हवा से चलने वाले मीटर : गोयल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

पानी के बिलों में उपभोक्ताओं को राहत दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। बुधवार को भाजपा नेता विजय गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को आज भी हवा से चलने वाले मीटर का प्रयोग करना पड़ रहा है। इन मीटर की वजह से पानी के बिल बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पानी के मीटर को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इस मीटर की वजह से ही उपभोक्ताओं को पानी नहीं आने की स्थिति में भी पानी का बिल देना पड़ रहा है। अब दिल्ली सरकार साढ़े चार साल बाद इस पर राहत देकर वाहावाही लूटने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने मांग कि जल बोर्ड की स्थिति पर दिल्ली सरकार एक श्वेतपत्र लेकर आए ताकि पानी की स्थिति जनता के सामने साफ हो सके। इस बार दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड की विफलताओं को दबाने के लिए राहत की घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि इस मीटर की वजह से उपभोक्ताओं को बीते सालों में भारी बिल भुगतान करने पड़े हैं। इसकी लगातार शिकायत सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए आरडब्लूए संगठनों के साथ मिलकर एक विशेष हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा और दिल्ली सरकार की पोल खोली जाएगी। इस प्रेसवार्ता में आरडब्लूए प्रतिनिधि सौरभ गांधी व भाजपा नेता गुलशन विरमानी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 20 हजार लीटर तक मुफ्त पानी देने की योजना भी बेईमानी है क्योंकि दिल्ली के सात लाख उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं। इस वजह से उन उपभोक्ताओं को प्रोविजनल बिल भेजे जा रहे हैं।

खबरों में शहर

कांग्रेस व्यापारी संगठन के नेता 'आप' में हुए शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

कांग्रेस व्यापारी संगठन के नेताओं ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) की सदस्यता ली। पार्टी प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने इन नेताओं को पार्टी की टोपी व पटका पहनाकर स्वागत किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से आए नेता रिठाला विधानसभा से संबंधित हैं। इस मौके पर विधायक महेंद्र गोयल भी उपस्थित थे। पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुशील चौधरी, रिठाला व्यापार समिति के अप्रधान जेके अग्रवाल व्यापार समिति के सचिव बीपी सिंह और महेश रोहिला शामिल थे। सुशील चौधरी ने कहा कि आप पार्टी ने बीते 5 साल में दिल्ली के जनहित के लिए काम किए हैं। दिल्ली सरकार के काम से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री डीयू के कॉलेजों का आर्थिक संकट दूर करें : गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध कॉलेज गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल से अनुरोध किया कि इन कॉलेजों को आर्थिक संकट से उबरने के लिये अविलंब अनुदानतथा वित्तीय संस्वीकृतियां (सेंक्शंस) जारी करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का यह प्रमुख दायित्व है कि वे इन कालेजों के विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करे।

पंजाबी, उर्दू व संस्कृत अनिवार्य नहीं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली 28 अगस्त।

दिल्ली सरकार स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत पंजाबी, उर्दू व संस्कृत में से किसी भी विषय की पढ़ाई अब नहीं होगी। दो सालों से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से लड़ा जा रहा मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता मनजीत सिंह जीके ने अदालत में इस हार का ठीकरा मौजूदा डीसीजीपीसी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा पर फोड़ा है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

इंडिया एक्सपो सेंटर : 'वाटर एक्सपो-2019' में जल प्रबंधन से जुड़े मशीनों पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी और पानी पर चर्चा का आयोजन, हॉल नंबर 9, इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उद्घाटन सुबह 10 बजे।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : अफ्रीका पर लिखी पुस्तक पर चर्चा, सभागार-1, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : पेरु में कपड़े की बुनाई परंपरा पर कला प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी, कमला देवी ब्लाक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, एक सितंबर तक।

कश्मीर घाटी में हाई स्कूल खुले, छात्र नदारद रहे

श्रीनगर, 28 अगस्त (भाषा)।

कश्मीर घाटी के उन क्षेत्रों में बुधवार को हाई स्कूल खोल दिए गए जहां पर प्रतिबंधों में ढील दी गई है। बहरहाल, छात्र नदारद रहे।

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के फैसले के बाद से लागू प्रतिबंधों की वजह से घाटी के हाई स्कूल तीन हफ्ते से ज्यादा समय से बंद थे। अधिकारियों ने बताया कि आज सबुह हाई स्कूल खोल दिए गए। बहरहाल इन स्कूलों में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति देखी गई।

इससे पहले मंगलवार को जम्मू-कश्मीर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की निदेशक सेहरिश असगर ने कहा था, 'शिक्षा विभाग ने कल से घाटी के उन इलाकों में सभी हाई स्कूलों को खोलने का फैसला किया है जहां प्रतिबंधों में ढील दी गई है।' घाटी के 81 थाना क्षेत्रों से लोगों के आवाजाही पर लगी रोक भी अब हटा ली गई है। स्कूलों की स्थिति पर जानकारी देते हुए शिक्षा के निदेशक यूनिस मलिक ने मंगलवार को बताया कि पूरी घाटी में 3,037 प्राथमिक और 774 माध्यमिक स्कूल खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत एक हफ्ते में स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

अधिकारियों ने बताया कि घाटी में संचार पर रोक में कुछ हद तक ढील गई है। सुधरते हालात के मद्देनजर अधिकतर इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल कर दी गई है। अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने के केंद्र के पांच अगस्त के फैसले के बाद से बीएसएनएल ब्रॉडबैंड एवं निजी लीज लाइन इंटरनेट सहित मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।

सांप के काटने से दंपति सहित तीन श्रद्धालु मरे

बीकानेर, 28 अगस्त। बीकानेर जिले के छत्तरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में एक दंपति सहित तीन श्रद्धालुओं की सांप के काटने से मौत हो गई।

जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने बुधवार को बताया कि श्रीगंगानगर जिले से रामदेवरा जा रहे तीन श्रद्धालुओं की सांप के काटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान राजू राम, चुन्नी लाल, उनकी पत्नी राधी देवी के रूप में की गई है। श्रद्धालुओं का एक जत्था मंगलवार की रात को मोतीगढ़ के मंदिर परिसर में रात्रि विश्राम के लिए रुका था।

Invitation for Expression of Interest to submit Resolution Plan for

Lanco Solar Private Limited

Addendum to Advertisement published on July 29, 2019

This is in reference to the advertisement inviting Expression of Interest ('EOI') to submit Resolution Plan for Lanco Solar Private Limited ('Corporate Debtor') published in **Jansatta** on **July 29, 2019** **('Main Advertisement).**

The Last date of submission of EOI as specified in the Main Advertisement stands extended upto 6.00 PM on September 16, 2019.

An updated Form G is available on the website of the Lanco Group (Relevant Link: http://www.lancogroup.com/DynTestform.aspx?pageid=130) and on the website of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Relevant Link: https://www.ibbi.gov.in/). The Committee of Creditors/Resolution Professional reserves the right to cancel or modify the process without assigning any reason and without any liability whatsoever. This is not an offer document.

In case of any further queries, the interested party may communicate at iplancosolar@gmail.com

Sd./-
Huzefa Fakhri Sitabkhan
Resolution Professional
Lanco Solar Private Limited
Registration No.:
IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115

Place: Mumbai
Date: August 29, 2019

सिडनी में चोरी के आरोपी क्षेत्रीय निदेशक का एअर इंडिया से इस्तीफा

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

एअर इंडिया ने सिडनी हवाईअड्डे पर गत जून में एक दुकान से पर्स चुराते हुए कथित तौर पर पकड़े गए पूर्वी क्षेत्रीय निदेशक रोहित भसीन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एयरलाइन के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि एअर इंडिया में उनका अंतिम दिन 31 अगस्त होगा। अधिकारी ने कहा, 'भसीन का निलंबन सोमवार को निरस्त कर दिया गया था ताकि मंगलवार को उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा सके। निलंबन निरस्त करना केवल एक तकनीकी मामला था।' भसीन को निलंबित रखा गया था और गत 22 जून को इस घटना के बाद से उनके एअर इंडिया के परिसर में आने पर भी रोक लगा दी गई थी।

एयरलाइन के प्रवक्ता ने 23 जून को कहा था, 'यह प्रारंभिक रिपोर्ट है कि क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत एक कैप्टन रोहित भसीन को सिडनी में एक दुकान से पर्स चोरी करते हुए कथित तौर पर पकड़ा गया है।

कार्यालय: आय कर आयुक्त (न्यायिक)
कमरा सं. 162-ए, सी.आर. बिल्डिंग, नई दिल्ली
फोन एवं फैक्स: 23379308, ईमेल: delhi.cit.judicial@income tax.gov.in

एफ.नं.सीआईटी (जुडि)/एनसीएलटी मामले/2019-20/584 तिथि 14 अगस्त, 2019

एनसीएलटी मामले में मामलों की सुनवाई से संबंधित सूचना

एतद्द्वारा निम्न कंपनियों तथा उनके निदेशकों को सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी विषयों/मामलों के संदर्भ में नीचे तालिका में कॉलम सं. 4 में वर्णित तिथि को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई की जायेगी जिसके लिये वे आवश्यक अनुपालन करें।

क्रम सं.	मामला संख्या तथा मामले का टाईटल	अंतिम ज्ञात निदेशकों का नाम	सुनवाई की अगली तिथि
1.	अपील नं. 311/2017-आईटीओ वार्ड 18(1) बनाम आरओसी (मै. न्यूएज बिल्डवेल प्रा.लि.)	1. पवन कुमार 2. सुमित कौण्डल	1.10.2019
2.	अपील नं. 10/252/एनडी/2019-आईटीओ वार्ड 6(3) बनाम आरओसी (मै. कॉनफ्लक्स टेलीसर्विसेस प्रा.लि.)	1. नीरज पोद्दार 2. अरुण कुमार भारती	6.9.2019
3.	अपील नं. 11/252/एनडी-2019-आईटीओ वार्ड 6(3) बनाम आरओसी (मै. कोजी मार्केटिंग प्रा.लि.)	1. राकेश गोयल 2. राम नारायण साह	6.9.2019
4.	अपील नं. 105/252/एनडी/2019-आईटीओ वार्ड 6(3) बनाम आरओसी (मै. कूलेनहीट इंजीनियर्स प्रा.लि.)	1. यश पाल रहेजा 2. सुदेश रहेजा	2.9.2019
5.	अपील नं. 105/252/एनडी/2019-आईटीओ वार्ड 6(3) बनाम आरओसी (मै. कूलेनहीट इंजीनियर्स प्रा.लि.)	1. धीरज सभरवाल 2. सूरज प्रकाश	2.9.2019
6.	अपील नं. 106/252/एनडी/2019-आईटीओ वार्ड 6(3) बनाम आरओसी (मै. कवरेज मीडिया एन्टरटैन्मेन्ट प्रा.लि.)	1. सुजात हुसैन मल्लिक 2. बाबर आलम मल्लिक	26.9.2019

इस सिलसिले में इस सूचना के माध्यम से उपरोक्त कम्पनियों के प्रधान अधिकारियों/ निदेशकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सुनवाई की निर्धारित तिथि पर मानवीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष संबंधित सुनवाई में उपस्थित हों।

आपका भवदीय
हस्ता./-
(अमर जीवन)
आयकर अधिकारी
(न्यायिक)-3, नई दिल्ली

davp 15403/11/0006/1920

HDFC

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.
शाखा का पता: ब्रूक हाउस, 2रा तल, 9 शेक्सपिअर सारणी, कोलकाता 700071
टेली.: 033-22801980; 22815491-94; 23018300, फैक्स: 033-22806295,
वेब: www.hdfc.com

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (नियमावली) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. (एचडीएफसी लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तनः नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों, यहां नीचे सूचीबद्ध, को नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार संबंधित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधोहस्ताक्षरी ने इन सूचनाओं को उक्त ऋणधारकों/सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों के अंतिम ज्ञात पते पर चिपकवाया था। उक्त सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा उक्त ऋणधारक/सांविधिक उत्तराधिकारी/ सांविधिक प्रतिनिधि यदि ऐसा चाहें तो किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यावधि के दौरान अधोहस्ताक्षरी से उक्त सूचना की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सिलसिले में, एतद्द्वारा एक बार फिर से उक्त देनदारों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित सूचनाओं की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त देनदारों द्वारा निष्पादित, यदि कोई हो, ऋण अनुबंध तथा अन्य दस्तावेजों/ लेखों के साथ पठित रूप में कॉलम (घ) में वर्णित संबंधित तिथि से भुगतान एवं / अथवा उगाही की तिथि तक नीचे वर्णित आगे के ब्याज के साथ उनके नामों के समक्ष यहां नीचे दर्शाई गई राशि का एचडीएफसी लिमिटेड को भुगतान करें। ऋण के नियत पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में क्रमशः उक्त देनदार (रों) द्वारा निम्न प्रतिभूत परिसम्पत्तियां एचडीएफसी लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई है।

ऋणधारकों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋणधारकों/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम	कुल बकाया देयता	मांग सूचना तिथि	प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों का विवरण
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
1.	ऋणधारकः श्री नीलाब्रा मुखर्जी	30.6.2019 को रु. 2354299/-	13.8.2019	उस भूमि तथा उस पर वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण (उक्त सम्पत्ति) में अविभाजित आनुपातिक शेयर के साथ ग्राम सैन्टे माजरा में. खसरा नं. 37//21/1, 38//24, 25/1, 25/2, 25/3, 4, 5, 3/2, 40//15/2, 41//8, 9/1, 9/2, 3/1, 10/1, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 6, 7, 13/2, 1/3, 2, 42//1, 9/3, 10, खरार- लैण्ड्रन रोड, जिला मोहाली, खरार, एसएएस नगर, पंजाब, पिन 140301 में स्थित आवास परियोजना ''ऑचर्ड कन्ट्री'' के नाम से विदित में कार पार्किंग स्थान के साथ टावर-7 के 2रे तल पर अपार्टमेन्ट नं. 202 की सम्पत्ति, माप 1701 वर्ग फीट लगभग।

* आगे के ब्याज, 18% प्रति वर्ष की दर से यथा लागू के साथ अनुषांगिक चार्जेज, लागतों, प्रभारों भुगतान एवं/ अथवा उगाही की तिथि तक वहन की गई, के साथ। यदि उक्त देनदार एचडीएफसी लि. को उपरोक्त का भुगतान करने में विफल होते हैं तो लागतों एवं परिणामों के लिये उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों की सम्पूर्ण जोखिम पर एचडीएफसी लि. उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही करेगा।

उक्त देनदार (रों)/ सांविधिक उत्तराधिकारियों/ सांविधिक प्रतिनिधियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से एचडीएफसी लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/ अचल सम्पत्तियों को अंतरित करने से निषिद्ध किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन या उल्लंघन का प्रयास करते हैं तो वे अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा दंड के भागी बनेंगे।

तिथि: 29.8.2019
स्थान: कोलकाता

हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये
हस्ता./- देवजीत मुखोपाध्याय (प्राधिकृत अधिकारी)

पंजी. कार्यालयः रैमन हाउस, एचटी पारेख मार्ग, 169, बैकबे रिक्लैमेशन, चर्चगेट, मुम्बई-400020
कॉर्पोरेशन पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916

फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड CIN: U67190MH2007PTC168303
पंजी. कार्यालय: दानी कॉर्पोरेट पार्क, 5वां तल, 158, सी.एस.टी. रोड,
कालीना, सांताक्रुज (ई), मुंबई-400098, टेली.: 022-67412314, फैक्स: 022-67412313,
ई-मेल: info@phoenixarc.co.in, वेबसाईट: www.phoenixarc.co.in

परिसम्पत्तियों की ऑनलाईन ई-नीलमी बिक्री

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

बजाज फाइनांस लिमिटेड (बीएफएल) ने एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 3.12.2018 के माध्यम से फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-5 स्कीम I के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के पक्ष में ऋण सौंप दिया है तथा एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों जिनका विवरण नीचे तालिका में वर्णित है, को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका 23.5.2019 को फीनिक्स एआरसी के प्राधिकृत अधिकरी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की कम्पनी के बकाये की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' तथा ''जो भी वहां जैसा है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो, के साथ अचल सम्पत्ति का विवरण:

सम्पत्ति ''प्लॉट नं. 924, सेक्टर-15ए, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, एरिया माप 424.66 वर्ग यार्ड्स

ऋणधारक/कों एवं गारन्टर(रों) का नाम एवं पता	1. ई नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति का ईएमडी 3. बोली वृद्धि
श्री नीरज चौधरी, पुत्र श्री राकेश मोहन चौधरी एवं श्रीमती मोनिका चौधरी, पत्नी श्री नीरज चौधरी, दोनों: एच.नं.-781, सेक्टर-17-ए, गुड़गाँव, हरियाणा-122001 ऋण खाता संख्या: 4010HL07191340 कुल बकाया राशिः सम्पूर्ण भुगतान तक लागतों तथा चार्जेज के साथ 23.8.2019 से अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज के साथ 22.8.2019 को रु. 26210804.37/- (रुपये दो करोड़ बासठ लाख दस हजार आठ सौ चार एवं पैसे सैंतीस मात्र)	1. ई-नीलामी तिथिः 18 सित., 2019 को 12.00 बजे अप. से 1.00 बजे अप. तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ। 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि केवाईसी के साथ 16 सित. 2019 के 5.00 बजे अप. (आईएसटी) तक है। 3. निरीक्षण की तिथिः 6 सितम्बर 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. (आईएसटी) तक	आरक्षित मूल्यः रु. 1,57,50,000/- (रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख पचास हजार मात्र) ईएमडीः रु. 15,75,000/- (रुपये पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) बोली वृद्धि- रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) एवं उसके गुणकों में।

धरोहर राशि का भुगतान ''फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-5 स्कीम 1'' के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतान योग्य डीडी के द्वारा अथवा चालू खाता: 8612768219; कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, शाखाः कलीना, मुम्बई, आईएफएससी कोडः KKBK0000631 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा।

बिक्री के अंतर्गत परिसम्पत्तियों से संबंधित किसी स्पष्टीकरण/अपेक्षा के लिये बोलीदाता श्री निखिल जैन (+91-9560392937) या श्रीमती अंकिता शर्मा (+91-09999868258) अथवा सुश्री अनीशा शिन्दे (022-68492441) एवं श्री कुलदीप गुप्ता (+91 8588870051) से सम्पर्क करें।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया लिंक http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=ndcz देखें या फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात् www.phoenixarc.co.in एवं/अथवा https://phoenixarc.auctiontiger.net देखें।

प्राधिकृत अधिकारी
फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड के लिये
(फीनिक्स ट्रस्ट एफ वाई 19-5 स्कीम I के ट्रस्टी)

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 27.9.2019

Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd.

Regd. Office: 13/1207, Ansari Road, Saharanpur – 247001, (U.P.)

NOTICE

Notice is hereby given that 22nd Annual General Meeting (AGM) of the members of **SHIVALIK MERCANTILE CO-OPERATIVE BANK LIMITED** will be held on **Sunday, September 15, 2019 at 11:00 am at Hotel Royal Residency, Ambala Road, Saharanpur - 247001, Uttar Pradesh**, to transact the following business:

1. To confirm quorum of 22nd Annual General Meeting (AGM).
2. To grant leave of absence to members of the Bank, other than those whose names appear in the attendance register of this 22nd Annual General Meeting.
3. To confirm minutes of 21st Annual General Meeting of members of the Bank held on September 16, 2018.
4. To consider and approve Audited Annual Reports, which consist of the report of Statutory Auditors, Audited Balance Sheet and Profit & Loss Account, Report of the Board of Directors for the year ended March 31, 2019 and Cash Flow Statement as on March 31, 2019.
5. To appropriate Net Profit and to declare dividend as recommended by the Board of Directors for financial year 2018-19.
6. To review actual utilization of reserve and other funds for financial year 2018-19.
7. To take note of Loans & Advances outstanding against the Directors and their relatives during financial year 2018-19.
8. To appoint Statutory Auditors of the Bank for financial year 2019-20 and to authorize the Board of Directors to fix their remuneration.
9. To consider and approve Annual Budget for financial year 2020-21.
10. To consider and approve Long-Term Perspective Plan and Annual Operation Plan of the Bank for financial year 2020-21.
11. To present list of employees who are relatives of members of the Board or MD & CEO of the Bank.
12. To consider and approve forfeiture of shares of the members who are disqualified from being or continuing as members of the bank as specified in the Bye-Laws.
13. Any other items with the permission of Chair

Regd.Office:
13/1207, Ansari Road,
Saharanpur – 247001, Uttar Pradesh
Date: August 29, 2019

By Order of the Board of Directors
Sd/-
(Suveer Kumar Gupta)
MD & CEO

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

(Amount in ₹)

Capital & Liabilities	Schedule	Current Year 31.03.2019	Previous Year 31.03.2018	Properties & Assets	Schedule	Current Year 31.03.2019	Previous Year 31.03.2018
(1) Capital	1	57,33,72,300.00	45,69,82,300.00	(1) Cash in Hand & Balance With RBI	-	18,96,49,430.36	23,30,88,212.77
(2) Reserve Fund & Other Reserves	2	21,68,93,301.00	21,24,61,816.00	(2) Balances with Other Banks	6	93,80,55,704.61	80,90,73,131.70
(3) Deposits & Other Accounts	3	10,51,19,96,779.73	9,53,38,93,269.10	(3) Money at Call & Short Notice	-	24,00,00,000.00	56,00,00,000.00
(4) Borrowings -		7,82,00,000.00	-	(4) Investments	7	2,46,29,81,363.00	2,27,84,59,111.00
(5) Bills For Collection Being Bills Receivable As Per Contra	-	-	-	(5) Advances	8	7,15,23,51,768.44	6,11,61,09,802.41
				(6) Interest Receivable of which Overdue (on NPA)	9	13,36,69,054.46 5,11,16,808.15	12,52,55,503.88 4,18,71,888.68
(6) Branch Adjustments	-	-	-				
(7) Overdue Interest Reserves (on NPA)	-	5,11,16,808.15	4,18,71,888.68	(7) Bills Receivable being Bills for Collection as per Contra	-	-	-
(8) Interest Payable	-	11,07,282.51	10,01,574.51				
(9) Other Liabilities & Provisions	4	13,34,35,561.68	17,82,29,448.68	(8) Fixed Assets Less Depreciation	10	32,16,76,052.51	21,76,80,191.49
(10) Profit & Loss	5	4,75,94,568.24	5,06,13,813.96	(9) Other Assets	11	17,49,33,247.93	13,53,88,157.58
Grand Total		**11,61,37,16,621.31**	**10,47,50,54,111.13**				
Contingent Liabilities	**12**	**2,92,26,202.00**	**1,22,23,948.00**	**GRAND TOTAL**		**11,61,37,16,621.31**	**10,47,50,54,111.13**

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(Amount in ₹)

Expenditure	Current Year 31.03.2019	Previous Year 31.03.2018	Income	Current Year 31.03.2019	Previous Year 31.03.2018
INTEREST ON DEPOSITS, BORROWINGS ETC.	61,39,40,257.53	59,66,73,603.18	INTEREST & DISCOUNT	1,04,91,70,072.45	99,03,34,154.24
SALARIES, ALLOWANCES, PROVIDENT FUND, BONUS & GRATUITY ETC.	24,08,18,744.10	21,41,66,644.47	COMMISSION, EXCHANGE & BROKERAGE	41,40,946.68	11,35,352.74
RENT, TAXES, INSURANCE, LIGHTING ETC.	7,04,84,479.20	6,11,91,447.13	PROFIT FROM SALE OF NON-BANKING ASSETS	2,98,595.00	1,23,536.50
LAW CHARGES	90,550.00	8,58,123.00	PROFIT ON SALE OF SECURITIES	1,01,24,818.00	9,78,178.00
POSTAGE AND TELEPHONE CHARGES	2,56,66,705.49	1,54,05,089.34	OTHER RECEIPTS	9,12,82,017.09	7,02,69,161.74
AUDIT & CONSULTANCY FEES	4,38,70,825.85	3,16,09,324.22			
DEPRECIATION AND REPAIRS	4,40,29,327.27	3,18,83,928.76			
STATIONERY, PRINTING AND ADVERTISEMENT	75,64,528.01	54,47,789.91			
OTHER EXPENDITURE	6,02,95,365.48	5,07,42,661.58			
LOSS FROM SALE OF NON-BANKING ASSETS	1,90,234.00	4,02,476.00			
PROVISIONS FOR CURRENT YEAR	1,03,44,832.00	2,34,47,408.00			
PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS	(7,67,556.99)	(8,37,438.00)			
BALANCE OF PROFIT	**3,84,88,157.28**	**3,16,49,325.63**			
GRAND TOTAL	**1,15,50,16,449.22**	**1,06,28,40,383.22**	**GRAND TOTAL**	**1,15,50,16,449.22**	**1,06,28,40,383.22**
CONTINGENT PROV. AGAINST DEPRECIATION IN INVESTMENTS	**86,20,702.00**	**31,25,216.00**	**TRANSFERRED FROM INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE**	**86,20,702.00**	**31,25,216.00**

Independent Auditor's Report

To,
The Members,
Shivalik Mercantile Co-Operative Bank Ltd., Saharanpur

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of Shivalik Mercantile Co-operative Bank Ltd. (PAN: AAAAS3251Q) having Registered office at, Ansari Road, Saharanpur - 247001, which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, and the Profit and Loss Account, and the Cash Flow Statement for the year then ended as on date, and a summary of significant accounting policies, disclosures and notes on accounts. Out of 31 Branches, the returns of Head Office and its departments and 16 branches audited by us and rest of 15 Branches not audited by us but verified by us from centralised records maintained by head Office, are incorporated in these financial statements. All the Branches are covered under Concurrent/ Internal Audit department of the Bank. The branches and other departments audited by us accounts for 72.35 percentage of Advances, 80.01 percentage of deposits, 77.21 percentage of Income and 66.75 percentage of Expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the guidelines issued by the Reserve Bank of India and the guidelines issued by the National Bank for Agricultural and Rural Development, the Central Registrar of Cooperative Societies, the Multi State Co-operative Societies Act, 2002, the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002 (as applicable) and accounting principles generally accepted in India so far as applicable to Banks. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion:

6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements together with the Notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 and the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002 and the guidelines issued by the National Bank for Agricultural and Rural Development (as applicable) and guidelines issued by Reserve Bank of India and the Central Registrar of Cooperative Societies, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a) In the case of the Balance Sheet, of state of affairs of the Bank as at 31st March 2019;
b) In the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date; and
c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal & Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and the Multi State Co-operative Societies Act, 2002, the Multi State Co-operative Societies Rules, 2002.
8. As required by Section 73(4) of the Multi State Co-operative Societies Act, 2002, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found to be satisfactory;
b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches/offices;
c) The transactions of the Bank which came to our notice have been within the powers of the bank;
d) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and the returns;
e) The reports on the accounts of the branches/offices audited by the branch auditors have been forwarded to us and have been properly dealt with by us in preparing this Report – Not applicable in our case as the Bank has not appointed any separate Statutory Auditor for Branch Audits. We have reviewed the accounts of all branches as well as Head office.
f) The accounting standards adopted by the Bank are consistent with those laid down by accounting principles generally accepted in India so far as applicable to Banks;
g) In our opinion and according to information and explanations given to us, we have not noticed any material impropriety or irregularity in the expenditure or in the realization of money due to the bank.

9. As per the information and explanations given to us and based on our examination of the books of account and other records, we have not come across material instances which need to be reported under Rule 27(3) of the Multi State Cooperative Societies Rules, 2002.

Audit Memorandum – NIL
Place: Saharanpur
Date: June 15, 2019

For G.P. Gupta & Co.
Chartered Accountants
(Firm Regn. No.004998C)

Board of Directors Report:

The Board of Directors are pleased to present the 22nd Annual Report of Shivalik Mercantile Co-operative Bank Limited, along with the Audited Statements of Accounts for the financial year ended March 31, 2019 and the Auditors Report. During the year 2018-19, we opened 2 branches, one in MP and another in UP, there have been many improvements in systems and procedures of Banks functioning so as to ensure better compliance, rigorous monitoring and minimizing various credit and other risk. The Bank has worked hard during the year to switch over to Finacle CBS platform and went live on April 29, 2019. This has enabled Bank to offer better and wider range of services to the customers. Also, Shivalik Bank has become the first Co-operative bank in the country to make an application to transition to a Small Finance Bank under the guidelines released by the RBI for "Voluntary Transition of Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs) into Small Finance Banks (SFBs)" on September 27, 2018. The financial performance for FY 2018-19 is summarized hereunder. The deposit base as on March 31, 2019 stood Rs. 1051.20 Crores registering a growth of 10.3% as compared to prior year. Advances increased to Rs. 715.24 crore registering a growth of 16.9% as compared to the last financial year. Thus, total business stood at Rs. 1766.44 crores as against previous year's Rs. 1565.00 crores. Net Profit (after tax and provisions) has increased to Rs. 3.85 crore which represents a growth of 21.6% as compared to the previous financial year. This is driven by a growth in net interest income which represents long term sustainable income generation driven by the growth in the loan portfolio. Gross NPA reduced to less than 2% which highlights the quality of the loan book that has been built by our team. The Bank is well capitalized and has a Capital to Risk Asset Ratio (CRAR) as on March 31, 2019 at 13.07%. The Board of Directors are pleased to recommend a dividend of Rs. 8 per equity share of Rs. 100 each and entailing a pay out of Rs. 3.67 crore for the year ended March 31, 2019.

हताशा के कदम

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान की झुंझलाहट लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस मामले को उसने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के सामने भी रखा और मदद की गुहार लगाई, मगर कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। जो अमेरिका पहले मध्यस्थता करने की बात कर रहा था, उसने भी कह दिया कि यह दोनों देशों के बीच का मामला है, वे आपस में बैठ कर इसका समाधान निकालें। इस तरह पाकिस्तान हताश है। इसी हताशा में वह कुछ ऐसे कदम उठाने का प्रयास करता है जिससे भारत को सबक सिखाया जा सके, उसे परेशान किया जा सके। मगर अब तक के उसके सारे कदम बेअसर साबित हो चुके हैं। इसी सिलसिले में वह भारत के साथ अपने सारे हवाई मार्ग बंद करने पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री यह फैसला जल्दी ही करने वाले हैं। इससे संबंधित कानूनी पहलुओं पर विचार चल रहा है। मगर यह समझ से परे है कि ऐसा करके आखिर पाकिस्तान को हासिल क्या होगा! इससे महज उसकी कुछ खुनस ही मिटेगी।

अगर पाकिस्तान भारत आने-जाने वाले विमानों को अपनी सीमा से होकर नहीं गुजरने देने का फैसला करता है तो निस्संदेह विमानन कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा। मगर ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ भारत को नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी राजस्व घाटा उठाना पड़ेगा। फिर यह पहली बार नहीं होगा, जब पाकिस्तान अपने हवाई मार्ग भारत के लिए बंद कर देगा। बालाकोट पर हवाई हमले के बाद भी उसने ऐसा किया था। इसकी वजह से भारत से उड़ान भरने वाले विमानों को कुछ लंबा रास्ता तय करके दूसरे देशों में पहुंचना पड़ता था। मगर फिर उसने हवाई रास्ते खोल दिए। ऐसे फैसलों से विमानों को थोड़ा अधिक समय उड़ान भरनी पड़ती है, उनका खर्च बढ़ जाता है। जाहिर है, इसका असर मुसाफिरों पर भी पड़ता है। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करनी पड़ी हों। इसलिए अगर इस बार भी वह ऐसा फैसला करता है, तो भारतीय या दूसरी विमानन कंपनियों के लिए बहुत घबराने की बात नहीं होगी।

जब दो देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो इस तरह के फैसले संभावित होते हैं। पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कई कारोबारी रिश्ते तोड़ लिए थे। इसी तरह बालाकोट और फिर धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भी कई कारोबारी गतिविधियों पर विराम लगा दिया। अब वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार पर भी अंकुश लगाने पर विचार कर रहा है। वह भारत से अफगानिस्तान के लिए जाने वाली सड़कों को भी बंद करने पर विचार कर रहा है। जाहिर है, इससे वाणिज्यिक वाहनों को थोड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, जिससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा। पर पाकिस्तान को इसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले ही भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते खत्म होने से उसे बड़े पैमाने पर घाटा उठाना पड़ रहा है। वहां की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में खुनस में उठाए गए कदम उसके ही लिए परेशानी का सबब बनेंगे। इमरान खान जिस तरह खुद को पाकिस्तान की तरक्की के लिए समर्पित बताते रहे हैं, उससे लगता रहा है कि वे भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के पक्ष में हैं। पर हवाई रास्ते बंद करने और व्यापार रोक देने जैसे कदमों पर उनके विचार करने से यही जाहिर है कि वे बातचीत के जरिए समाधान के पक्ष में नहीं हैं।

हिंसा की जमीन

राजधानी दिल्ली सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार को पीट-पीट कर मार डालने की जो दहला देने वाली घटनाएं सामने आईं, उनसे एक बार फिर यह सवाल उठा है कि आखिर लोग इतने असहिष्णु और हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। किसी को बच्चा चोर समझ कर, तो किसी को डायन बता कर मार डालने की घटनाएं वाकई चिंताजनक हैं। पुरानी दिल्ली स्टेशन के बाहर मंगलवार को एक मदरसे के शिक्षक को पटरी पर दुकान लगाने वाले कुछ दुकानदारों ने पीट-पीट कर मार डाला। बात सिर्फ इतनी थी कि इस शिक्षक ने हेडफोन उठा कर देखा और पसंद न आने पर खरीदने से इंकार कर दिया। इसी को लेकर विवाद हो गया, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मुंबई में एक वृद्ध ठेले वाले को कुछ लोगों ने पीट-पीट कर इसलिए मार दिया कि उसने कुछ लोगों को वहां कचरा फेंकने से मना किया था। बिहार के नवादा जिले के एक गांव में एक वृद्ध महिला को डायन बता कर पीट-पीट कर मार डाला गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के संभल में भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। ऐसे ही एक मामले में मेरठ में एक महिला को बांध कर पीटा गया। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि देश में कैसा खौफनाक भीड़ तंत्र बन चुका है, जिसका कानून-व्यवस्था में न कोई भरोसा है, न ही उसका कोई खौफ।

ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में ज्यादा बढ़ी हैं। कभी 'गोरक्षक' कानून-व्यवस्था को हाथ में लेते हैं और 'गोतस्करों' को ठिकाने लगा देते हैं तो कभी बच्चा चोरी के शक में अनजान व्यक्ति भीड़ का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसी घटनाएं धर्म-विशेष के लोगों के साथ हुई हैं, जिन्हें 'जय श्रीराम' का नारा लगाने को मजबूर करते हुए पीट-पीट कर मार दिया गया। कुछ घटनाओं को लेकर तो कहा जा सकता है कि इन्हें अंजाम देने वाले किसी न किसी रूप में प्रेरित होकर ऐसा करते होंगे, लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस मदरसे के शिक्षक को हेडफोन पर विवाद के कारण मार डाला गया, वह ज्यादा गंभीर चिंता का विषय है। इस घटना को अंजाम देने वालों ने जरा भी नहीं सोचा कि कुछ रुपए की चीज के पीछे वे एक व्यक्ति को जिस तरह मौत के घाट उतार रहे हैं उसका हश्र क्या हो सकता है। इस घटना से हर आदमी के भीतर यह खौफ पैदा होना स्वाभाविक है कि रास्ते चलते न जाने क्या विवाद हो जाए और लोग पीट-पीट कर मार डालें! ऐसी घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लोगों में कानून-व्यवस्था का भय खत्म हो गया है। शायद वे जानते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। इस घटना में भी पुलिस ने कुछ पटरी दुकानदारों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। हैरानी की बात है कि भीड़ भरे बाजार में किसी ने उस शिक्षक को बचाने की कोशिश भी नहीं की।

समाज में बढ़ती इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति एक लोकतांत्रिक और सभ्य राष्ट्र के लिए शर्मनाक है। इस तरह की घटनाओं का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे साफ है कि देश में कानून-व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह गया है। ऐसी घटनाएं पुलिस और समाज दोनों के लिए चुनौती बन गई हैं। ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए कानून भी काफी हैं, लेकिन ठप तंत्र में सब बेअसर साबित हो रहे हैं।

कल्पमेधा

अहंकारी हमेशा केवल अपने महान कार्यों का वर्णन करता है और दूसरों के सिर्फ कुकर्मों का।

-स्पिनोजा

मतभेदों में उलझता जी-7

ब्रह्मदीप अलूने

जी-7 समूह के देश दुनिया में पूंजीवाद का प्रतीक हैं और इसमें रूस का होना या न होना भी बड़ा मुद्दा रहा है जो सदस्य देशों के बीच विरोधाभास को बढ़ाता रहा है। इस समूह के देशों की आपसी असहमतियों का आक्रामक कूटनीतिक प्रदर्शन भी चुनौतीपूर्ण रहा है। क्रीमिया पर रूस के आधिपत्य के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर वर्ष 2014 में रूस को जिस तरह से समूह से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसे लेकर भी आपसी मतभेद सामने आते रहे हैं।

वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर विचार और परामर्श के विकसित देशों के सबसे बड़े संगठन जी-7 का फ्रांस में शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर आयोजित हुआ जब अमेरिका की रूस से कूटनीतिक तकरार और चीन से आर्थिक तनाव चरम पर है। दुनिया के विकसित और अग्रणी राष्ट्रों के इस समूह में जहां एक ओर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय नीतियों को लेकर गहरे मतभेद सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युद्ध, राष्ट्रवाद, दक्षिणपंथ के उभार, मुक्त बाजार के साथ अप्रवासन का विरोध और परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने की होड़ के बीच शांति और समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता में गहरा अंतर्द्वंद्व दिखाई साफ नजर आ रहा है।

दरअसल, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, जर्मनी, जापान और इंग्लैंड जी-7 के सदस्य राष्ट्र हैं जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का इजहार करते रहे हैं। उच्च आय और विकास के उच्च पैमाने स्थापित करने वाले जी-7 के राष्ट्राध्यक्ष हर साल अलग-अलग देशों में शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं और आर्थिक गतिविधियों के साथ ही जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, सुरक्षा, पर्यावरणीय संकट जैसे सामाजिक सरोकारों और वैश्विक समस्याओं से जुड़े विषयों पर भी विमर्श करते हैं। इन सबके बीच यह भी दिलचस्प है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उभार के बाद महाशक्ति अमेरिका की भूमिका वैश्विक हितों से ज्यादा अमेरिकीवाद पर केंद्रित हो गई है और इसके प्रभाव से जी-7 भी अछूता नहीं है। जी-7 समूह के देश दुनिया में पूंजीवाद का प्रतीक हैं और इसमें रूस का होना या न होना भी बड़ा मुद्दा रहा है जो सदस्य देशों के बीच विरोधाभास को बढ़ाता रहा है। इस समूह के देशों की आपसी असहमतियों का आक्रामक कूटनीतिक प्रदर्शन भी चुनौतीपूर्ण रहा है। क्रीमिया पर रूस के आधिपत्य के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर वर्ष 2014 में रूस को जिस तरह से समूह से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसे लेकर भी आपसी मतभेद सामने आते रहे हैं। अब ट्रंप ने जी-7 को रूस के बिना अधूरा बताया है, वहीं अन्य देश ट्रंप की नीतियों को लेकर सहज नहीं लग रहे।

जी-7 दुनिया के औद्योगिक देशों का समूह है लेकिन इन देशों में से अधिकतर अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाबले वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत कम भागीदारी कर रहे हैं। भारत और चीन की चुनौती इस समूह के सामने बरकरार है। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश जर्मनी है और उसका मुस्लिम शरणार्थियों के प्रति उदार रवैया ट्रंप के आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोध में नजर आता है। जर्मनी के बड़े राजनेता जिकमार गैबरियल ट्रंप को शांति और समृद्धि के लिए खतरा बता चुके हैं। हाल में ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि फ्रांस गूगल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि फ्रांस की ओर से लगाया गया कर अन्यायपूर्ण ढंग से अमेरिकी टैक कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाला है। वहीं, फ्रांस का कहना था कि अन्य देशों की कंपनियां उनके यहां या तो कॉर्पोरेट कर देती ही नहीं हैं या देती भी हैं तो बहुत ही कम। करों को लेकर असहमति से उत्तेजित ट्रंप ने वाइन को लेकर फ्रांस की आलोचना करने से गुरेज नहीं किया और धमकी दी की उनका देश फ्रेंच वाइन के आयात पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका वाइन की खपत और आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वह जिन देशों से वाइन आयात करता है, उनमें फ्रांस भी शामिल है।

मध्य पूर्व को लेकर भी यूरोप और अमेरिका के मतभेद जगजाहिर हैं। ईरान संकट पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों चाह रहे हैं कि परमाणु करार टूटे नहीं। मैक्रों को जर्मनी और ब्रिटेन का भी समर्थन हासिल है। ये देश चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते सुधरें जिससे इलाके में तनाव कम हो। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से जापान और फ्रांस जैसे देश प्रभावित हुए हैं। फ्रांस चाहता है कि ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदी में ढील दी जाए जिससे तेल आयात का रास्ता साफ हो। इसके अलावा ब्रेग्जिट को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध खराब हो चुके हैं। ट्रंप की बयानबाजी ने ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति को प्रभावित किया है। ट्रंप ने ब्रिटेन से व्यापार को लेकर जहां बातचीत की बात कही, वहीं हाल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर अमेरिका ब्रिटेन के साथ व्यापार सौदा चाहता है तो उसे ब्रिटिश व्यापार पर से प्रतिबंध हटाना होगा। जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान जॉनसन ने स्वीकार किया कि अमेरिका में ब्रिटिश व्यवसायों के लिए बहुत बाधाएं हैं। ब्रिटेन की कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में बड़े पैमाने पर अवसर की संभावनाएं देखते हुए जॉनसन अमेरिकी नीतियों में सुधार के हिमायती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रक्षा क्षेत्र में यूरोप में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले ब्रिटेन ने अमेरिका समर्थित नाटो को हमेशा समर्थन दिया है। ब्रिटेन में कई अमेरिकी सैन्य अड्डे बने हुए हैं और दोनों देशों की सेना गृह युद्ध और आतंकवाद से प्रभावित कई देशों में सैनिक कार्रवाई में साझीदार भी रही है। इसके बाद भी आर्थिक हितों को लेकर दोनों देश आमने-सामने हैं। जाहिर है, न्यूयार्क और लंदन दुनिया के दो बड़े वित्तीय केंद्र भले हों लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के बीच व्यापार में सहयोग का भविष्य इतना आसान नहीं दिखता।

यूरोप की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था इटली के चीन से रिश्ते भी अमेरिका को नागवार गुजर रहे हैं। इस साल मार्च में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर इटली और चीन के बीच बंदरगाह, पुल और बड़े बिजली संयंत्र लगाने को लेकर हुए समझौते को भी ट्रंप के लिए झटका माना गया। रोम में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री गिउसेप कोंटे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में दोनों देशों के अधिकारियों ने उनतीस अलग-अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के साथ इटली बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला जी-7 समूह का पहला देश बन गया। चीन की इस परियोजना से अमेरिका ने दूरी बना रखी है। जहां तक जापान का सवाल है, अमेरिका और जापान के बीच व्यापारिक टकराव देखने को मिलता रहा है। येन और डॉलर की प्रतिद्वंद्विता दोनों देशों के आपसी संबंधों को चुनौतीपूर्ण बना रही है। इस साल ट्रंप ने जापान की यात्रा कर यह दावा किया था कि हम अमेरिका के निर्यात की बाधाएं और व्यापार असंतुलन को दूर करना चाहते हैं और हमारे संबंधों में पारस्परिकता सुनिश्चित करना चाहते हैं। ट्रंप ऊंची कर दरों की वजह से अमेरिका को होने वाले अरबों डालर के नुकसान के लिए जापान की आलोचना कर चुके हैं। इसी तरह जी-7 के एक और बड़े देश कनाडा के साथ भी अमेरिकी संबंध बद से बदतर देखे गए हैं। पिछले साल ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 'बेईमान और कमजोर' तक कह दिया था।

बहरहाल दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था का महत्त्व बरकरार है और उसके सहयोग के बिना साझा हितों की कल्पना नहीं की जा सकती। जाहिर है, ट्रंप को नियंत्रित और संतुलित रख ही जी-7 अपने उद्देश्यों में कामयाब हो सकता है लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जी-7 के अन्य देश अमेरिका से उदार नीति की अपेक्षा करते हैं, जबकि ट्रंप 'अमेरिकी फर्स्ट' के लिए कृत संकल्पित हैं।

कथा नए स्कूल की

प्रेमपाल शर्मा

दुनिया मेरे आगे

हाल में बुलंदशहर के अपने गांव के रास्ते में दोस्त ने बताया कि यहां खुर्जा और बुलंदशहर के बीच अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नए स्कूल खुले हैं। योजना तो पिछली सरकार की थी लेकिन बन कर अब तैयार हुए हैं। देखने की उत्सुकता हुई और गाड़ी उधर मोड़ दी। जीटी रोड के मुख्य सड़क मार्ग से गांव की पतली-पतली गलियों के बीच लगभग एक किलोमीटर का रास्ता पार करके हम स्कूल पहुंचे। ऐसी भव्य इमारत! चमाचम! बीस कमरे, सुंदर-सा प्रवेश द्वार, खेल का मैदान, नए लगे पेड़। मन ऊर्जा से भर गया।

लेकिन उत्साह ठंडा होने में भी देर नहीं लगी। स्कूल छठी से लेकर बारहवीं तक का है लेकिन अभी सिर्फ दो कक्षाएं ही चलती हैं- नवीं और दसवीं की। पिछले वर्ष सिर्फ नवीं कक्षा ही चल रही थी। क्यों? यहां तो चारों तरफ बच्चों के लिए स्कूल है ही नहीं और इतनी अच्छे स्कूल में दाखिला क्यों नहीं? 'क्योंकि सरकार ने दो साल में अभी सिर्फ एक शिक्षक दिया है। उसे शिक्षक मानो, प्रिंसिपल मान लो या क्लर्क, वही सभी कुछ है। स्कूल की अकेली शिक्षिका अचानक हमारे पहुंचने से अचकचा गई। फर्श पर एक साथ दो कक्षाओं के बीच में उनकी कुर्सी थी। एक तरफ नवीं क्लास के बच्चे तो दूसरी तरफ दसवीं के। काश हार्वर्ड, कैंब्रिज के शिक्षाविद हमसे भी कुछ सीख पाते कि कैसे अकेले शिक्षक के बूते भारत में पूरा स्कूल चलाया जाता है।

जब ठीक-ठाक कक्षाएं हैं तो फर्श पर क्यों बैठे हैं? यह पूछने पर शिक्षिका ने व्यावहारिक बात बताई- 'मैं बीच में बैठ कर दोनों क्लासों को दो भी संभाल लेती हूं।' हमने पूछा- क्या सभी विषय पढ़ा लेती हैं? तो वे बोलीं- 'क्या करें, मैं हूं अर्थशास्त्र की लेकिन बारी-बारी से सभी विषय पढ़ाने ही पड़ते हैं।' आप और शिक्षकों की मांग क्यों नहीं करते लिखित में? क्या डीएम और उच्च शिक्षा अधिकारियों को बताया? ऐसे प्रश्नों पर वे हकलाने लगीं कि कहीं कोई आफत न खड़ी हो जाए।

लब्बोलुआब यह कि बार-बार कहने के बावजूद न शिक्षक नियुक्त हुए ,न क्लर्क और इसीलिए जो बच्चे दाखिला लेना भी चाहते हैं मसलन छठी, सातवीं क्लास में, वे भी नहीं आ पाते। इस बारे में गांव के प्रधान को भी सारी हकीकत पता है लेकिन वे दिल्ली रहते हैं यानी कि उनकी पत्नी गांव की प्रधान बनी हैं और पूरे परिवार के साथ में दिल्ली में रहती हैं। प्रधानी के दायित्व गांव में उनके छोटे भाई संभालते हैं, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में खड़ाऊ प्रधानी। साल में असली प्रधान पत्नी तो मुश्किल से ही आती है, उनके पति कभी-कभी आते हैं जैसे पिछले बार एक सरकारी कार्यक्रम में पेड़ लगाने और फिर चुनाव के दौरान आए थे।

खुशी की बात यह थी कि बच्चों के चेहरे पर अद्भुत मुस्कुराहट थी। खिले-खिले ऊर्जा से भरे हुए। मानो घर के रोजाना के कामों से मुक्ति उन्हें स्कूल में रह कर ही मिलती हो। जुलाई के महीने में जरूर संख्या कुछ कम रहती है क्योंकि उन दिनों ये सब बच्चे खेतों में धान की रोपाई करने जैसे कामों में लगे रहते हैं। शिक्षिका समझदार लगती थीं क्योंकि उन्होंने कहा, इनके लिए पेट भरना ज्यादा जरूरी है बजाय स्कूल के और इसीलिए हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वाकई लड़कियों की कॉपी में लेख को देख कर लगता था, काश इनके पंखों को और उड़ने का मौका मिलता!

कुछ लड़कियां अपने मां-बाप के साथ घर पर सिलाई और कढ़ाई-बुनाई का काम भी संभालती हैं। जाहिर है, बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन सरकार और समाज की ऐसी नीयत, व्यवस्था और विवशता के चलते दुनिया की सबसे नौजवान आबादी अभी भी सबसे निरक्षर आबादी है। काश, कभी डीएम या शिक्षा अधिकारी भी मुख्य शहर से सिर्फ तीन किलोमीटर पर स्थित इस स्कूल का दौरा कर पाते! शायद उन्हें अपने आला अफसरों और नेताओं की खुशामद से ही फुर्सत नहीं मिलती! काश प्रधान गांव में ही रहता और दिल्ली से लोकतंत्र नहीं चलाता! और जब भी कि यह स्कूल मुख्य सड़क के किनारे होता जहां बच्चों के आने-जाने की सुविधा रहती।

पता लगा कि स्कूल बनवाने के लिए तो सरकार चार करोड़ रुपए तक देती है लेकिन जमीन ग्राम सभा जिसकी कीमत दस लाख से अधिक नहीं होगी। और ग्राम सभा वहीं जमीन देती है जो किसी बियाबान में उसके अधिकार में है। इसीलिए न स्कूल जाने के रास्ते सही होते हैं, न आबादी और जरूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। और न फिर उनकी खैर खबर ली जाती है। चार करोड़ का ठेका तो तुरंत पूरा हो गया, अल्पसंख्यकों के लिए किए जाने वाले कामों की भी खानापूर्ति हो गई, सही शिक्षा का सपना न जाने कब पूरा होगा।

चौपाल

बदलते सुर

कश्मीर से धारा 370 को निष्क्रिय किए जाने के बाद से ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सरकार को आड़े हाथों लेते रहे हैं। लेकिन अब अचानक उनका कैसे हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है? उनके स्वर एकदम बदल गए और वे सरकार के समर्थन कह रहे हैं कि मैं कई मामलों में सरकार से असहमत हूं पर कश्मीर में पाकिस्तान हिंसा भड़का रहा है और वह दुनियाभर में आतंकवाद के प्रमुख समर्थक बना हुआ है, कश्मीर का मसला भारत का आंतरिक मामला है इसमें किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अगर राहुल अब हकीकत को मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भले ही सरकार से अपनी वैचारिक भिन्नता बताई हो, किंतु देश के साथ उन्होंने सरकार के साथ खड़े होकर खुद, पार्टी, जनहित और देशहित में दिल से जो कहा वह सराहनीय है। इस तरह कांग्रेस ने एक बेहतर संदेश विपक्षियों को दिया है कि आंतरिक मतभेद चाहे कितने भी हों लेकिन राष्ट्रहित में हमें हमेशा सरकार के साथ एकजुट होकर खड़े होना चाहिए।

• *शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

बौखलाया पाक

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में वह दुनिया के दूसरे देशों के आगे इस मामले में दखल देने की फरियाद करता घूम रहा है। लेकिन सारी दुनिया पाकिस्तान की मंशा को जानती है, इसलिए किसी भी देश ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी और इस मामले में इसका साथ देने से भी इंकार कर दिया, यहां तक कि मुसलिम देशों ने भी इस मुद्दे पर उसका साथ देने से साफ मना कर दिया। इस बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी भी दे डाली। यह उसकी सबसे बड़ी नासमझी है। वह शायद भूल चुका है कि भारत के साथ हर युद्ध में उसकी करारी हार हुई है। जंग हमेशा नुकसानदायी होती है, पाकिस्तान के सत्ताधारी और कट्टरपंथी इस बात को क्यों नहीं समझते। बल्कि अगर पाकिस्तान को खुद एक बेहतर राष्ट्र बनना है तो उसे अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों पर नकेल कसनी चाहिए। पाक को यह बात याद रखनी चाहिए कि परमाणु बमों का असर आज तक नागासाकी और हिरोशिमा के लोग भुगत रहे हैं। परमाणु युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता।

• *राजेश कुमार चौहान, जलंधर*

सदुपयोग हो पैसे का

रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को पौने दो लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का फैसला किया है। देश का पैसा, देश को मिले और जनहित में अगर इसका सदुपयोग होता है तो यह निर्णय बहुत ही सराहनीय व स्वागत योग्य है। लेकिन अब तक जो भी देखने और सुनने में आया है कि केंद्र सरकार देश व जनहित में जितनी भी अच्छी योजनाएं बनाती है, पैसा देती है, उस पैसे का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होता है। चाहे वह बैंकों से कर्ज लेकर भाग जाने का मामला हो या इन योजनाओं में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी का मामला हो। केंद्र सरकार को अब व्यापक व समग्र रूप से यह प्रयास करना चाहिए कि पाई-पाई पैसे का सदुपयोग देश व जनहित में हो, ताकि सरकार के इस फैसले की आलोचना करने वालों का मुंह बंद हो सके।

• *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद (उज्जैन)*

अनूठी पहल

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने एक अनुकरणीय पहल करते हुए टीबी पीड़ित एक बच्ची के इलाज का पूरा खर्चा उठाने का संकल्प लिया और सबसे अच्छी बात यह रही कि तत्काल बाद राजभवन के कई अधिकारियों ने इसी तरीके की पहल करते हुए टीबी पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए गोद लिया। काश, आज भारत में सभी साधन संपन्न लोग अगर इसी तरीके से पहल करते हुए शिक्षा से वंचित या इलाज से वंचित गरीब बेसहारा बच्चों को गोद लेकर के उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उठा लें तो हम एक सशक्त और मजबूत समाज की स्थापना कर सकेंगे।

• *रमेश माहेश्वरी, सुल्तानपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कामयाबी का शिखर

कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कामयाबी के पीछे नहीं बल्कि कामयाबी उनके पीछे भागती है और ऐसे में वे आसमान में इतनी सीढ़ियां लगा लेती हैं कि उनके साथ चलने वाले काफी पीछे छूट जाते हैं। पीवी सिंधु, हिमा दास, दुती चंद से लेकर मैरीकॉम, सानिया मिर्जा और गीता फोगाट तक आसमान में चमकने वाले कुछ सितारे ऐसे ही हैं जो सफलता के उस मुकाम पर हैं जहां पहुंचना मुश्किल तो नहीं पर फिलहाल भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए आसान भी नहीं है। खेलों का हम सभी से नाता रहा है। देश में खेलों को प्रोत्साहन मिलने के कारण इन दिनों बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें करियर बना रही हैं। बात चाहे क्रिकेट या हॉकी की हो या तैराकी और फुटबॉल की हर क्षेत्र में प्रतिभाओं की भरमार है। लेकिन प्रतिभा तभी निखरती है जब उसे तराशा जाए। आज महिलाएं आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित और आत्मविश्वासी हैं जिन्होंने पुरुष प्रधान चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की है। वे केवल शिक्षिका, नर्स, डाक्टर न बन कर इंजीनियरिंग, वैमानिकी, सेना, पत्रकारिता जैसे नए क्षेत्रों को अपना रही हैं। राजनीति के क्षेत्रों में महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और अब इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ में बराबरी व्यवहार वाले जोड़े बन रहे हैं। नौकरी वाली नारी के साथ पुरुष की मानसिकता में भी बदलाव आया है। पहले नौकरी वाली औरत के पति को औरत की कमाई खाने वाला कह कर चिढ़ाया जाता था। लेकिन आज यह सोच बदल चुकी है। स्त्री अब आत्मनिर्भर है। महिलाओं के संबंध में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यदि आपको देश का विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज व देश का विकास स्वतः हो जाएगा।

• *अमन सिंह, बरेली*

कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। आज पूरी दुनिया के सभी देश कार्बन उत्सर्जन को कम करने में लगे हैं। इसके लिए वे न सिर्फ जीवाश्म ईंधन से अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, बल्कि सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा को बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं। भविष्य में इसका और विस्तार होगा जिससे करोड़ों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे।

खेल-खेल में बच्चों की पढ़ाई

मीना

'शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करें।' डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इन विचारों को मनु गुलाटी और आरती कानूनगो जैसी शिक्षिकाएं बखूबी निभा रही हैं। ये शिक्षिकाएं केवल रचनात्मक तरीके से पढ़ा ही नहीं रही हैं बल्कि छात्राओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनमें आत्मविश्वास कैसे पैदा किया जाए आदि विषयों पर भी काम कर रही हैं। सरकारी स्कूल की इन शिक्षिकाओं ने बच्चों को रचनात्मक तरीके से पढ़ाकर देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है।

संगीत और नृत्य से अंग्रेजी की एबीसीडी पढ़ाने वाली मनु गुलाटी को भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया था। वे दिल्ली सरकार के एसकेवी नंबर-दो स्कूल, पंजाबी बाग में पढ़ाती हैं। मनु गुलाटी टीजीटी होने के साथ-साथ अब परामर्शदाता शिक्षिका भी हैं। वे कहती हैं कि सरकारी स्कूल में जिस वर्ग से बच्चे आते हैं वो बहुत अमीर परिवारों के नहीं होते। इनके लिए अंग्रेजी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए बच्चों को अंग्रेजी सिखाना और आना बहुत रोचक होना चाहिए। ताकि बच्चे को उस भाषा से प्यार हो जाए। इसीलिए मैंने पढ़ाने के लिए संगीत और नृत्य का तरीका निकाला।

उनका मानना है कि पढ़ाने के लिए सृजनात्मकता जरूरी है। अगर पढ़ाने के तरीके रचनात्मक नहीं होंगे तो बच्चों के लिए शिक्षा उबाऊ बन जाएगी। मनु का अनुभव रहा है कि रचनात्मक तरीके से पढ़ाने से कक्षा में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है। अपने पढ़ाने के अलग अंदाज से मनु उस छवि को भी तोड़ रही हैं जिसमें ये माना जाता था कि सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं।

बच्चों के साथ मनु गुलाटी

संगीत और नृत्य से जुड़ते हैं बच्चे

मनु कहती हैं कि हम पहले अंग्रेजी गाने बच्चों को सुनाते हैं। इससे छात्राओं को शब्द याद होते हैं। इन्हीं को मैं नृत्य और संगीत के साथ सिखाती हूं। मेरे स्टेप्स डांस के शब्द के अनुसार होते हैं। जब यही प्रक्रिया बच्चे करते हैं तो वे उससे खुद को जोड़ पाते हैं और वो शब्द उन्हें याद रहते हैं। मनु का मानना है कि नंबर ही तरीका नहीं है ये देखने का कि किस बच्चे ने कितना सीखा। मेरे लिए जरूरी है कि जो भी मैं अपने बच्चे को करवा रही हूं उसमें मेरे बच्चे को आत्मविश्वास आए।

माहवारी की भ्रांतियों को तोड़ा

मनु जेंडर के मुद्दों पर भी काम करती हैं। वे कहती हैं कि लड़कियां घरों में अधिक रहती हैं इस वजह से उन्हें मालूम नहीं होता कि अगर बैंक जाएं तो कैसे लेन-देन करें या माहवारी को लेकर उनके अंदर बहुत से भ्रामक तथ्य होते हैं। इन सभी भ्रांतियों को तोड़ने का काम हम करते हैं। वे कहती हैं कि बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि उनमें किसी भी काम को करने के लिए आत्मविश्वास पैदा हो। जब बच्चे संगीत और नृत्य के माध्यम से सीखते हैं तो उनकी झिझक हटती है।

शिक्षक भी लगातार सीखें

वे कहती हैं कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक सभी भूमिकाएं निभाता है। वो मां, बहन, दोस्त, पिता कुछ भी हो सकता है। बच्चे बहुत संघर्ष से निकल रहे हैं। अगर कोई लड़की किसी समस्या से गुजर रही है तो हम उसके साथ बैठें और बात करें। मैं भावुक और सामाजिक मुद्दों पर बात करने में विश्वास करती हूं। जिंदगी में नंबर ज्यादा या कम मायने नहीं रखता बल्कि मायने ये रखता है कि मेरा बच्चा खुश रहे। वे कहती हैं कि सीखना केवल विद्यार्थी को नहीं है बल्कि शिक्षकों को भी लगातार सीखते रहना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थी तो हर पल होना ही चाहिए। तभी बच्चों को कुछ नया मिल पाएगा।

बदलाव

'टीचर इनोवेटर ऑफ द इयर 2018' और 'ग्लोबल टीचर प्राइज' की दौड़ में शामिल रहीं आरती कानूनगो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर में पढ़ाती हैं। उनका मानना है कि पढ़ाने के रचनात्मक तरीके (इनोवेशन) और शिक्षक दोनों साथ-साथ चलते हैं। सरकारी स्कूलों में एक कक्षा में 50 से 60 बच्चे होते हैं। उनका किसी बात को समझने का स्तर भी अलग होता है। कोई किसी बात को बहुत आसानी से समझ लेता है तो किसी को कोई बात समझाने के लिए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं और वही नए तरीके उस समय के लिए किसी शिक्षक के लिए रचनात्मकता होती है।

खेल-खेल में सिखाती हूं अंग्रेजी

अंग्रेजी की शिक्षिका आरती का कहना है कि मैं बच्चों को नाटक, कहानी, आर्ट एंड क्राफ्ट, कविता, संगीत आदि कई ऐसे तरीके हैं जिनसे उन्हें पढ़ाती हूं। वे कहती हैं कि किसी भी भाषा को सीखने का पहला तरीका होता है उसे सुनना। जब बच्चे सुनते हैं तो उनके लिए भाषा का अजनबीपन खत्म होता है। मैंने कई सारे खेल इजात किए जिनसे बच्चों को पढ़ाती हूं। आरती का कहना है कि जब शिक्षक किसी योजना के साथ कक्षा में जाएंगे तभी वे उसे कर पाएंगे। पढ़ाने के ऐसे तरीके ही रचनात्मकता कहलाते हैं।

छात्राओं को किया जागरूक

आरती पढ़ाने के अलावा छात्राओं को जागरूक करने का भी काम करती हैं। वे कहती हैं कि जब उन्होंने इस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था तब लड़कियां अक्सर अपने माहवारी के दिनों में छुट्टी कर लेती थीं। इस वजह से उनकी कक्षा में उपस्थिति कम हो जाती थी। उस वक्त ये जरूरी था कि छात्राओं को पहले स्कूल में लाया जाए। जब मैंने अपने पढ़ाने के तरीकों को कुछ अलग किया और जब लड़कियों को समझाया कि माहवारी आपके उनके लिए कोई मुसीबत नहीं है बल्कि सामान्य जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तब उन्हें और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, वे खुद कक्षा में आने लगीं। आरती का कहना है कि शिक्षक और अभिभावक बच्चों को अच्छे नंबर लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं। पर हमें ये समझना होगा कि अगर बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा तो नंबर भी अच्छे लाएगा। हमारा पहला फोकस होता है कि बच्चा अच्छे से किसी भी बात को समझे। वे कहती हैं कि बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षकों का सृजनात्मक होना बहुत जरूरी है। जब शिक्षक खुद नए प्रयास करते हैं तब बच्चे भी मेहनत करते हैं।

आरती कानूनगो

सफलता पाने के लिए इन बातों को ध्यान में रखिए

परामर्श

हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति का सफलता का अपना पैमाना होता है। कोई बहुत धन कमाना चाहता है तो कोई शक्तिशाली कुर्सी तक पहुंचना चाहता है। वहीं, कुछ लोग अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को कुछ सकारात्मक देना ही अपनी सफलता मानते हैं। किसी भी तरह की सफलता बहुत मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से प्राप्त की जाती है। अधिकतर सफल लोगों के अंदर कुछ चीजें या आदतें एक जैसी होती हैं। आप भी इनको अपनाकर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं।

बड़ा सोचें : अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें। बड़े विचार रखने वाले लोग ही सफल होते हैं। किसी ने कहा है कि बड़ा लक्ष्य तय करने से अधिक खतरनाक होता है, छोटा लक्ष्य तय करना। जब लक्ष्य ही छोटा होगा तो हमारे प्रयास भी छोटे होंगे। बड़े प्रयासों के लिए बड़े लक्ष्य के साथ बड़ी सोच भी जरूरी है।

काम और जीवन के बीच संतुलन बनाएं : अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाकर रखने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं। आपका काम बहुत जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है आपकी सेहत, दिमाग की शांति, घरवालों का प्यार, दोस्तों का अपनापन आदि। इनके बिना कोई व्यक्ति सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकता है।

जो पसंद है, वही करें : दुनिया के अधिकतर लोग आजीविका कमाने के लिए वह काम नहीं करते जिससे वह पसंद करते हैं। कुछ लोग तो जिस काम को पसंद नहीं करते हैं, वही कर रहे होते हैं। लेकिन सफल होने के लिए जरूरी है कि आप वही काम करें जिसे पसंद करते हैं। सबसे पहले अपनी पसंद को पहचाने और कोशिश करें कि उसी के माध्यम से अपनी आजीविका कमाएं। इससे आपको सफल होने में अधिक समय नहीं लगेगा।

विफलता से घबराएं नहीं : सफलता और विफलता एक सिक्के के दो पहलु हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए विफलता को गहराई से समझने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में विफलता आए तो घबराने की बजाए उससे सीख लें। कहते हैं विफलता से अच्छा शिक्षक और कोई नहीं हो सकता है।

नए विचारों को अपनाएं : कई बार लोग नए विचारों को अपनाने से घबराते हैं। सफलता की राह में यह एक बड़ा रोड़ा है। हमेशा नए विचारों को सुनने, समझने और जो बेहतर लगें उन्हें अपनाने को तैयार रहना चाहिए। नए विचार हमारी सफलता की राह को कई बार आसान भी बनाते हैं। क्योंकि सफल लोग चीजों को अलग तरह से करने के लिए जाने जाते हैं।

अपनी क्षमता पर भरोसा रखें : सफलता पाने के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि आप अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे और फिर सफलता आपके हाथों से फिसल सकती है। अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हुए, पूरी लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाएं। ऐसे में सफलता आपसे अधिक दूर नहीं रहेगी।

कड़ी मेहनत के लिए रहें तैयार : सफलता कभी भी आसान रास्तों पर चलकर प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए मेहनत सबसे जरूरी सामग्री है। इस सामग्री के बिना दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद नहीं चख सकता है। कई बार आपको अपनी सोच से भी ज्यादा मेहनत करनी होती है और उसी के बाद सफलता का मीठा फल प्राप्त होता है।

युवा शक्ति डेस्क

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में है उज्ज्वल भविष्य

सुशील राघव

किसी देश का विकास और उसकी उन्नति बहुत हद तक ऊर्जा क्षेत्र पर निर्भर करती है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की उपलब्धता देश के विकास को तेज गति प्रदान करती है। लेकिन बढ़ते प्रदूषण और घटते जीवाश्म ईंधन को देखते हुए पूरी दुनिया की निर्भरता नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा पर निरंतर बढ़ रही है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में नौकरियों की भरमार है। 2017 में भारत दुनिया के उन छह देशों में शामिल था जिन्होंने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 70 फीसद नौकरियां दी थीं। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजंसी (एआरईए) के मुताबिक, 2017 में भारत में सात लाख से अधिक नौकरियां इस क्षेत्र में युवाओं को मिली थीं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा के उपयोग की वजह से इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

योग्यता

नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बीवोक से लेकर पीजी डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमफिल और पीएचडी तक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जहां तक बीटेक में दाखिले का सवाल है जो इसके लिए विद्यार्थियों को विज्ञान विषयों में 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा जेईई मेन में भी पास होना आवश्यक है। यदि आइआइटी में दाखिला लेना है तो उसके लिए जेईई एडवांस्ड में पास होना जरूरी है। एमटेक या एमएससी में प्रवेश के लिए बीटेक की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं, बीवोक में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को 12वीं में विज्ञान विषयों के साथ पास होना अनिवार्य है।

अवसर

संस्थान

- जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली
- पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई
- भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, जयपुर
- तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल
- अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चेन्नई
- हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

वेतनमान

स्नातक पाठ्यक्रम करने के बाद इस क्षेत्र में 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी आसानी से मिल जाती है। वहीं, एमटेक या एमएससी करने वाले विद्यार्थियों को 40 से 45 हजार रुपए नौकरी मिल जाती है। मजदूर सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के पेशेवरों के वेतन में 2017 से 2025 तक 15 से 20 फीसद सालाना तक की बढ़ोतरी की संभावना है। युवा अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं।

पाठ्यक्रम

- एमएससी (नवीकरणीय ऊर्जा) • एमटेक (ऊर्जा अध्ययन)
- एमटेक (ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन) • एमटेक (ऊर्जा तकनीक)
- एमटेक (ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग) • एमटेक (ऊर्जा इंजीनियरिंग)
- एमटेक (अक्षय ऊर्जा इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन) • एमफिल (ऊर्जा)
- एमई (ऊर्जा इंजीनियरिंग) • पीजी डिप्लोमा (ऊर्जा प्रबंधन)
- एमवोक (अक्षय ऊर्जा तकनीक) • बीवोक (अक्षय ऊर्जा तकनीक)

नौकरी के विकल्प

- ऊर्जा इंजीनियर • ऊर्जा परीक्षक
- पीवी तंत्र स्थापनाकर्ता
- सौर उष्ण तंत्र स्थापनाकर्ता
- नवीकरणीय ऊर्जा बिक्री प्रतिनिधि
- सिस्टम इंजीनियर • एप्लीकेशन इंजीनियर
- प्रोजेक्ट इंजीनियर

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। देश में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इससे रोजगार भी तेजी से बढ़ रहा है। अगले कुछ सालों में इस क्षेत्र में लाखों की संख्या में नौकरियां उपलब्ध होंगी। जो विद्यार्थी आज इस क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा।
– ब्रिगेडियर (डॉक्टर) एसएस पाब्ला, कुलपति, बीएसडीयू

सूचनापट्ट

दाखिले

एसओएल, दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में स्नातक पाठ्यक्रमों की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां पढ़ाने जाने वाले पांच पाठ्यक्रमों बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स राजनीतिक शास्त्र और बीए ऑनर्स अंग्रेजी में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदकों को शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके बाद एसओएल का पहचानपत्र ऑनलाइन ही प्रिंट किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को विलंब शुल्क के रूप में 200 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।

अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2019

इग्नू, दिल्ली

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में जुलाई सत्र के लिए 150 से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इनमें सर्टिफिकेट से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर डिप्लोमा शामिल हैं। अधिकतर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है लेकिन कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सिर्फ ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकेगा। सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 15 जुलाई तक पंजीकरण किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के मुताबिक सभी पाठ्यक्रमों की संपूर्ण जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर मौजूद है।

अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2019

जामिया दूरस्थ, दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के दूरस्थ और मुक्त शिक्षा केंद्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। इस केंद्र में बीए, बीबीए, बीकॉम, बीकॉम (अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त), बीएड, एमकॉम, एमए, एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, एमए शिक्षा, एमए इतिहास, एमए मानव संसाधन प्रबंधन, एमए लोक प्रशासन, एमए राजनीतिक विज्ञान, एमए समाजशास्त्र और एमबीए पाठ्यक्रमों में दाखिले हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में भी प्रवेश लिया जा सकता है। बीएड और एमबीए में आवेदन 22 जुलाई तक ही किए जा सकते हैं। एमबीए की प्रवेश परीक्षा तीन अगस्त को और बीएड की प्रवेश परीक्षा चार अगस्त को आयोजित की जाएगी। केंद्र की ओर से एमबीए और बीएड को छोड़कर बाकी सभी पाठ्यक्रमों में आवेदन के साथ ही दाखिले की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अंतिम तिथि : 31 अगस्त, 2019

योग्यता परीक्षा

सीटेट-दिसंबर 2019

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटेट) का आयोजन 8 दिसंबर को होगा। पहला पेपर सुबह साढ़े नौ बजे से लकर दोपहर बारह बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर दो बजे से शाम चार बजे तक आयोजित होगा। पहला पेपर पहली से पांचवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जबकि दूसरा पेपर कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पास करना आवश्यक है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार सीटेट की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को दोनों में से किसी एक पेपर के लिए आवेदन करने पर शुल्क के रूप में 700 रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं, सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को दोनों पेपरों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 1200 रुपए देने होंगे।

अंतिम तिथि : 18 सितंबर, 2019

योग्यता परीक्षा

कैट-2019

भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) के स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा और शोध पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 24 नवंबर 2019 को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (कैट-2019) का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। कैट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 7 अगस्त से शुरू होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क के रूप में 950 रुपए और अन्य सभी उम्मीदवारों को 1900 रुपए का भुगतान करना होगा। उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र 23 अक्तूबर 2019 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। यह परीक्षा देश के 156 शहरों में आयोजित होगी।

अंतिम तिथि : 18 सितंबर, 2019

विधायकों के लिए आचार संहिता तैयार करेगी विधानसभा अध्यक्षों की समितियां

नवंबर में देहरादून में होने वाली पीठासीन अधिकारियों की बैठक में रिपोर्ट पेश करेंगी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली,28 अगस्त।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधान मंडलों के कामकाज को सुव्यवस्थित, कागजमुक्त बनाने, आचार संहिता बनाने एवं कार्यवाही में व्यवधान को समाप्त करने जैसे विषयों पर राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों की दो समितियां गठित करने की घोषणा की। ये समितियां इस साल नवंबर में देहरादून (उत्तराखंड) में होने वाले पीठासीन अधिकारियों की बैठक में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने बुधवार को संसदीय सौध में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति और भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठकों की अध्यक्षता की।

दोनों बैठकों के समाप्त होने के बाद मीडिया के लोगों से बात करते हुए बिरला ने कहा कि भारत में विधायी निकायों के तीस (30) पीठासीन अधिकारियों ने आज की बैठक में विचार-विमर्श किया और इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चाएं हुईं। सभी पीठासीन अधिकारियों की यह आम राय थी कि संसद और राज्य विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह हैं तथा अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर सभा में सार्थक चर्चा और विचार- विमर्श होना चाहिए। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य विधानमंडलों की बैठकों की सख्या बढ़ाने के साथ-साथ विधायी कार्य की उपयोगिता बढ़ाने को लेकर पीठासीन अधिकारियों के बीच आम राय थी। यह भी महसूस किया गया कि कानूनों को पारित करने के लिए विधानमंडलों में व्यापक और स्वस्थ चर्चा की आवश्यकता है और सभा को बिना किसी व्यवधान के अपना कार्य करने की जरूरत है। संवाददाता सम्मेलन में उनके साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि के विधान सभा अध्यक्ष भी मौजूद थे।

बिरला ने यह बताया कि पीठासीन अधिकारियों के बीच बनी आम सहमति को देखते हुए व्यवधानों पर रोक लगाने के लिए विधायी निकायों के लिए समान आचार संहिता बनाई जाएगी। इसके लिए पीठासीन अधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी जो विधान सभाओं के अध्यक्षों और विधान परिषदों के सभापतियों के साथ परामर्श कर- के देहरादून में होने वाले अगले सम्मेलन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

इस बैठक में डिजिटल सुविधाएं, कागजमुक्त कामकाज के कई सुझाव आए। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा की प्रक्रिया अलग अलग है, ऐसे में डिजिटल प्लेटफार्म ई सेवा युक्त पद्धति से व्यवस्था को समावेशी बनाया जाएगा। इस विषय पर विचार करने के लिए विधानसभा अध्यक्षों की एक समिति बनाई जाएगी जो इस पर रिपोर्ट तैयार करेगी।

बिरला ने कहा कि बैठक में सभी का मत था कुशलता से कम खर्च में बिना व्यवधान के सत्र अधिकतम चले। इस विषय पर भी एक कार्य निष्पादन रिपोर्ट तैयार करने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि संसद एवं राज्य विधान मंडलों में अच्छे शोध के माध्यम से कार्य कुशलता को बढ़ा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बैठक के विचारों में से कुछ बातों पर तो विधानसभाओं में नियमों के माध्यम से अमल किया जा सकता है । कुछ विषयों पर केंद्र सरकार से और कुछ बातों पर राज्य सरकारों से विचार विमर्श करना होगा।

उन्होंने जोर दिया कि नारेबाजी करना और आसन के समक्ष आकर हंगामा करना अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि निर्बाध रूप से चर्चा हो और अच्छे ढंग से बात रखना जरूरी है।

येचुरी को सुप्रीम कोर्ट से कश्मीर जाने की इजाजत मिली

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माकपा नेता सीताराम येचुरी को जम्मू-कश्मीर जाकर अपनी पार्टी के सहयोगी और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मुलाकात की अनुमति दे दी। अदालत ने केंद्र के इस तर्क को दरकिनार कर दिया कि इससे राज्य में हालात और बिगड़ सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने सरकार के दावे को दरकिनार करते हुए सवाल किया, 'आपको क्या दिक्कत हो सकती है यदि देश का कोई नागरिक वहां जाना चाहता है और अपने मित्र व पार्टी सहयोगी से मिलना चाहता है।'

पीठ ने कहा, 'यदि कोई नागरिक देश के किसी हिस्से में जाना चाहता है तो उसे वहां जाने का हक है।' केंद्र की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने माकपा नेता सीताराम येचुरी की घाटी यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि इससे वहां के हालात खराब हो सकते हैं। वहां हालात सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वामपंथी नेता की प्रस्तावित यात्रा राजनीतिक लगती है।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सीताराम येचुरी को सिर्फ अपनी पार्टी के सहयोगी से मिलने के लिए जम्मू-कश्मीर जाने की अनुमति दी जा रही है और यदि यह पता चला कि वे किसी दूसरी तरह की गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं, तो इसे अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। येचुरी की ओर से वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि वे लिखित में यह आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि वे तारिगामी से मिलने और उनका कुशल क्षेम मालूम करने के अलावा किसी अन्य तरह की गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे।

रामचंद्रन ने कहा कि तारिगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चार बार विधायक रह चुके हैं और उनकी चार अगस्त को अंतिम बार येचुरी से फोन पर बात हुई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका स्वास्थ्य खराब है। रामचंद्रन ने कहा, 'मैं (येचुरी) पार्टी का महासचिव हूं। वह (तारिगामी) चार बार के हमारी पार्टी के विधायक हैं। मैं उन्हें लेकर चिंतित हूं।' पीठ ने जब यह कहा कि वह येचुरी को तारिगामी से मिलने के लिए जम्मू- कश्मीर जाने की अनुमति देगी तो रामचंद्रन ने कहा, 'मैं(येचुरी) पहले भी गया था। उन्होंने (प्रशासन) मुझे हवाईअड्डे से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी।'

राहुल ने कुर्सी छोड़ी लेकिन ज्यादातर नेता नहीं हटे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

कांग्रेस में केवल अध्यक्ष बदला है जबकि पार्टी को चलाने वाले बाकी तमाम नेता अपनी-अपनी कुर्सी से पूरी शिद्दत से चिपके हुए हैं। लोकसभा में करारी शिकस्त के मद्देनजर राहुल गांधी ने तो पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ दिया लेकिन उनकी टीम के किसी नेता ने पद छोड़ना जरूरी नहीं समझा। अध्यक्ष पद पर उनकी ताजपोशी से लेकर उनकी विदाई तक साए की तरह उनसे चिपके रहने वाले उनकी युवा टीम के चमकते चेहरे अब भी बाकायदा अपनी कुर्सी पर डटे हुए हैं। पार्टी की कमान अब सोनिया गांधी के हाथों में आ गई है लेकिन बाकी कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ से लेकर नौजवान तक कोई भी कांग्रेसी नेता पद छोड़ने को तैयार नहीं दिखता। ऐसे में सियासी गलियारों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि टीम को बदले बगैर, महज अध्यक्ष बदल लेने से कांग्रेस के भाग्य बहुर जाएंगे?

लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद 25 मई को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश तो की ही, बताते हैं कि चुनावी हार के बावजूद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कुर्सी से चिपके रहने को लेकर राहुल ने अपनी नाराजगी जताने में भी संकोच नहीं किया। पार्टी हित के परे जाकर अपने बेटों के चुनावी टिकट के लिए पार्टी छोड़ने की धमकी देने वाले नेताओं के नाम भी उन्होंने बता दिए। लेकिन गांधी की इस बेबाकी के बावजूद किसी भी नेता ने चुनावी हार की जिम्मेदारी लेना जरूरी नहीं समझा। राहुल गांधी की युवा टीम के अहम चेहरों में कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला एक खास नाम हैं। सूत्रों की मानें तो महत्वपूर्ण मामलों में राहुल हमेशा सुरजेवाला की राय को तवज्जो देते आए हैं और सुरजेवाला ने भी जींद उपचुनाव में ताल ठोक कर यह साबित करने की कोशिश की कि पार्टी के लिए वे हर जगह खड़े होने को तैयार हैं। लेकिन लोकसभा की चुनावी हार के बाद सुरजेवाला अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। पार्टी ने उनकी भूमिका में कोई तब्दीली नहीं की है।

इसी प्रकार राहुल गांधी के जमाने में जनार्दन द्विवेदी की जगह संगठन महासचिव बनाए गए के सी वेणुगोपाल लोकसभा चुनाव के समय भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में थे और राहुल के इस्तीफा देने के बाद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने तक सामने रहकर पार्टी संगठन को चलाने का काम उन्होंने ही किया। अब सोनिया गांधी के आ जाने के बाद भी उनकी कुर्सी नहीं बदली है। संगठन महासचिव के तौर पर वे अपना काम देख रहे हैं।

कांग्रेस के पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राहुल गांधी के बेहद करीबी नेताओं में शुमार किए जाते रहे। कहते हैं कि यदि राहुल की चली होती तो कमलनाथ की जगह सिंधिया को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया होता। कांग्रेस में उनके कद व हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सपा-बसपा द्वारा गठबंधन से कांग्रेस को दूर रखने के फैसले के बाद राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के साथ उनको पार्टी महासचिव बनाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा। लोकसभा की चुनावी हार के बाद सिंधिया ने अपना पद तो त्याग दिया लेकिन अब सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस में भी उनको उतना ही वजन हासिल है। उनको महाराष्ट्र सरीखे महत्वपूर्ण चुनावी राज्य की उम्मीदवार चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दिव्या स्पंदना को कांग्रेस के सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले रोहतक के पूर्व सांसद दीपेन्द्र हुड्डा यह काम देख रहे थे। राहुल की टीम का हिस्सा बताए जाने वाले दीपेन्द्र बहुत कम वोटों से लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन पार्टी में उनकी अहमियत पहले की तरह ही कायम है और अब उनको हरियाणा कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। इसी प्रकार दिव्या स्पंदना के पद छोड़ने के बाद कांग्रेस का सोशल मीडिया संभालने वाले निखिल अल्वा भी अब भी अपनी भूमिका में डटे हुए हैं।

राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले के राजू अब भी पार्टी में अहम रोल निभा रहे हैं और अब भी उनकी गिनती राहुल गांधी के खास सिपहसलारों में की जाती है। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से केशव यादव हट गए लेकिन बाकी पूरी टीम जस की तस है। यही हाल लगभग अन्य तमाम संगठनों का भी है। ऐसे में पार्टी जानकारों का कहना है कि यह मानना गलत होगा कि केवल राहुल के अध्यक्ष पद छोड़ देने भर से कांग्रेस बदल जाएगी।

भाजपा हुई हमलावर, माफी की मांग

पेज 1 का बाकी

लोगों का गुस्सा सामने आया तो राहुल गांधी को अपने बयान से यू-टर्न लेना पड़ा।

दरअसल, रविवार को राहुल गांधी के एक ट्वीट को आधार बनाकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने अपने पत्र में दावा किया, 'अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर में लोगों की मौत का जिक्र किया था।' राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था, 'जम्मू-कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और नागरिक आजादी पर अंकुश लगाए हुए 20 दिन हो गए हैं। विपक्ष और मीडिया को तब जम्मू-कश्मीर के लोगों पर किए जा रहे कठोर बल प्रयोग और प्रशासनिक क्रूरता का अहसास हुआ, जब उन्होंने शनिवार को श्रीनगर का दौरा करने की कोशिश की।' पाकिस्तानी मीडिया ने राहुल गांधी के इस ट्वीट और बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इसके बाद शिरीन मजारी ने कहा, 'भारत के मुख्यधारा के राजनेताओं जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने स्वीकार किया था कि जम्मू-कश्मीर में लोग मर रहे हैं। वहां (कश्मीर) बहुत गलत हो रहा है।' इसके बाद मजारी ने संयुक्त राष्ट्र को इसका ब्योरा देते हुए पत्र लिखा। इसके बाद बुधवार को राहुल गांधी ने कश्मीर में हिंसा भड़काने व आतंकवाद का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। गांधी ने दो टूक कहा कि कई मुद्दों पर केंद्र की राजग सरकार से असहमत होने के बावजूद वह यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान या कोई दूसरा देश इसमें दखल नहीं दे सकता।

कोयला खनन में 100 फीसद एफडीआइ को केंद्र सरकार की मंजूरी

पेज 1 का बाकी

की 45 हजार सीटें बढ़ाई गई हैं। पिछले पांच साल में 82 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए और अब अगले तीन साल में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

जावडेकर ने बताया कि गन्ना किसानों को 60 लाख मीट्रिक टन शक्कर निर्यात करने के लिए निर्यात पर छूट देने का फैसला लिया गया है। 6,268 करोड़ रुपए की छूट दी जाएगी। यह राशि सीधे किसान के खाते में जाएगी। इससे लाखों गन्ना किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि देश में 162 लाख मीट्रिक टन शक्कर का सरप्लस स्टॉक है। इसमें से 40 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक में रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बैठक में एफडीआइ से जुड़े नियमों और प्रावधानों के उदारीकरण के लिए भी कई फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच 286 अरब डॉलर का रेकॉर्ड एफडीआइ भारत आया है। उसके पहले के पांच वर्षों में यह आंकड़ा 189 अरब डॉलर था। 2018-19 के अंतरिम आंकड़ों में 64 अरब डॉलर का एफडीआइ आया। एफडीआइ के उदारीकरण और लचीलेपन की दिशा में काम किया जा रहा है। भारत को निवेश का आकर्षक केंद्र बनाने के लिए यह अहम फैसले लिए गए।

मोदी की रूस यात्रा में अहम रक्षा व परमाणु समझौते की तैयारी

पेज 1 का बाकी

370 खत्म करने का भारत सरकार का संप्रभु निर्णय है और आंतरिक मामला है। रूस ने इस मुद्दे पर संरा सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में भी भारत का साथ दिया था। कुदाशेव ने कहा कि भारत और रूस-दोनों पक्ष रक्षा, व्यापार, असैन्य परमाणु क्षेत्र, ऊर्जा, हाइड्रो कार्बन सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में व्यापक चर्चा करेंगे। भारत स्थित रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबूसकिन ने कहा कि मोदी की यात्रा के दौरान मौजूदा असैन्य परमाणु सहयोग का विस्तार करने पर चर्चा होगी और दोनों देश कुडनकुलम परियोजना के तहत भारत में छह और परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए एक सामान्य समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं।

बाबूसकिन ने कहा कि मोदी की यात्रा के दौरान महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अफगान शांति प्रक्रिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ईरान दोनों अफगानिस्तान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश है और नई दिल्ली ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बड़ा सहयोग किया है। कुदाशेव और बाबूसकिन ने मोदी की रूस की आगामी यात्रा से पहले मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ब्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। लिपक्षीय मुद्दों के अलावा दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। रूसी राजदूत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक के दौरान दोनों देश के मध्य आपसी सहयोग के नए आयाम पर चर्चा होगी।

मंत्री समूह का गठन

पेज 1 का बाकी

मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक इस मंत्री समूह में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री जितेंद्र सिंह और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।

यह समूह जम्मू कश्मीर से संबंधित मुद्दों को देखेगा। मंत्री समूह दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में उठाए जाने वाले विभिन्न विकास, आर्थिक और सामाजिक कदमों के बारे में सुझाव देगा। मंत्री समूह की पहली बैठक सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटने और वहां स्थिति को सामान्य बनाने के लिए 15 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने बैठक की थी। दोनों प्रदेशों में संपत्ति और श्रमशक्ति के बंटवारे और विकास कार्यक्रमों को लेकर प्रमुखता से चर्चा की गई। दोनों प्रदेशों, खासकर लद्दाख क्षेत्र में जरूरी वस्तुओं के भंडारण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की गई।

कराची के ऊपर तीन विमानन मार्ग बंद किए पाकिस्तान ने

पेज 1 का बाकी

मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। प्राधिकरण ने 'नोटिस टू एअरमैन' में कहा है कि यह चार दिवसीय पाबंदी एक सितंबर को खत्म होगी।

विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने मंगलवार को ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के लिए विमानन क्षेत्र पर पूर्ण पाबंदी पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारत को उड़ान के लिए देश के विमानन क्षेत्र और अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए भू-मार्ग का इस्तेमाल करने से रोकने के विचार पर चर्चा की थी। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री इमरान खान करेंगे। पाकिस्तान ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शिविर पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के बाद फरवरी में अपना विमानन क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया था। उसने नई दिल्ली, बैंकाक और क्वालालम्पुर को छोड़कर बाकी उड़ानों के लिए 27 मार्च को अपना विमान क्षेत्र खोला था।

उत्तर प्रदेश के डीजीपी को महिला आयोग का नोटिस

पेज 1 का बाकी

डीजीपी से यह भी कहा है कि इस मामले की जल्द जांच कराई जाए और पीड़ित लड़की एवं उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। महिला आयोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयोग ने उन खबरों का संज्ञान लिया है, जिनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक विधि महाविद्यालय की छात्रा ने चिन्मयानंद पर 'यौन शोषण' का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया और पिछले तीन दिनों से वह लापता है। आयोग ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की वह निंदा करता है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसने कहा, 'इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम मामले का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नोटिस जारी कर मामले की जांच कराने और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।'

सुप्रीम कोर्ट का पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगा समीक्षा

पेज 1 का बाकी

इन दलीलों से असहमति व्यक्त की कि चूंकि वे न्यायालय में मौजूद हैं, इसलिए नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।

पीठ ने कहा, 'हम इस मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपेंगे।' पीठ ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि नोटिस जारी करने का 'सीमा पार से अप्रत्यक्ष परिणाम' होगा। अटार्नी जनरल का कहना था कि इस मामले को संविधान पीठ को सौंपते समय नोटिस जारी नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यहां होने वाली चर्चा को संयुक्त राष्ट्र ले जाया जाएगा। उनका इशारा संभवतः इस ओर था कि इस मामले की सुनवाई की ओर वे लोग संयुक्त राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करेंगे जो पड़ोसी देश सहित केंद्र के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

इस मुद्दे पर दोनों ही पक्षों के वकीलों में बहस के बीच ही पीठ ने कहा, 'हमें पता है कि क्या करना है, हमने आदेश पारित कर दिया है। हम इसे बदलने नहीं जा रहे।' अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली पहली याचिका अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर के एक अन्य वकील शाकिर शबीर भी इसमें शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर के एक प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कांफ्रेंस ने भी 10 अगस्त को राज्य की स्थिति में बदलाव को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। याचिका में दलील दी गई कि राज्य के नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं।

याचिका में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित और बाद में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश 'असंवैधानिक' है और इसे 'शून्य और अप्रभावी' घोषित करने का अनुरोध किया गया है। यह याचिका नेशनल कांफ्रेंस के लोकसभा सदस्य मोहम्म्द अकबर लोन और सेवानिवृत्त न्यायाधीश हसनैन मसूदी ने दायर की है। लोन जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं। हसनैन मसूदी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जिन्होंने 2015 में अपने फैसले में कहा था कि अनुच्छेद 370 संविधान का स्थायी हिस्सा है। अन्य याचिकाओं में कुछ पूर्व रक्षा अधिकारियों और नौकरशाहों ने इस संबंध में सरकार के फैसले को चुनौती दी है। इन याचिकाओं में भी राष्ट्रपति के पांच अगस्त के आदेश को असंवैधानिक और शून्य घोषित करने का अनुरोध किया गया है। यह याचिका गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकारों के समूह के पूर्व सदस्य प्रो. राधा कुमार, जम्मू कश्मीर काडर के पूर्व आइएएस अधिकारी हिंडाल हैदर तैयबजी, एअर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) कपिल काक, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक कुमार मेहता, पंजाब काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी व पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्ले ने दायर की है।

राज्य में देंगे 50 हजार नौकरियां : मलिक

पेज 1 का बाकी

मंत्रालय से कहा है कि ढूंढ़िए कि कश्मीर में विकास के लिए क्या-क्या हो सकता है। हर दिन मंत्रालयों की टीमें राजभवन आ रही हैं।' उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश नहीं आ रहा था। विकास में हम पीछे रह गए थे। उन्होंने कहा कि अगले छह महीने में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में इतना काम होगा कि पार वाले कश्मीर (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) के लोग भी कहने लगेंगे कि हम उन जैसा होना चाहते हैं।

मलिक ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और जल्द ही पाबंदियों को धीरे-धीरे उठा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 111 में से 81 पुलिस स्टेशनों में ढील दी जा रही है। तमाम जगहों पर दिन के वक्त कोई पाबंदी नहीं है। कई जगहों पर लैंडलाइन खुल गई है। इंटरनेट खोलने में शायद थोड़ा वक्त लगे। स्कूल खुल गए हैं, जहां उपस्थिति कुछ जगहों पर अच्छी है तो कुछ जगह कम है। जम्मू के सभी 10 जिलों में मोबाइल सेवा शुरू हो गई है। लद्दाख के दो जिलों में भी मोबाइल सेवा जारी है। ट्रांसपोर्ट सही से हो रहा है, अस्पतालों में इलाज हो रहा है, सारी जरूरी दवाएं हैं। अफवाहों में न आएं।

सत्यपाल मलिक ने कहा कि ये दिक्कतें पहले भी थीं। इन दिक्कतों को 10-20 दिन भुगत लें। हमारे लिए एक-एक कश्मीरी भाई की जान महत्त्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि एक भी आदमी की जान जाए। सीमा पार से आतंकवाद में 40 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यहां अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पाबंदियों को समझने की कोशिश करें। फोन, इंटरनेट आखिर किस काम आता है। यह आतंक फैलाने में हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। इसलिए इंटरनेट सेवा बहाल करने में वक्त लगेगा।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने राजनीतिक नौसिखिए की तरह व्यवहार किया। संसद में उन्हीं का नेता (अधीर रंजन चौधरी) कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मामला बता रहा था। वहां उन्हें (राहुल गांधी) उस नेता को टोकना चाहिए था और बैठा देना चाहिए था।

कश्मीर में मीडिया पर प्रतिबंध : केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस

पेज 1 का बाकी

के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर के पीठ ने कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन और कांग्रेस के कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिकाओं पर ये नोटिस जारी किए। इन सभी को एक हफ्ते के भीतर नोटिस के जवाब देने हैं। इस मामले में अब एक हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

भसीन की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा, इन प्रतिबंधों की वजह से सूचना के 'ब्लैक आउट' को 24 दिन हो गए हैं। भसीन ने मोबाइल इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं सहित हर तरह की संचार सेवाओं को बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, ताकि मीडिया के लिए पेशेवर तरीके से काम करने का माहौल बन सके।

भसीन ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को कश्मीर व जम्मू के कुछ जिलों में पत्रकारों और मीडिया कर्मचारियों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। ताकि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए)(जी) और 21 में प्रदत्त अधिकारों के तहत अपने पेशेवर अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें और कश्मीर घाटी के निवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

पूनावाला के वकील ने इससे पहले कहा था कि वे अनुच्छेद 370 पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि कर्फ्यू/प्रतिबंध और अन्य कठोर कदम वापस लिए जाएं। वकील ने यह भी कहा था कि लोग अपने परिवार के सदस्यों से बात करना चाहते हैं और उनका यह अधिकार है कि वे वहां के हालात में उनके ठीक होने के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

पूनावाला ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को हिरासत से रिहा करने का निर्देश देने का भी अनुरोध अदालत से किया था। इसके अलावा उन्होंने राज्य की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का भी अनुरोध किया था।

शाह ने कहा, पुलिस मामलों में दोषसिद्धि की दर 'बहुत ही दयनीय'

पेज 1 का बाकी

का इस्तेमाल समय की मांग है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीपीआरडी से राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर 'मॉडस आपरेंडी ब्यूरो' बनाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है और यह कि सरकार उन सभी आपराधिक मामलों में फोरेंसिक सबूत को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है जिनमें सात या उससे अधिक साल की कैद की सजा का प्रावधान है। गृहमंत्री ने कहा, 'दोषसिद्धि की स्थिति वाकई बहुत दयनीय है। मौजूदा समय में यह नहीं चल सकता। उसमें सुधार की जरूरत है और सुधार तभी हो सकता है जब जांच में अपराध विज्ञान साक्ष्य की मदद ली जाए।' उन्होंने कहा, 'यदि आरोपपत्र के समर्थन में अपराध विज्ञान साक्ष्य होते हैं तब न्यायाधीश और बचाव पक्ष के वकील के पास ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं। ऐसे में अपने आप ही दोषसिद्धि की दर सुधरेगी।' पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो गृहमंत्रालय के अंतर्गत आता है जिस पर पुलिस बलों के लिए कामकाज की नीतियां तैयार करने व प्रौद्योगिकीय हल सुझाने की जिम्मेदारी है।

उड़ी के गुरेज में पाकिस्तान के दो कमांडो मार गिराए

पेज 1 का बाकी

है। उसकी तरफ से जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। बुधवार को उड़ी के गुरेज सेक्टर में पाकिस्तानी फौज के विशेष कमांडो (एसएसजी) की टीम नापाक हरकत को अंजाम देने के फिराक में थी, लेकिन भारतीय सेना को इसकी भनक लग गई। भारतीय जवानों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एसएसजी के दो कमांडो को ढेर कर दिया।

घुसपैठ कराने के इरादे से पाकिस्तानी सेना मंगलवार से ही जम्मू-कश्मीर के उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघ कर रही है। भारतीय सेना ने भी उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। मंगलवार को तीन कमांडो मारे गए थे। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, बीते एक हफ्ते में एसएसजी के 10 कमांडो को मार गिराया गया है। इमरान खान की परमाणु बम से हमले की धमकियों के बीच पाक सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तानी सेना ने अपने 100 से ज्यादा एसएसजी कमांडो फोर्स को तैनात किया है। वहीं नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए पाक की बार्डर एक्शन टीम (बैट) और आतंकी मिलकर भारतीय सेना के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहे है। सुरक्षा एजंसियों के मुताबिक पीओके में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो फोर्स का पूरा समर्थन प्राप्त है।

शेयर बाजारों में तेजी थमी, शेयर सूचकांक 189 अंक टूटा

मुंबई, 28 अगस्त (भाषा)।

वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि रफ्तार सुस्त पड़ने की आशंका के बीच देश के शेयर बाजारों में पिछले तीन दिन से जारी तेजी पर बुधवार को विराम लग गया। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 189 अंक टूटकर बंद हुआ। इस दौरान धातु, ऊर्जा, बैंक और वाहन कंपनियों के शेयरों में नुकसान दर्ज किया गया।

कारोबारियों के अनुसार हाल की तेजी के बाद मुनाफावसूली और रुपए की विनिमय दर में गिरावट से बाजार पर असर पड़ा। खपत में नरमी और औद्योगिक वृद्धि दर हल्की रहने समेत अन्य कारणों से भी बाजार में नरमी का रुख रहा। इंडिया रेटिंग्स के देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कम कर 6.7 फीसद करने से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 30 शेयरों वाला सूचकांक 189.43 अंक की गिरावट के साथ 37,451.84 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 59.25 अंक घटकर 11,046.10 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका से दुनिया के अन्य देशों के शेयर बाजारों पर भी प्रभाव पड़ा। अमेरिकी ट्रेजरी बांड के रिटर्न में कमी की खबर से मंदी की आशंका बढ़ी है। बांड रिटर्न में कमी को आर्थिक संकुचन के रूप में देखा जा रहा है।

घरेलू बाजार में सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान यस बैंक को हुआ। उसका शेयर 7.47 फीसद नीचे आ गया। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज के बैंक के दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा निर्गम की रेटिंग घटाए जाने के बाद उसका शेयर नीचे आया। मूडीज इन्वेस्टर्स ने बैंक के परिदृश्य को नकारात्मक करार दिया है। वेदांता, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, एनटीपीसी और एचयूएल में भी 4.06 फीसद तक गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी, टीसीएस और एशियन पेंट्स में 2.61 फीसद तक की तेजी रही।

जीडीपी वृद्धि 6.7 फीसद रहने का अनुमान : इंडिया रेटिंग्स

मुंबई, 28 अगस्त (भाषा)।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने देश की जीडीपी वृद्धि की दर चालू वित्त वर्ष में 7.3 फीसद से घटाकर 6.7 फीसद रहने का अनुमान जताया है। इंडिया रेटिंग्स ने रपट में कहा कि मांग में नरमी, मानसून में देरी, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट, समयबद्ध तरीके से मामलों को सुलझाने में दिवाला व ऋणशोधन अक्षमता संहिता के नाकाम रहने से चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर में नरमी रहेगी।

‘आयकर-अधिभार वापसी में घरेलू निवेशकों के साथ कोई भेदभाव नहीं’

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि निवेशकों के कुछ वर्गों की एक सीमा से अधिक आय पर बढ़ा ‘र अधिभार वापस लेने से विदेशी फोर्टफोलिया निवेशकों और घरेलू निवेशकों के बीच कोई नया फर्क पैदा नहीं किया गया है। बोर्ड ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि कर के मामले में व्यवस्था का फर्क इस बार के बजट से पहले से था।

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालयः 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोनः 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com
शाखा का पताः डी-2, भू तल, सेक्टर- 3, नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301
फोन नं.: 7292013073, ई-मेलः noida@pnbhousing.com, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक/सह-ऋणधारक/गारन्टर का नाम	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1.	0016 6660002838	श्रीमती निर्मल मखीजा, श्री सचिन मखीजा, एवं श्री विनय मखीजा	3.6.2019	3.6.2019 को रु. 2595650.28	23.8.2019 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. 365, 2रा तल, शक्ति खंड-4, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014
2.	0016 6710002302	श्री भूदेव गुप्ता एवं श्री रोहित गुप्ता	16.5.2019	16.5.2019 को रु. 1412830.56	23.8.2019 (सांकेतिक)	शॉप नं. 14 एवं 15, प्लॉट नं. 116, सावित्री कॉम्प्लैक्स, मोहल्ला कोटियाल, मॉडल टाउन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009
3.	HOU/ NOI/ 0718/ 559822	श्री अजय कुमार तिवारी एवं श्रीमती शशि	3.6.2019	3.6.2019 को रु. 5800456.66	23.8.2019 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. 4/40, भू तल, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010
4.	0016 6700001556	श्रीमती उषा देवी एवं श्री रवि कुमार	2.5.2019	2.5.2019 को रु. 2347464.14	23.8.2019 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. 29, जज एन्क्लेव, अहिंसा खंड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014

स्थानः नोएडा, तिथिः 28.8.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार)
बागोर की हवेली, गणगौर घाट, उदयपुर-313001
दूरभाष : 0294-2523858, 2422567

डॉ. कोमल कोठारी स्मृति (लाइफ टाइम अचीवमेन्ट) लोक कला पुरस्कार

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर द्वारा डॉ. कोमल कोठारी स्मृति (लाइफ टाइम अचीवमेन्ट) लोक कला पुरस्कार हेतु वर्ष 2019-20 के लिये आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पुरस्कार स्वरूप 2.51 लाख रूपये के साथ शॉल एवं रजत पट्टिका प्रदान की जायेगी। यह पुरस्कार केन्द्र के सदस्य राज्यों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमण, दीव तथा दादरा नगर हवेली की लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्द्धन व परिवर्धन को बढ़ावा देने वाले जीवित भारतीय व्यक्ति (जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो) अथवा संस्था (जिसकी न्यूनतम पंजीकरण अवधि 10 वर्ष हो तथा कम से कम 10 वर्ष से पश्चिम क्षेत्र के सदस्य राज्यों में प्रदेश की लोक कलाओं के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार में सक्रिय योगदान कर रहा/रही हो) को देय होगा। पुरस्कार ऐसे दो व्यक्तियों/संस्था/संघ/संगठन में भी बाँटा जा सकता है जिन्हे पुरस्कार समिति विशिष्ट वर्ष में समान रूप से सम्मान प्राप्त करने का हकदार समझती हो।

पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था स्वयं आवेदन कर सकते हैं अथव कोई पंजीकृत और सक्रिय सांस्कृतिक संस्था किसी का नाम पुरस्कार हेतु नामांकित भी कर सकती है। भरे हुए आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय निदेशक, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, बागोर की हवेली, गणगौर घाट उदयपुर-313001 (राजस्थान) में दिनांक 30 सितंबर 2019 तक कार्यालय समय में पहुँच जाने चाहिए।

आवेदन पत्र व अन्य विवरण केन्द्र की वेबसाइट http:/www.wzccindia.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालयः नोएडा कॉम्प्लैक्स
ई-मेलः VJNOID@bankofbaroda.co.in

ई-नीलामी सूचना

1) निरीक्षण की तिथिः 25.9.2019, 2) धरोहर राशि (ईएमडी) तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 27.9.2019 के 4.00 बजे अप. से पूर्व, 3) ई-नीलामी की तिथिः 30.9.2019

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2) एवं नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका बैंक आफ बड़ौदा, नोएडा कॉम्प्लैक्स शाखा, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार बैंक के बकाये की वसूली के लिये 30.9.2019 को ‘‘जैसा है जहाँ है’’, ‘‘जो भी वहाँ है’’, तथा ‘‘वहां जो कुछ भी है आधार’’ पर बिक्री की जाएगी।

ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों का नाम एवं पता	मार्टगैजर (सम्पत्ति के स्वामी) के नाम के साथ प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि भुगतान की राशि	मांग सूचना तिथि 6.8.2018 के अनुसार बकाया देयता	31.7.2019 को वर्तमान बकाया	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
ऋणधारकः 1. श्री अशोक कुमार, पुत्र सतरंजन कुमार, 2. श्रीमती सम्पा, पत्नी अशोक कुमार, 3. मै. श्री राधा कृष्णा छोले भटूरे, प्रॉप. श्रीमती सम्पा, पत्नी अशोक कुमार, 4. मै. आदित्य मोटर्स प्रॉप. श्री आशीष कुमार, पुत्र अशोक कुमार पताः 1. अशोक कुमार- ई-67, साउथ अनारकली, वेस्ट, चन्दर नगर, दिल्ली- 110051 2. श्रीमती सम्पा- ई-67, साउथ अनारकली, वेस्ट, चन्दर नगर, दिल्ली- 110051 3. मै. श्री राधा कृष्ण छोले भटूरे- प्लॉट नं. 424, जागृति एन्क्लेव, दिल्ली-110092 4. मै. आदित्य मोटर्स- शॉप नं. 10, प्लॉट नं. 20, परमेश टावर कम्युनिटी सेन्टर, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092 गारन्टरः 1. श्री अशोक कुमार, पुत्र सतरंजन कुमार 2. श्रीमती सम्पा, पत्नी अशोक कुमार पताः 5. अशोक कुमार- ई-67, साउथ अनारकली, वेस्ट, चन्दर नगर, दिल्ली- 110051 6. श्रीमती सम्पा- ई-67, साउथ अनारकली, वेस्ट, चन्दर नगर, दिल्ली- 110051	श्रीमती सम्पा, पत्नी अशोक कुमार के नाम में नं. 163, 2रा तल, द भटनागर को-ऑपरेटिव हाउसि बिल्डिंग सोसायटी लि., चित्रा विहार के नाम से विदित कॉलोनी, दिल्ली- 110092 में स्थित आवासीय सम्पत्ति। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः सर्विस लेन पश्चिमः 30 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः प्लॉट नं. 164 दक्षिणः पार्क	आरक्षित मूल्य- रु. 144.00 लाख ईएमडी राशि- रु. 14.40 लाख	71260835100 0153 (अशोक कुमार एवं सम्पा)- रु. 8860919.77/- 71260621000 056 (मै. श्री राधा कृष्ण छोटे भटूरे) रु. 2499452/- 71260904100 0086 (मै. श्री राधा कृष्ण छोले भटूरे) रु. 2225251/- 71260621100 0050 (मै. आदित्य मोटर्स) रु. 03666900/-	8672227.77/- 2080891/- 1965368/- 3546541/- (31.7.2019 तक ब्याज सहित) + सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे का ब्याज, लागत एवं खर्चे	30.9.2019 12.00 दोप. से 2.00 बजे अप.
कुल				16665027.77	

ईएमडी का भुगतान खाता नं. 712601013000011 (खाता का नामः प्राधिकृत अधिकारी-नीलामी) आईएफएससी कोड- VIJB0007126 में आरटीजीएस/ एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से किया जाएगा। न्यूनतम वृद्धि राशि रु. 1,00,000/- होगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् https:www.bankofbaroda.com/e.auction.htm में दी गई लिंक तथा साथ ही पोर्टल 3) https:bob.auctiontiger.net एवं https://bapi.in देखें एवं प्राधिकृत अधिकारी, अमित तिवारी, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, नोएडा कॉम्प्लैक्स शाखा, एन-17, सेक्टर-18, नोएडा, सम्पर्क नं. 9175178968 से सम्पर्क करें।

स्थानः नोएडा — हस्ता./-
तिथिः 26.8.2019 — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

SmileShine™

NOVATEOR RESEARCH LABORATORIES LIMITED

(CIN: U24230GJ2011PLC064731)

Our Company was originally incorporated under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated April 01, 2011 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. Subsequently, Our Company was converted in to a public company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on April 12, 2019 and consequently name was changed to "Novateor Research Laboratories Limited" (NRLL) vide fresh certificate of incorporation dated April 22, 2019 issued by Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. For details pertaining to the changes of name of our company and change in the registered office, please refer to the chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page no. 94 of the Prospectus.

Registered Office: B-1001,10th Floor, Block B, Titanium City Center, Nr Sachin Tower, Anandnagar Rd,100 Ft Rd, Satellite, Ahmedabad 380015, Gujarat, India; **Tel. No.:** +91 79 4039 5888/ 63533 41117/99799 61759; **Email:** compliancenovateor@gmail.com, **Website:** www.novateor.com; **Contact Person:** Mr. Sandip P. Gohel, Company Secretary & Compliance Officer

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 18,72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF NOVATEOR RESEARCH LABORATORIES LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE ₹ 24/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 14/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 449.28 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR A CASH PRICE OF ₹ 24/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ 23.04 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 17,76,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 24/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 426.24 LAKHS (IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 38.72 %AND 36.74 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 174 OF THE PROSPECTUS.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 24/- PER EQUITY SHARE I.E. 2.4 TIMES OF THE FACE VALUE.
THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 6,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 6,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE "SECTION X- ISSUE RELATED INFORMATION" BEGINNING ON PAGE 174 OF THE PROSPECTUS.

ISSUE — OPENS ON AUGUST 30, 2019; FRIDAY — CLOSES ON SEPTEMBER 04, 2019; WEDNESDAY

ASBA* — Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!! — *Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. — Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.

UPI — Now available in ASBA for Retail Individual Investors

Please note that pursuant to SEBI Circular dated November 10, 2015 and bearing Reference No. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015 which shall be applicable for all public issues opening on or after January 01, 2016, all the investors can apply through ASBA process. Further, pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2019/76 dated June 28, 2019, Retail Individual Investor making application for the issue shall have to compulsorily use UPI as payment mechanism, while NIIs and QIBs can use Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process including through UPI mode (as applicable) by providing details of the irrespective bank accounts which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs"). For more details, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page no. 183 of the Prospectus.

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. NAVDEEP SUBHASHBHAI MEHTA AND MRS. TEJAL NAVDEEP MEHTA

LISTING: The Equity Shares offered through this Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE"). In terms of the Chapter IX Of The Securities And Exchange Board Of India (Issue Of Capital And Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended from time to time, our Company has received an approval letter dated August 16, 2019 from BSE Limited (the "BSE") for using its name in the offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of the Issue, the designated Stock Exchange will be BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Offer Document was filed with SEBI. However, the SEBI shall not Issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "Disclaimer Clause of SEBI" on page 164 of the Prospectus.

Disclaimer Clause of BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page 167 of the Prospectus.

IPO GRADING: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 95 of the Prospectus. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page no. 270 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

SIGNATORIES TO MOA AND AOA:

ORIGINAL SIGNATORIES		CURRENT PROMOTER	
Name	No. of Shares	Name	No. of Shares
Mr. Navdeep Subhashbhai Mehta	4,000	Mr. Navdeep Subhashbhai Mehta	14,28,858
Mr. Subhash Maganlal Mehta	3,000	Mrs. Tejal Navdeep Mehta	5,40,378
Mrs. Tejal Navdeep Mehta	3,000		

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: Authorized share capital of Rs. 488.00 Lakhs divided in to 48,80,000 Equity Shares of Face value of Rs. 10 each. Issued, subscribed and paid up share capital prior to issue is Rs. 296.21 Lakhs divided in to 29,62,170 Equity Shares of Rs. 10/- each. Proposed post issue paid up share capital Rs. 483.41 Lakhs divided in to 48,34,170 Equity shares of Rs. 10/- each.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FIRST OVERSEAS CAPITAL LIMITED 1-2 Bhupen Chambers, Ground Floor, Dalal Street, Mumbai-400 001 **Tel. No.:** +91 22 40509999 **Fax No.:** N.A. **Email:** rushabh@focl.in/ satish@focl.in/ mala@focl.in **Investor Grievance Email:** investorcomplaints@focl.in **Website:** www.focl.in **Contact Person:** Mr. Rushabh Shroff/ Mr. Satish Sheth/ Ms. Mala Soneji **SEBI Registration No.:** INM000003671	KARVY FINTECH **KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED** Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032 India **Tel. No.:** 1-800-3454001/ +91 40 6716 2222 **Fax No.:** +91 40 2343 1551 **E-mail:** einward.ris@karvy.com **Investor Grievance Email:** nrll.ipo@karvy.com **Website:** www.karisma.karvy.com **Contact Person:** Mr. M Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221	**MR. SANDIP P. GOHEL** Registered Office: : B-1001,10th Floor, Block B, Titanium City Center, Nr Sachin Tower, Anandnagar Rd,100 Ft Rd, Satellite, Ahmedabad 380015, Gujarat, India; **Tel. No.:** +91 79 4039 5888/ 63533 41117/99799 61759; **Email:** compliancenovateor@gmail.com; **Website:** www.novateor.com Investors may contact our Company Secretary and Compliance Officer and/or the Registrar to the Issue, i.e. Karvy Fintech Private Limited and/ or the Lead Manager, i.e. First Overseas Capital Limited, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, or/and non-receipt of funds by electronic mode etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Company, the Lead Manager, the SEBI and the Stock Exchange at www.novateor.com, www.focl.in, www.sebi.gov.in and www.bsesme.com respectively.

Availability of Application forms: Application forms can be obtained from the Issuer Company: Novateor Research Laboratories Limited, Lead Manager: First Overseas Capital Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bsesme.com

BANKER TO THE ISSUE & SPONSOR BANK: HDFC Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated August 26, 2019.

For Novateor Research Laboratories Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Navdeep Subhashbhai Mehta
Managing Director

Place: Ahmedabad
Date: August 28, 2019

Novateor Research Laboratories Limited subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.focl.in, the website of the BSE i.e. www.bsesme.com, and website of the Issuer Company at www.novateror.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 19 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस नई दिल्ली-110019
फोनः 011-41732000 / 41792800
वेबसाइटः www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आईएफसीआई लाग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड सीरीज-II, III, IV और V प्रमाणपत्र निवेशकों को प्राप्त नहीं हुए हैं / गुम हो गए हैं:-

क्र. सं.	धारक का नाम	फोलियो सं.	बांडों की सं.	विकल्प	प्रमाणपत्र सं.	डिस्टिंक्टिव सं. से-तक
इन्फ्रा सीरीज-II (बीटल)						
1	सुनीता मंगला	2066286	4	II	2034354	278299 – 278302
2	योगेश कुमार मंगला	2066287	4	II	2034355	278303 - 278306
3	जे मुरलीधरन	2027239	4	II	2013631	196749 - 196752
इन्फ्रा सीरीज-III (कार्वी)						
1	अरुण सदाशिव राव सिंदेकर	INA0203393	4	II	203784	15472-15475
2	भगवान दास	INA0300530	2	III	300613	2392-2393
3	विशाल जैन	INA0010503	4	I	12428	49076-49079
इन्फ्रा सीरीज-IV (कार्वी)						
1	शोभा जगन्नाथ मजूमदार	INB1022580	2	I	1022580	380369-380370
2	जनार्दन बी आर	INB0036746	4	I	36746	145560-145563
3	उर्मिला शर्मा	INB0004792	4	I	4792	19000-19003
4	वर्दाराज प्रभु	INB0106507	4	II	106507	25954-25957
5	प्रसन्ना रामदास जोशी	INB1103293	4	II	1103293	87108-87111
6	बी रेमया	INB0110014	4	II	110014	39724-39727
7	मयंक प्रियाकांत गांधी	INB0105099	4	II	105099	20360-20363
इन्फ्रा सीरीज-V (कार्वी)						
1	नवीन काड	INC0022963	4	I	22963	90826-90829
2	सुसाना सोरेन	INC0204552	4	III	204552	17974-17977
3	किरण पाल सिंह	INC0101813	4	II	101813	7187-7190
4	राम कुमार गोयल	INC0025317	4	I	25317	100134-100137
5	दीपक छाबड़ा	INC0022149	4	I	22149	87618-87621
6	महेन्द्र सिंह नेगी	INC0200354	4	III	200354	1395-1398
7	उपासना मल्होत्रा	INC0025661	3	I	25661	101495-101497

उपर्युक्त बाण्डों के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड को आवेदन किए गए हैं। ऊपर निर्दिष्ट बाण्ड प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा अन्यथा संव्यवहार करने के प्रति सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सचेत किया जाता है। यदि कम्पनी/रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., नई दिल्ली को सीरीज-II और कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को सीरीज-III, IV और V के लिए इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो बाण्डधारकों को डुप्लिकेट बाण्ड प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएंगे और आईएफसीआई लि. द्वारा तदनुरूपी मूल बाण्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. बीटल हाउस, तीसरा तल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली 110 062 फोनः 011-29961282-83	मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट नं 31 और 32, गाचीबॉली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032 फोनः 040-23420818

आईएफसीआई लि. के लिए और उसकी ओर से

बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स ह./- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कार्वी फिनटेक प्रा. लि. रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स ह./- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2019

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Devinder Singh JMIC Ludhiana
JMIC Ludhiana

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Devinder Singh JMIC Ludhiana
JMIC Ludhiana

रियल ग्रोथ कमर्शियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड

CIN-L70109DL1995PLC064254
पंजी. कार्या. 1601, आरची ट्रेड टॉवर, प्लॉट नं. बी -7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034
वेबसाइटः www.realgrowth.co.in
ईमेलः rgcel1995@gmail.com
फोन नं.: 011-47770550, फैक्सः 011-47770599

सूचना

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 29 और 47 अनुसरण में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक सोमवार, 02 सितम्बर, 2019 को दिल्ली में होगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ कम्पनी के 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर अनुमोदित किया जाएगा।

इस सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.realgrowth.co.in और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 27.08.2019

BHARAT EKANSH LIMITED

REGD. OFF. –H. No. 116, F/F, VILLAGE KOTLA, MAYUR VIHAR PHASE-I, NEAR HUKUM DAIRY, DELHI-110091
CIN:L74899DL1985PLC020973, Ph.No.9355777335-36,
Website:www.bharatekansh.com,
Email: bharat.ekansh.ltd@gmail.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to regulation 29 read with regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations 2015 (Listing Regulation) that the meeting of Board of Directors of Bharat Ekansh Limited is scheduled to be held on Thursday, 05th September 2019, to interalia, Consider and approve the un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June 2019 (subject to Limited Review by the statutory Auditors of the Company), after these results are reviewed by the audit committee for the period ended 30th June 2019 and the other items as per agenda.

Further, the notice of the Board meeting is available at Company's website, www.bharatekanshlimited for download.

For Bharat Ekansh Limited
Sd/-
Bhawna Talreja
Company Secretary

Date : 29/08/2019
Place : New Delhi

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-39/2019-20 पथ०नि०वि०/जमशेदपुर/दिनांक-27.08.2019

1	कार्य का नाम	घाटशिला (राजस्टेट) से एन०एच० 33 (सोनाखुन) भाया घाटशिला जेल (कुल लम्बाई-5.944) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य।
2	प्राक्कलित राशि	₹ 9,84,29,771/- (नौ करोड़ चौरासी लाख उनतीस हजार सात सौ एकहत्तर रुपये) मात्र।
3	कार्य पूर्ण करने की अवधि	06(छः) माह।
4	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	04.09.2019 (10:30 पूर्वाह्न)
5	निविदा प्राप्त करने का अंतिम तिथि एवं समय	24.09.2019 (दोपहर 12:30 बजे तक)।
6	निविदा खुलने की तिथि	26.09.2019 (दोपहर 12.30 बजे)
7	निविदा आमंत्रित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर।
8	ई-मेल पता :-	eercedjamshed-jhr@nic.in
9	विज्ञापनदाता का दूरभाष संख्या:-	0657-2227724
10	ई-प्रोक्यूरमेन्ट सेल का दूरभाष संख्या	0651-2401010

विस्तृत जानकारी वेबसाईट http://jharkhandtenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

सूद-बूंद नहीं बहाने से बूंद-बूंद को तरसेंगे

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जमशेदपुर

PR 215504 (Road)19-20#D

KAILASH AUTO FINANCE LIMITED

CIN : L65921UP1984PLC006829
Regd. Office: 15, Rolland Complex, 2nd Floor, 37/17 The Mall, Kanpur-208001, Uttar Pradesh
Email: info@kailfin.com; Website: www.kailfin.com

NOTICE OF 34TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Notice is hereby given that the Thirty Fourth (34th) Annual General Meeting ("AGM") of Kailash Auto Finance Limited will be held on Tuesday, September 24, 2019 at 11:00 a.m. at Mehfil Restaurant, 16/12 Civil Lines, Near Airtel Office, Kanpur-208001, Uttar Pradesh, to transact the business, as set out in the Notice of the said Meeting.

The Notice of AGM, Annual Report and Attendance Slip/Proxy Form has been sent to all Members at their registered address through the permitted mode. The physical dispatch of Notice together with the Annual Report has been completed on Wednesday, August 28, 2019. The Notice of the AGM together with the Annual Report is also available on the website of the Company viz www.kailfin.com. Members, who have not received the Notice and the Annual Report, may download the same from the website or may request to the Company either through a letter or E-mail to info@kailfin.com.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 18, 2019 to Tuesday, September 24, 2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Pursuant to the stipulation in Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Section 108 of the Companies Act 2013 and the relevant Rules, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The detailed process for participating in e-voting is available in the Notice of the Meeting. Members of the Company holding shares as on Wednesday, September 18, 2019 being the cut-off date (relevant date) may cast their vote electronically.

The remote e-voting facility shall commence on Saturday, September 21, 2019 from 10:00 a.m. and will end on Monday, September 23, 2019 at 5:00 p.m. The e-voting module shall be disabled thereafter. The results of voting would be declared as stipulated under the relevant Rules and will also be posted on the Company's website www.kailfin.com.

The facility of voting by Ballot paper shall also be made available at the AGM and the members attending the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to vote at the meeting.

A member may participate in the AGM after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through Ballot paper.

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. In case of difficulties Members may also contact the Company or the RTA by e-mail/post/courier.

For KAILASH AUTO FINANCE LTD
Sd/-
Company Secretary

Place: Kolkata
Date: 28.08.2019

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

विजया बैंक बनाम मै. बेगा डायमंड प्रा.लि. एवं अन्य
ई-नीलामी बिक्री सूचना

आर.सी. नं. 241/2019 — तिथिः 27.7.2019

"आदेश"

कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 27.7.2019 के अनुसार विजया बैंक बनाम मै. बेगा डायमंड प्रा.लि. के मामले में ई नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित संपत्ति की बिक्री की जाएगीः यह नीलामी बिक्री पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 27.9.2019 **को 3.00 बजे अप से 4 बजे अप तक।** (यदि जरूरी हुआ, समाप्ति से पूर्व बोली प्राप्त होने पर 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

क्रम सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	गुरूद्वारा रोड नाई वाला, करोल बाग, दिल्ली में स्थित ब्लॉक जी, गली नं. 39 में सम्पत्ति म्यूनिसिपल नं. 2059, वार्ड नं. XVI का सम्पत्ति का भाग, प्राईवेट नं. 206, 2रा तल, क्षेत्रफल माप 13 फीट X18 फीट।	रु. 57,00,000/- (रुपये सत्तावन लाख मात्र)	रु. 5,70,000/- (रुपये पाँच लाख सत्तर हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी/बोली वेबसाईट के माध्यम से ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति द्वारा होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को अग्रिम में सेवा प्रदाता के पास भागीदारी का पंजीकरण कराना होगा तथा ई-नीलामी में भाग लेने के लिये यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। निर्धारित पद्धत्ति में वांछित धरोहर राशि का भुगतान कर हीं वह प्राप्त किया जा सकता है।
3. उपरोक्त ईएमडी का भुगतान 25.9.2019 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के मुहरबंद लिफाफे में पास किया जायेगा। ईएमडी का भुगतान सीएच बैंक की उक्त खाता में प्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उद्घोषणा जमा किया जायेगा। बाद के मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/अटार्नी की पुष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहुंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी, रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पास जमा की जायेगी।
5. संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड (ABC Procure), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ऑरिएण्ट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत), टेली. +91 079-68135416/एमः 6351896834 अथवा 8980690773, फैक्सः +91 7940016876, सम्पर्क व्यक्ति श्री नितीश झा, ईमेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, सम्पर्क सं. 7982880393, ईमेल आईडीः support@auctiontiger.net, http:drt.auctiontiger.net से ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विवरणों के लिये सम्पर्क करें: श्री अमित तिवारी, सीएच बैंक के अधिकारी, मो.नं. 9175178968 किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता श्री पवन कुमार, रिकवरी सेल के सहायक से सम्पर्क कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता श्री पवन कुमार, रिकवरी सेल के सहायक से सम्पर्क कर सकते हैं।
6. संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने से पूर्व बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईट http://drt@auctiontiger.net देखें।
7. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य के नीचे नहीं बेचा जायेगा।
8. बोलीदाता रु. 1,00,000/- के गुणक में प्रस्ताव में सुधार कर सकते हैं।
9. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार तथा जो भी वहां है आधार" पर की जायेगी।
10. सफल बोलीदाता को बिक्री की घोषणा के अगले दिन के 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित विवरणों के अनुसार उक्त खाता में ईएमडी को समायोजित करने के बाद 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि अगले दिन रविवार या अवकाश होता है तो फिर अगले कार्य दिवस को।
11. सफल बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से 15 वें दिन, अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा।
12. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस सम्पत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे से वंचित हो जाएंगे। पुनः क्रेता अपनी अंतिम बोली राशि तथा उस राशि जिसपर बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के बीच के अंतर की भरपाई करने के लिये भी उत्तरदायी होंगे।
13. रिकवरी अधिकारी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त हैं।
14. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिये आरसी की सुनवाई की अनुसूचित तिथि को या उससे पूर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की अनुसूचित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई जायेगी।

(विकाश जैटली)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली

UTTARAKHAND SUGARS

Near Railway Crossing, Badripur Road, Jogiwala (Dehradun)
Email: usugars@rediffmail.com, uttarakhandsugars@gmail.com

Ref. No. 501 /CPC/ — Dated 24.08.2019

SHORT TERM TENDER NOTICE FOR SUPPLY OF E.N.A. AT BAZPUR DISTILLERY

Sealed single stage two envelope unconditional Short Term Tenders are invited from the reputed manufacturers only for supply of E.N.A. at Bazpur distillery under the purchase rules admissible under Uttarakhand Procurement Rules 2017 by the Managing Director, Uttarakhand Sugars, Dehradun.

SL	NAME OF ARTICLE	QUANTITY (In Bulk Litre)	Earnest Money	Date & Time of Opening Technical Bid
1	A grade Extra Neutral Alcohol (Molasses/ Grain based) Strength 95 % to 96.1% v/v as per table IS 2302-1962 and above IS specifications duly passed by the Alcohol Technologist of State Excise Department	5.00 Lakh (2.50 Lakh per month)	Rs. 5,00,000.00	04.09.2019 at 11.00 a.m.

The Rates to be quoted shall remain valid for a period of 90 days from the date of opening of financial bid.

The tender forms can be obtained from the of the Uttarakhand Sugars up to 5.00 P.M. of the day immediately preceding the date of opening or downloaded from the Website www.uttarakhandsugars.com and must be submitted positively by 10.30 A.M. on the day of opening of technical part of the tenders. The cost of Tender forms obtained/downloaded from the site as well as Earnest money shall be payable through account payee bank draft in favor of Uttarakhand Sugars payable at Dehradun and shall have to be submitted with the tender. Incomplete, conditional or tender without Earnest money shall not be entertained.

Uttarakhand Sugars reserves the right to cancel any or all the tenders without assigning any reason thereof. Detailed terms & conditions are described in the tender document, which shall form part of this notice. — Sd/-

Contact No. : 9412089227 — GENERAL MANAGER

अनुसूची-II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा

[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]

पर्ल विजन प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	पर्ल विजन प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	28.11.2001
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U74999DL2001PTC113303
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	1/5783, बलबीर नगर, शाहदरा, दिल्ली, पूर्व दिल्ली, डीआई-110032, आईएन
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	22.7.2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	26.8.2019
8.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	अनिल कुमार, 303, चन्द्रा प्रोपर्टीज लिमिटेड, गोल्फ कोर्स रोड, प्लॉट नं. 64, सेक्टर-55, गुरुग्राम, हरियाणा-122011 anil2566@gmail.com pearl cirp@gmail.com + 91-9999458899, + 91-9873121883
9.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	29.9.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 33 के अंतर्गत 22.8.2019 को पर्ल विजन प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा पर्ल विजन प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 29.9.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 29.8.2019 — श्री अनिल कुमार
स्थानः गुरुग्राम — परिसमापक

Brahmaputra Infrastructure Limited

Regd. Office: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi- 110037. Tel. No. : 91-11-42290200 (50 Lines)
Fax: 91-11-41687880, 26787065 Email: cs@brahmaputragroup.com
Web: www.brahmaputragroup.com, CIN: L55204DL1998 PLC095933

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 under SEBI Listing Regulations 2015 (LODR), Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, the 04th day of September, 2019** at 04.00 P.M. at the Registered Office of the company inter-alia, to consider, and approve the un-audited financial results of the company for the Quarter ended 30th June, 2019.

For M/s Brahmaputra Infrastructure Limited
Sd/-
Vivek Malhotra
Company Secretary

Place : New Delhi
Date : 27.08.2019

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम) एक नवरत्न कंपनी
(A Govt. of India Undertaking) A Navratna Company
ICD, Tughlakabad, New Delhi – 110 020
कॉनकॉर CONCOR

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग पद्धति)

'आईसीडी/डीडीएल (लुधियाना), सीडीटी फिल्लौर, आईसीडी/बद्दी, आरसीटी दप्पर और आईसीडी/पीएसडब्ल्यूसी-दप्पर में साफ-सफाई, रख-रखाव एवं बागवानी से संबंधित सेवाओं' के लिए केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से एकल निविदा प्रणाली में ऑनलाइन खुली निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज ऑनलाइन रु. 1000/- का भुगतान करने के बाद वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

निविदा सं.	CON/NR/TC/DDL/C&H/2019-20/I
अनुमानित लागत	रु. 1,38,09,744/- (अनुबंध की कुल अवधि के लिए)
अनुबंध की अवधि	2 + 1 वर्ष
धरोहर जमा राशि	रु. 1,38,100/- ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा दस्तावेज की कीमत	रु. 1,000/- सभी कर एवं प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क	रु. 5,310/- सभी कर एवं प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से (अ-प्रतिदेय)
बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	29.08.2019 (15:00 बजे) से 18.09.2019 (16:00 बजे तक)
निविदा पूर्व बैठक	05.09.2019 को 15.00 बजे
जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	19.09.2019 को 15:00 बजे तक
खुलने की तिथि एवं समय	20.09.2019 को 15:30 बजे

पात्रता मानदंडों एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। निविदाकारों से अनुरोध है कि वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार रखता है।

समूह महाप्रबंधक/ज.क्षे.

लैण्डमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
ई-मेलः info@landmarkproperty.in, वेबसाईटः www.landmarkproperty.in,
CIN: L13100DL1976PLC188942, फोन नं.: 011-43621200, फैक्स नं.: 011-41501333

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 43वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 को 9.30 बजे पूर्वा. में गालिब सैमिनार हॉल, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली- 110002 में आयोजित की जायेगी जिसमें उक्त सभा के आयोजन की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एजीएम सूचना तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत हैं। वह कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं।

यह कंपनी में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना मतदान करने की सुविधा सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग से संबंधित विवरण इस प्रकार हैः

1. एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसायों तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है।
2. रिपोर्ट ई-वोटिंग 22 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी।
3. रिमोट ई-वोटिंग 24 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे सायं में बंद होगी।
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान करने की पात्रता सुनिश्चित करने की कट-ऑफ तिथि 18 सितम्बर, 2019 है।
5. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 18 सितम्बर, 2019 को शेयरधारित करते हों, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
6. सदस्यगण ध्यान रखें कि क) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ख) एजीएम में मत-पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन, फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। घ) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र द्वारा एजीएम में मतदान जैसी दोनों सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
7. एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट तथा साथ ही एनएसडीएल की वेबसाईट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
8. पूछताछ के लिये सदस्यगण https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिये Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिये ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल करें अथवा सुश्री सरिता, मोटे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, 4था तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से विनिर्दिष्ट ई-मेल आईडीः evoting@nsdl.co.in या saritaM@nsdl.co.in या टेलीफोन नं. 02224994600/ 022 24994738 से सम्पर्क करें जहां वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे।

सदस्यों का रजिस्टर बंद होना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 19.9.2019 से 25.9.2019 (दोनों दिवस सहित) तक ऊपर वर्णित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाने वाली 43वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

बोर्ड के आदेश से
हस्ता./-
एस.के. चावला
कम्पनी सचिव

नई दिल्ली
28 अगस्त, 2019

फॉर्म जी- अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

(इंसॉलवेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के विनियम 36ए(1) के अधीन **विस्तारित-प्रथम विस्तार** (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए इंसॉलवेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016

संबंधित विवरण

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	गगन डिस्टिलर्स एंड बेवरेजिज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	06.08.1998
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़- नई दिल्ली
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15511DL1998PTC095431
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय का पता और प्रधान कार्यालय का पता (यदि कोई है)	फ्लैट नं. 227, चौथा तल, धर्मकुंज सीएचजीएस अपार्टमेंट, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, भारत
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेंसी शुरुआती तिथि	10.04.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	28.08.2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	pkw.watts@gmail.com पर इमेल द्वारा विवरण प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	आइबीबीआइ की वेबसाइट (www.ibbi.gov.in) पर उपलब्ध या pkw.watts@gmail.com पर इमेल द्वारा विवरण प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	05.09.2019
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	06.09.2019
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	11.09.2019
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	12.09.2019
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापना, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	12.09.2019 पात्रता मानदंड और अपात्रता मानदंड का सत्यापन करने पर इसे जल्द से जल्द दिया जाएगा।
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	प्रस्ताव पेशेवर आईबीसी, 2016 की धारा 29(ए) के अंतर्गत केवाईसी, निवेश की क्षमता, प्रबंधन की योग्यता और पात्रता, सीओसी द्वारा अनुमोदित पूर्व-योग्यता मानदंड यदि कोई है, के सत्यापन के बाद इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन हेतु अनुरोध को शेयर करेगा।
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	27.09.2019
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	भौतिम प्रति स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/ कुरियर द्वारा सादे सीलबंद कवर या क्रम संख्या 21 के अंतर्गत वर्णित ई-मेल आईडी व पते के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से भेजा जा सकता है।
18.	अनुमोदन के लिए निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु अनुमानित तिथि	05.10.2019
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	प्रदीप कुमार वत्स IBBI/IPA-002/IP-N00769/2018-19/12377)
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	प्रदीप कुमार वत्स पताः मकान नं. 378-सी, राजगुरू नगर, लुधियाना-141012, पंजाब, मोबाइल नं. 9815552378 इमेल आईडीः pkw.watts@gmail.com
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	पताः मकान नं. 378-सी, राजगुरू नगर, लुधियाना-141012, पंजाब, मोबाइल नं. 9815552378 इमेल आईडीः pkw.watts@gmail.com
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध हे	इमेल आईडीः pkw.watts@gmail.com
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	28.08.2019

प्रदीप कुमार वत्स
प्रस्ताव पेशेवर
गगन डिस्टिलर्स एंड बेवरेज़िज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पंजी. नं. IBBI/IPA-002/IP-N00769/2018-19/12377

स्थानः लुधियाना
दिनांकः 28.08.2019

दुर्गेश मर्चेन्ट्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : डी-220, बेसमेन्ट, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली – 110024
सीआईएन : एल65923डीएल1984पीएलसी248322, ईमेल आईडीः durgeshmerchants@gmail.com
टेली न. : 011-68888824, वेबसाईट : durgeshmerchantsltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दुर्गेश मर्चेन्ट्स लिमिटेड के 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 को दोपहर 2.30 बजे, डी-251, ग्राउन्ड फ्लोर, कान्फ्रेंस हॉल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली – 110024 में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय निष्पादित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को कूरियर द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजा गया है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन लोगों को भेजा गया है जिन्होंने डिपॉजिटरी/आरटीए/कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत किया है।

एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी के विनियम 42 (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2019 से शनिवार, 21 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सहित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार समय समय पर संशोधित किया जाता है और सेबी के विनियमन 44 (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान किया है। कम्पनी ने शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सेवाओं को संलग्न किया है।

1. कम्पनी ने नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम के नोटिस में उल्लिखित मद(ओं) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने में सक्षम हो सकें।
2. ई-वोटिंग की अवधि 17 सितम्बर, 2019 को प्रातः 09.00 बजे से शुरू होगी और 20 सितम्बर, 2019 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल (NSDL) द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कम्पनी के सदस्य, भौतिक या डी-मैट के रूप में शेयरों की कट-ऑफ तारीख पर यानी 9 सितम्बर, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।
3. एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वे दूरस्थ ई-वोटिंग के साथ-साथ, बैलट पेपर के माध्यम से एजीएम के मतदान में भी सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
4. जिन व्यक्तियों ने शेयर प्राप्त कर लिए हैं और नोटिस भेजने के बाद कम्पनी के सदस्य बन गए हैं, लेकिन कट-ऑफ तिथि से पहले (NSDL) को evoting@nsdl.co.in पर तथा कम्पनी को durgeshmerchants@gmail.com पर अथवा स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट admin@skylinerta.com पर) को एक अनुरोध भेजकर ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
5. उपरोक्त तिथि और समय के परे ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. एक सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के बाद वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकता है लेकिन फिर से एजीएम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. नोटिस कम्पनी के वेबसाइट यानी www.durgeshmerchantsltd.com पर उपलब्ध होगा।
8. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से जुड़ी किसी भी क्वेरी या शिकायतों के मामले में सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं:-
   क) श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, ईमेलः pallavid@nsdl.co.in दूरभाष : 1800 222990(टोल फ्री) / 022-24994200
   ख) दुर्गेश मर्चेन्ट्स लिमिटेड के निदेशक और अनुपालन अधिकारी श्री कमल आहूजा, डी-220, बेसमेन्ट, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, ईमेल- durgeshmerchants@gmail.com दूरभाष : 011-68888824

दुर्गेश मर्चेन्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
कमल आहूजा
डीआईएनः 00005195
(निदेशक और अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : 29 अगस्त, 2019
स्थान : नई दिल्ली

स्टैण्डर्ड सरफैक्टेन्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 8/15, आर्य नगर, कानपुर-208 002
सी आई एनः L24243UP1989PLC010950
ईमेलः headoffice@standardsurfactants.com, फोनः 0512-2531762,
वेबसाइटः www.standardsurfactants.com

वार्षिक सामान्य सभा, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक 8/15, आर्य नगर, कानपुर-208 002 में सोमवार दिनांक 23 सितम्बर 2019 को अपराह्न 02:30 बजे नोटिस में बताये गये प्रयोजनों हेतु आयोजित की जायेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार नोटिस कंपनी के सदस्यों को वस्तुगत के साथ पंजीकृत ई मेल द्वारा भेजी जा चुकी है, तथा जिन सदस्यों की ईमेल आई डी पंजीकृत नहीं है उन कंपनी के सदस्यों को वस्तुगत के साथ उनके पंजीकृत पते पर अनुज्ञप्त साधन द्वारा भेजी जा चुकी है। वार्षिक सामान्य सभा सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2018-19 की प्रतिलिपि 28 अगस्त 2019 को भेजी जा चुकी है।

एतदद्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014, के नियम 10 के अनुपालन हेतु सदस्य रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही दिनांक 18 सितम्बर, 2019 से 23 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, संशोधित नियम 20 तथा विनियमन 44 सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुपालन में नोटिस में बताये गये प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा किये जा सकते हैं और कंपनी अपने समस्त शेयरधारकों को सहर्ष रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में विवरण निम्नवत हैः

1-रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुरू होने की तिथि एवं समय : 20 सितम्बर, 2019 (9:00 पूर्वान्ह)।
2-रिमोट ई-वोटिंग अवधि समाप्त होने की तिथि एवं समय : 22 सितम्बर, 2019 (5:00 अपरान्ह)
3-रिमोट ई-वोटिंग इलेक्ट्रानिक माध्यम से 22 सितम्बर, 2019 अपरान्ह 5:00 बजे के बाद नहीं की जा सकेगी।
4-ई-वोटिंग पात्रता की अंतिम तिथि (कट ऑफ डेट) 17 सितम्बर, 2019 है। केवल वे ही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और सामान्य बैठक में वोटिंग करने के पात्र होंगे जिनके नाम अंतिम तिथि को या तो सदस्य रजिस्टर में या डिपोजिटरी द्वारा चलाये जाने वाले लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।
5-कंपनी का कोई सदस्य जो नोटिस भेजे जाने के बाद किन्तु अंतिम तिथि से पहले सदस्य बनता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लि. यूजर आईडी और पासवर्ड कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या एनएसडीएल से प्राप्त कर सकता है।
6-बैठक में वोटिंग के लि. इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम या मतपत्र या पोलिंग पेपर के माध्यम से सुविधा उपलब्ध होगी और बैठक में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग से पहले वोट नहीं दिया है, वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
7-सदस्य जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट कर दिया है, वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं किन्तु उन्हें पुनः वोट करने की अनुमति नहीं होगी।
8-कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक का नोटिस लिंक https://www.evoting.nsdl.com अथवा http://www.standardsurfactants.com/flash/Notice_of_30th_AGM.pdf से डाउनलोड किया जा सकता है।
9-कंपनी ने श्री सर्वेश एस. श्रीवास्तव, अभ्यासरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक के रूप में ई-वोटिंग व मतदान प्रक्रिया को सुचारु रूप से कराने के लिए नियुक्त किया है।
ई-वोटिंग से सम्बन्धित प्रश्नों के लिये https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लि. अक्सर पूछे गये प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा टोल फ्री नं- 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें।

वास्ते स्टैन्डर्ड सरफैक्टेन्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
(पवन कुमार गर्ग)
चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक
डी.आई.एन. 00250836

स्थान : कानपुर
दिनांक : 28.08.2019

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मैसर्स बशर टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स बशर टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03/11/2014
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U72900DL2014PTC272885
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	आर-852, दूसरी मंजिल, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली- 110060
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ तिथि	26 अगस्त 2019 (ऑर्डर की प्राप्ति ईमेल द्वारा 27 अगस्त 2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	22 फरवरी 2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	आरती बालूजा पंजीकृत सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00780/2018-19/12378
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	एच-34/100, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली -85 ईमेल आई डी: ca.artibaluja@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	एच-34/100, सेक्टर-3, रोहिणी, नई दिल्ली-85 ईमेल आईडीः irpbashar@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	09 सितम्बर, 2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिंकः http://www.ibbi.gov.in/home/downloads भौतिक पता : लागू नहीं (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने दिनांक 26 अगस्त, 2019 को **मैसर्स बशर टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है। (ऑर्डर की प्राप्ति ईमेल द्वारा 27 अगस्त 2019 को प्राप्त हुई)

मैसर्स बशर टेकनोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **09, सितम्बर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष उल्लिखित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार, जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र सीए (लागू नहीं) में निर्दिष्ट करेगा।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
आरती बालूजा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल

दिनांक : 28 अगस्त 2019
स्थान : दिल्ली

जिंदल सॉ लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः ए-1, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा – 281403
सीआईएनः एल27104यूपी1984पीएलसी023979

JINDAL

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

विषय : कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकारण में अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित 07 सितम्बर, 2016 से प्रभावी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 ("उक्त नियमावली") के प्रावधानों के अनुसरण में जारी की जा रही है, जो उन सभी शेयरों का अंतरण निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) के प्राधिकारण में अंतरित करने के संबंध में है, जिनके लाभांश का भुगतान सात लगातार वर्षों अथवा अधिक से नहीं किया गया है अथवा जिनके लिए शेयरधारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, कम्पनी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु सूचना प्रेषित कर चुकी है, जिनके शेयर नियमों के तहत आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के भागी हैं।

संबंधित शेयधारक, जो भौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के भागी हैं, नोट करें कि कम्पनी शेयरों का अंतरण आईईपीएफ के प्राधिकारण में करने के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र रद्द मान्य होंगे। इसी प्रकार से डीमैट रूप में धारित शेयर भी शेयरधारकों की ओर से कम्पनी अधिकारी द्वारा डीमैट स्लिप पर हस्ताक्षर करने द्वारा आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित किए जाएंगे। शेयरधारक इसके अतिरिक्त नोट करें कि आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित किए गए अदावित शेयर तथा उन पर उद्भूत सभी लाभ, नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस मांगे जा सकते हैं।

अतएव, आपको सूचना दी जाती है कि 2011-2012 से अपना अदत्त/अदावित लाभांश तत्काल मांग लें अथवा कम्पनी को लिखें। यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारक से 27 सितम्बर, 2019 तक अथवा कम्पनी द्वारा आगे बढ़ाई गई तिथि तक कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, नियमों का अनुपालन करने के लिए, शेयर नियत तिथि तक आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित कर दिए जाएंगे।

उपरोक्त नियमों की प्रति संबंधित शेयरधारकों तथा आईईपीएफ के प्राधिकारण में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों के विवरण सहित कम्पनी द्वारा इसकी वेबसाइट (www.jindalsaw.com) पर अपलोड की जा चुकी है। आप इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए कम्पनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

यदि शेयरधारकों को विषयगत मामले तथा नियमों के बारे में कोई संदेह है, तो वे कम्पनी सेक्रेटरी, जिंदल सॉ लिमिटेड, जिंदल सेंटर, 12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, फोन : 011-41462220, 011-41462237, ई-मेलः investors@jindalsaw.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

वास्ते जिंदल सॉ लिमिटेड
सुनिल के. जैन
कम्पनी सेक्रेटरी
एफसीएस : 3056

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 2 अगस्त, 2019

PMC FINCORP LIMITED

CIN: L27109UP1985PLC006998
Regd. Off. B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur-244901, U.P
Corp. Off -14/5, Old Rajender Nagar, New Delhi-110060
Email ID: pritimercantile@gmail.com; website: www.pmcfinance.in
Tel: 011-42436846

NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 34th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, **the 28th day of September, 2019 at 12.30 P.M.** at the MoodFood Restaurant, Opposite Ambedkar Park, Civil Lines, Rampur, Uttar Pradesh-244901 to transact the Ordinary and Special business, as set out in the Notice of the 34th AGM.
2. Electronic copies of the Notice of the 34th AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants(s). Physical copies of the Notice of the 34th AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all the members at their registered address in the permitted mode. The Notice of the 34th AGM and Annual Report for 2019 are also available on the Company's Website www.pmcfinance.in.
3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of **Saturday, 21st September, 2019**, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the 34th AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). All the members are informed that: (a) the Ordinary and Special business as set out in the Notice of the 34th AGM may be transacted by electronic voting; (b) the date of completion of sending of Notice of 34th AGM is 05th September, 2019; (c) the voting through electronic means shall commence on Wednesday **25th September, 2019 at 9.00 am**; (d) the voting through electronic means shall end on Friday **27th September, 2019 at 5.00 pm**; (e) voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 pm on 27th September, 2019; (f) the Notice of the 34th AGM is available on the Company's Website www.pmcfinance.in and on NSDL's website www.evoting.nsdl.com; and (g) for the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions in the Notice of 34th AGM or visit NSDL's website www.evoting.nsdl.com and in case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of website www.evoting.nsdl.com or contact Mr. Pallavi Mhatre, Assistant Manager, NSDL at the designated email IDs: pallavid@nsdl.co.in or helpdesk@nsdl.co.in or at telephone nos. 022-24994890/ 022-24994738/ 022-24994545 or toll free no.1800-222-990 who will also address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above mention Email ID or Registered Office address;
4. The facility through ballot paper shall be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper and The Members, who have already cast their vote through e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
5. Any person, who acquires shares of the Company and become Member of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 21, 2019 may obtain the login ID and password by sending a request at d.kataria@indusinvest.com or www.evoting.nsdl.com by mentioning his/her Folio no. / DP ID and client ID No. However, if such a shareholder is already registered with NSDL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
6. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from **Saturday September 21, 2019 to Saturday September 28, 2019 (both days inclusive).**

FOR PMC FINCORP LIMITED
Sd/-
Raj Kumar Modi
(Managing Director)

DATE : 28/08/2019
PLACE : NEW DELHI

'चंद्रयान-2' को चांद की कक्षा में आगे बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया पूरी

बंगलुरु, 28 अगस्त (भाषा)।

'चंद्रयान-दो' के चंद्रमा की सतह पर उतरने के 11 दिन पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार को बताया कि उसने अंतरिक्ष यान को चांद की कक्षा में तीसरी बार आगे बढ़ाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने एक प्रक्रिया (मैनुवर) के पूरी होने के बाद कहा कि यान की सभी गतिविधियां सामान्य हैं।

इसरो ने कहा, 'चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में और आगे बढ़ाने की प्रक्रिया आज (28 अगस्त, 2019) सफलतापूर्वक संपन्न की गई। इसकी शुरुआत भारतीय समयानुसार नौ बजकर चार मिनट पर हुई। इस दौरान यान में मौजूद प्रणोदन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। इस प्रक्रिया में 1190 सेकंड लगे। और फिर यान 179 किलोमीटर गुणा 1412 किलोमीटर की कक्षा में गया।' उसने कहा, 'अंतरिक्ष यान के सभी मापदंड सामान्य हैं। इस तरह की अगली प्रक्रिया को 30 अगस्त, 2019 को भारतीय समयानुसार शाम छह बजे से सात बजे के बीच अंजाम दिया जाएगा।' 'चंद्रयान-2 ने 20 अगस्त को चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था।

पंचायत ने बलात्कार पीड़िता का सिर मुंडवा कर गांव में घुमाया

गया/पटना, 28 अगस्त (भाषा)।

नाबालिग के सामूहिक बलात्कार का शिकार होने पर उसके माता-पिता जब न्याय मांगने के लिए पंचायत पहुंचे तो वहां पीड़िता को निराधार आरोप लगाने का दोषी करार दे दिया गया और उसका सिर मुंडवा कर उसे गांव में घुमाया गया।

थाना अध्यक्ष रवि भूषण ने बुधवार को बताया कि 14 अगस्त को हुए इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को पीड़िता और उसके माता-पिता के बयान पर बलात्कार के तीन आरोपियों और चार पंचायत सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ तब तक सामूहिक बलात्कार किया गया, जब तक वह बेहोश नहीं हो गई।

बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है।

पीड़िता की आपबीती सुन कर उसके माता-पिता ने स्थानीय ग्राम पंचायत से न्याय की गुहार लगाई। लेकिन पंचायत सदस्यों ने लड़की को निराधार आरोप लगाने के लिए दंडित करते हुए उसका सिर मुंडवा कर उसे गांव में घुमाया।

इसके बाद पीड़िता और उसके माता-पिता ने फोन पर पुलिस महानिदेशक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। जिला पुलिस अधिकारियों को शिकायत पर जांच करने के लिए कहा गया है।

घटना के बारे में पटना स्थित बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। हमने गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपराधियों को कड़ी सजा और लड़की को न्याय सुनिश्चित करने को कहा है। हमने ग्राम पंचायत के सभी पांच सदस्यों से उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि उनके निर्देश पर नाबालिग पीड़िता के साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया?

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 11वां तल, टावर ए 1101 पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013 (भारत) शाखा का पता: टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि., 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

कृपया 27.8.2019 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन देखें। ई-नीलामी की तिथि 12 सितम्बर, 2019 की जगह 13 सितम्बर, 2019 पढ़ें। असुविधा के लिये खेद है।

स्थान: दिल्ली/एनसीआर हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

तिथि: 29.8.2019 टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड

सार्वजनिक उद्घोषणा

टैकप्रो इंजीनियर्स लिमिटेड (परिसमापन में) के हितधारकों के ध्यानार्थ

एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 31 के अनुवर्ती हितधारकों की सूची दिनांक 27 अगस्त, 2019 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, प्रिंसीपल बेंच के समक्ष दाखिल की गई है और सूची के निरीक्षण के इच्छुक पात्र व्यक्ति परिसमापक से सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 27.08.2019 गुलशन कुमार गुप्ता, परिसमापक

स्थान : दिल्ली

202, कुमार हाऊस सेंट्रल मार्केट, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085

liquidator.tecpro@gmail.com

IBBI/IPA-001/IP-P00021/2016-17/10046

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैंक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

[(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1) देखें]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लेखाओं के आगे वर्णित राशि को कथित सूचना की तिथि से साठ दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कथित कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम-9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार और उस पर आगे ब्याज के भुगतान के अधीन होगा। जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसका विवरण निम्नानुसार है:

अचल सम्पत्ति का विवरण

शाखा का नाम	कर्जदार एवं गारंटर का नाम	बंधक/चार्ज संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
एफ-205, दूसरा तल, आदित्य प्लाजा-2, सेक्टर-14, कामर्शियल कॉम्पलेक्स, कौशाम्बी, गाजियाबाद पिन-201001	लोन खाता सं. 14010007139 कर्जदारः श्री जितेन्द्र सिंह (आवेदक)/ श्रीमती पल्लवी व्यास (सह-आवेदक)/ (आवेदक)/ श्रीमती पल्लवी व्यास(सह-आवेदक)	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः फ्लैट नं. ए-2, (ब्लॉक नं.), दूसरा तल, प्लॉट नं.36, द एलआईएलएसी, सेक्टर-49, गुड़गांव हरियाणा।	09.01.2019	23.08.2019	09.01.2019 को रु. 53,51,373.42 आगे इस पर ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार आदि

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम के उप-अनुच्छेद 13 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांकः 23.08.2019 प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः गुड़गांव एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

वसूली विभाग मंडल कार्यालय-मध्य दिल्ली, चतुर्थ तल, राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110008, फोन नं. 011-25713518, ईमेल : cocdelrd@pnb.co.in

शुद्धिपत्र — ई-नीलामी सूचना

दिनांक 06.08.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक शाखा : एआरएमबी नई दिल्ली के कर्जदार मैसर्स ठकराल सन्स एण्ड मैसर्स सनश्रिया पालीमर्स प्रा. लि. (क्र. सं. 6) की सम्पत्ति की ई-नीलामी 02.09.2019 होनी थी। हम इस खातें की सम्पत्ति की ई-नीलामी को निरस्त करते है।

दिनांक : 28.08.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

(A Govt. of India Undertaking)

ज़ेड ओ एस ए आर बी, 13वाँ तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन : 011-23441330, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

शुद्धि पत्र

दिनांक 03.08.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना और दिनांक 18.08.2019 को छपे शुद्धिपत्र के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ब्रुम वायिंग प्रा. लि., मैसर्स ब्रुम एग्रो इंडिया प्रा. लि. और राकेश सिंह के खातें की सम्पत्ति ई-नीलामी की तारीख 06.09.2019 से 21.09.2019 की गई थी।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि संपत्तियों की धरोहर राशि तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 04.09.2019 से बढ़ाकर 19.09.2019 अर्पा. 04.00 बजे तक कर दी गई है।

शेष नियम व शर्तें पहले अनुसार ही रहेंगी।

दिनांक : 28-08-2019, स्थान : नई दिल्ली, प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 1202/2018

बैंक ऑफ बड़ौदा — आवेदक

बनाम

श्री सतीश कुमार एवं अन्य — प्रतिवादीगण

सेवा में,

1. श्री सतीश कुमार, पुत्र श्री दाल चंद, मकान सं. 445-446, पॉकेट-4, सेक्टर-22, रोहिणी, नई दिल्ली, दिल्ली-110085, मो. नं. 8285134110
   साथ हीः 302, टीएफ सेन्ट्रल मार्केट, प्रशांत विहार, रोहिणी, दिल्ली-110085
2. मै. अग्रवाल ऑटोमोटिव प्रा.लि., जी-5, अग्रवाल ऑटो मॉल, आउटर रिंग रोड, शालीमार बाग प्लेस, नई दिल्ली

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 11,06,402/- (रुपये ग्यारह लाख छः हजार चार सौ दो मात्र) की वसूली के लिये आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिए यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 18.9.2019 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 3 अगस्त, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार के लिये

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110009

ओ ए न. 1201/2018

बैंक ऑफ बड़ौदा — आवेदक

बनाम

श्री सत्य नारायण — प्रतिवादीगण

सेवा में,

1. श्री सत्य नारायण, पुत्र श्री परमेश्वर शर्मा, मकान सं. 14, प्रथम तल, पॉकेट-1, सेक्टर-20, रोहिणी, नई दिल्ली - 110086, मोबाईल नं. 7838260481

साथ हीः ई-120, बवाना, दिल्ली-110039, ईमेल आईडीः s.n.plastic2002@yahoo.com

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 13,40,419 (रुपये तेरह लाख चालीस हजार चार सौ उन्नीस मात्र) की वसूली आपके विरुद्ध एक मामला शुरु किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आप को सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 18.09.2019 को 10.30 पूर्वा. में विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 3 अगस्त, 2019 को दी गई।

अधिकरण के आदेश से,
रजिस्ट्रार के लिये

अनुसूची-II
प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा

[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत]

पिक्सन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	पिक्सन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	7.10.1986
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U92112DL1986PTC025695
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	1/5783, बलवीर नगर, शाहदरा, दिल्ली, पूर्व दिल्ली, डीआई-110032, आईएन
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	22.7.2019
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	26.8.2019
8.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	अनिल कुमार, 303, चन्द्रा जीएचएस लिमिटेड, गोल्फ कोर्स रोड, प्लॉट नं. 64, सेक्टर-55, गुरुग्राम, हरियाणा-122011 anil2566@gmail.com pearl cirp@gmail.com + 91-9999458899; + 91-9873121883
9.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	29.9.2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 33 के अंतर्गत 22.8.2019 को पिक्सन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा पिक्सन मीडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 8 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 29.9.2019 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 29.8.2019 श्री अनिल कुमार

स्थान: गुरुग्राम परिसमापक

Punjab National Bank — शुद्धि-पत्र

दिनांक 10.08.2019 को जनसत्ता में प्रकाशित कब्जा नोटिस मै० आदित्य सुपर मार्ट प्रा0 लि0, की सम्पत्ति में प्लॉट सं0 2275 गलत प्रकाशित हो गयी है, सही प्लॉट सं0 2725 पढ़ी जाए। बाकी नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी

आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सी आई एन : L28998DL1983PLC017150

पंजीकृत कार्यालय : 14, दयानंद विहार, बैकसाइड ग्राउंड फ्लोर, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली 110092, दूरभाष : +91-11-43011038, ई मेल : info.akashdeep14@gmail.com

35 वॉं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 35 वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") 14, दयानंद विहार, विकास मार्ग एक्सटेंशन दिल्ली-110092 में शनिवार, 21 सितंबर, 2019 को शाम 04:00 बजे एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये आयोजित की जाएगी। निवेशक कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.akashdeepmetal.in, www.bseindia.com जहां आगे की जानकारी उपलब्ध है, का भी संज्ञान ले सकते हैं। सदस्यों का रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें, रविवार 15 सितंबर, 2019 से शनिवार, 21 सितंबर, 2019 (दोनों दिवस सहित), आगामी एजीएम हेतु बंद रहेंगी।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिये कंपनी का वार्षिक विवरण इलेक्ट्रानिक माध्यम से, उन सभी सदस्यों को, जिनके ई-मेल पते पंजीकृत है भेज दिये गये हैं और उन सभी सदस्यों को, जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनको उसकी भौतिक प्रति उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गयी है।

कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये ई-वोटिंग हेतु सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अधिकृत संस्था के रूप में नेशनल सेक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवायें लेने के लिये करार किया है।

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 को सुबह 9 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को शाम 5 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी। उक्त तिथि तथा समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई व्यक्ति, जिसका नाम कट आफ डेट यानि शनिवार, 14 सितंबर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थ धारकों के रिकार्ड में दर्ज है, वो ही केवल रिमोट ई-वोटिंग सुविधा अथवा एजीएम पर मत पत्र द्वारा वोटिंग करने की सुविधा का लाभ ले सकता है। कोई व्यक्ति, जो सभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बना हो अथवा शेयर खरीदें हों तथा कट ऑफ डेट यानि शनिवार, 14 सितंबर, 2019 को शेयर धारित करता हो, वह अपना यूजर आईडी और पासवर्ड evoting@nsdl.co.in पर अथवा आरटीए इनटाइम पोर्टफोलियो प्राइवेट लिमिटेड को आवेदन भेजकर प्राप्त कर सकते हैं।

सभा में मतपत्र द्वारा वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध की जायेगी और सभा में उपस्थित सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान अभी तक नहीं किया होगा, वह सभा में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर पायेंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के संबंध में कोई शिकायत/प्रश्न हेतु श्री मोहित चौहान, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को ई मेल आईडी info.akashdeep14@gmail.com पर, फोन नं 011-43011038, पता : 14, दयानंद विहार, बैकसाइड ग्राउंड फ्लोर, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली 110092 पर संपर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
श्री मोहित चौहान
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
एम संख्या : ए53838

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 अगस्त, 2019

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

www.allahabadbank.com

भूतल, 17 संसद मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना

अचल सम्पत्ति के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन (यहां के बाद ''कथित अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (यहां के बाद ''कथित नियम'' के रूप में संदर्भित) के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 23.05.2019 जारी की थी जिसमें कर्जदर/गारंटर श्री जितेन्द्र केजरीवाल पुत्र स्वर्गीय श्री महाबीर प्रसाद, 20सी/73, पंजाबी बाग पश्चिम, दिल्ली-110026 को कथित सूचना में उल्लिखित राशि रु. 1,14,73,486.00/- (एक करोड़ चौदह लाख तिहत्तर हजार चार सौ छियासी रुपए) और उसे पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभार का भुगतान कथित सूचना प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।

कर्जदार/गारंटरों/बंधककर्ताओं द्वारा कथित सूचना में विनिर्दिष्ट राशि का पुनर्भुगतान करने के अपने दायित्व में असफल रहने के कारण, कर्जदार/गारंटरों/बंधककर्ताओं तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत उन्हें को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सभी सम्पत्तियों को 21.08.2019 अपने कब्जे में ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन इलाहाबाद बैंक, भूतल, 17 संसद मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के 22.05.2019 को रु. 1,14,73,486.00/- (एक करोड़ चौदह लाख तिहत्तर हजार चार सौ छियासी रुपए) प्लस ब्याज + अन्य प्रभार के साथ उस पर ब्याज, लागत एवं अन्य व्ययो का भुगतान करने के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः आदर्श भवन सी.एच.बी.एस. लि. कॉलोनी को पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110026 के रूप में जाना जाता है, में स्थित सम्पूर्ण द्वितीय तल, बिना छत/टैरेस अधिकार, फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पत्ति सं. 20, नार्थ-वेस्ट एवेन्यू।

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 21.08.2019 प्राधिकृत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक

हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः एस-191/सी, 3रा तल, मानक कॉम्प्लैक्स, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली-110092

ईमेल आईडीः info@helpagefinlease.com, वेबसाईटः www.helpagefinlease.com

CIN: L51909DL1982PLC014434, सम्पर्क नं.: 011-22481711

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 37वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 को 3.00 बजे अप. में द गोल्डन पाम्स होटल एंड स्पा, बी-1, सी 6, सामने ईस्ट दिल्ली पुलिस मुख्यालय, पटपड़गंज, नई दिल्ली-110092 में आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गई सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कम्पनी का वार्षिक रिपोर्ट ऐसे शेयरधारकों को उनके ईमेल आईडी पर भेजा गया है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज है तथा उसे कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.helpagefinlease.com पर भी प्रेषित किया गया है। उसकी भौतिक प्रति स्वीकृत पद्धति में 29 अगस्त, 2019 को सदस्यों को प्रेषित की जाएगी। कम्पनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 17 सितम्बर, 2019 से 24 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से बंद रहेंगे। सभी सदस्यों को पुनः सूचित किया जाता है किः

क) एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जा सकता है किः

ख) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तिथिः 22 सितम्बर, 2019, 9.00 बजे पूर्वा.

ग) रिमोट ई-वोटिंग बंद होने की तिथिः 24 सितम्बर, 2019, 5.00 बजे अप.

घ) एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 है।

ङ) यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा beetalrta@gmail.com (आरटीए, बीटल फाइनांसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड) पर अपने फोलियो नं./ डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी नं. का उल्लेख करते हुए ईमेल द्वारा अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई शेयरधारक ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हों तो मतदान करने के लिए वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

च) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति 24 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद नहीं दी जाएगी।

छ) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों वे एजीएम में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में एजीएम में कम्पनी द्वारा मत पत्र की व्यवस्था की जाएगी।

ज) जिन सदस्यों ने सभा से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे साधारण सभा में शामिल हो सकते हैं लेकिन 37वीं एजीएम में फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

झ) जिन व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 सितम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग (22 सितम्बर, 2019 से 24 सितम्बर, 2019) के साथ-साथ 37वें एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।

ञ) 37वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.helpagefinlease.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट helpdesk.evoting@cdslindia पर भी उपलब्ध है।

त) किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सदस्य गण सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध हेल्प एवं एफएक्यू'ज खंड देखें अथवा टेलीफोन नं. 022-22723333 पर सीडीएसएल से सम्पर्क करें।

हेल्पएज फिनलीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
चारू चावला
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 28.8.2019

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking — Faithful Friendly

Branch- Patel Nagar, Ghaziabad, UP Uttar Pradesh
E-mail: br.9838@syndicatebank.co.in

Ref No: 9838/140/102/SARFAESI/2019 दिनांकः 16.08.2019

सेवा में, कर्जदारगणः

नाम	पता
मै0. यश ट्रेडिंग क0.	1. ए-3, नवीन मण्डी स्थल, गोविन्दपुरम - गाजियाबाद। 2. एई-187, प्रथम तल अवन्तिका कॉलोनी, गाजियाबाद।
2. श्री अमित कुमार गर्ग पुत्र श्री श्री प्रकाश गर्ग।	एई-187, प्रथम तल अवन्तिका कॉलोनी, गाजियाबाद।
3. श्रीमति उर्वशी गर्ग पत्नि श्री अमित कुमार गर्ग।	एई-187, प्रथम तल अवन्तिका कॉलोनी, गाजियाबाद।

प्रिय महोदय/महोदया,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

(1) हमने, आपके अनुरोध पर, कर्जदार/रों को कुल योग राशि रू. 30000000/- हेतु क्रेडिट लिमिट्स मंजूर की हैं तथा हम हमारे द्वारा प्रदान की गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का पूर्ण विवरण यहां नीचे दे रहे हैं :

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार/ खाता संख्या	Limit/Loan Amount (Rs.)	Outstanding Liability (Rs.) as on 30.07.2019	एन पी ए तारीख
1.	98381400000102	30000000.00	31223541.02	29.07.2019

(2) चूंकि आपने देय राशियां चुकाने में चूक की है, हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 29.07.2019 निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपका खाता को अनार्जक आस्ति के रूप में सूचीबद्ध किया है।

(3) ऋण दस्तावेज की सहमत शर्तों के अनुसार भुगतान में लगातार चूक के दृष्टिगत, पूरी राशि देय हो चुकी है। अतः अब रू. 31223541.02 (रू. तीन करोड़ बारह लाख तेईस हजार पांच सौ इकतालिस और दो पैसे मात्र) की राशि दिनांक 29-07-2019 से ब्याज और लागतों इत्यादि सहित बकाया है।

(4) हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमारी पूरी बकाया राशि के भुगतान हेतु बारम्बार सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधों के बावजूद, आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।

(5) आपको विदित है कि हमारे द्वारा मंजूर की गई लिमिट द्वारा स्वाधिकृत निम्नलिखित आस्तियों (प्रतिभूत आस्तियों) द्वारा प्रत्याभूत है मालिक श्री अमित कुमार गर्ग पुत्र श्री श्री प्रकाश गर्ग।

भूमि और ईमारत अराजी नं0. 955 क एमआई और 962 ख एम आई, गांव सैन्दुरिया, परगना आगोरी, तहसील रॉबर्टसगंज, जिला सौनभद्र जिसकी माप 1390 स्क्वेयर मीटर।

चौहद्दी :- उत्तर : रोड़ सैन्दुरिया से निवाड़ी, दक्षिण : नरेन्द्र सिंह और अन्य, पूर्व : भूमि अमित कुमार और अन्य, पश्चिम : भूमि सम्पत्त यादव, विदया सागर और नरेन्द्र एण्ड अन्य।

(6) उपरिवर्णित कारणो के आधार पर, हम एतदद्वारा आपसे हमारी पूरी बकाया राशि इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग करते हैं, जिसमें असफल रहने पर, हम उपरिवर्णित प्रत्याभूत आस्तियों के विरुद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अधीन हमको प्राप्त शक्तियों में अन्य के साथ

(प) कर्जदार की प्रत्याभूत आस्ति का कब्जा प्राप्त करना, जिसमें प्रत्याभूत आस्ति के नकदीकरण हेतु पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण,

(पप) व्यवसाय का प्रबंधन अधिग्रहीत करना, जिसमें पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण का अधिकार तथा प्रत्याभूत ऋण की वसूली शामिल है तथा हमारे द्वारा किए गए प्रत्याभूत आस्ति के अंतरण से अंतरित प्रत्याभूत आस्ति के संबंध में सभी अधिकार अंतरिती को इस प्रकार प्रकार प्राप्त हो जाएंगे जैसाकि आपके द्वारा किए गए अंतरण से प्राप्त होते।

(7) उपरिवर्णित शक्तियों के प्रयोग से प्राप्त होने वाली राशि सर्वप्रथम उन सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों हेतु प्रयुक्त की जाएगी, जो कानून की दृष्टि में हमारे द्वारा समुचित उपगत किए गए हैं अथवा उनके अनुषंगी हैं और द्वितीयतः हमारी उपरिवर्णित बकाया राशि, इस सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली तक संविदात्मक दर पर ब्याज चुकाने हेतु प्रयुक्त की जाएगी, तथा शेष राशि, यदि कोई होगी, आपको अदा कर दी जाएगी।

(8) कृपया नोट करें कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद, आप इस सूचना में संदर्भित किसी भी प्रत्याभूत आस्ति का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरण, बैंक (प्रत्याभूत लेनदार) की लिखित सहमति के बिना नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो यह अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

(9) आपका का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

(10) कृपया यह भी नोट करें कि यह सूचना पूरी बकाया राशि अथवा उसके किसी अंश की वसूली, उसकी वसूली की तिथि तक देय ब्याज एवं लागतों के साथ करने के लिए आपके विरुद्ध डीआरटी/सक्षम न्यायालय में कार्यवाही आरंभ करने के बैंक के अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी।

दिनांक- 16.08.2019 स्थान-गाजियाबाद। प्राधिकृत अधिकारी

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

www.allahabadbank.com

भूतल, 17 संसद मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना

अचल सम्पत्ति के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन (यहां के बाद ''कथित अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (यहां के बाद ''कथित नियम'' के रूप में संदर्भित) के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 30.03.2019 जारी की थी जिसमें कर्जदारों मैसर्स राजेष प्रोजेक्ट्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, 1601, आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नं. बी-7 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली, गारंटरः श्री जय भगवान गोयल, श्री राजेष गोयल, श्रीमती सुचिता गोयल, सभी निवासी मकान नं.-32, रोड नं. 43, प्रथम तल, वेस्ट पंजाबी बाग, नजदीक सेन्ट्रल मार्केट, दिल्ली, मैसर्स आरजी एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, 501, आरजी ट्रेड टॉवर, प्लॉट नं बी-7, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 को कथित सूचना में उल्लिखित राषि रु. 20,47,55,078.00/- (बीस करोड़ सैतालीस लाख पचपन हजार अठहत्तर रुपए) और उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभार का भुगतान कथित सूचना प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।

कर्जदार/गारंटरों/बंधककर्ताओं द्वारा कथित सूचना में विनिर्दिष्ट राशि का पुनर्भुगतान करने के अपने दायित्व में असफल रहने के कारण कर्जदार/गारंटरों/बंधककर्ताओं तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम के अनुच्छेद 13(4) के अंतर्गत उन्हें को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सभी सम्पत्तियों को 21.08 2019 अपने कब्जे में ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन इलाहाबाद बैंक भूतल, 17 संसद मार्ग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के 30.03.2019 को रु. 20,47,55,078.00/- (बीस करोड़ सैतालीस लाख पचपन हजार अठहत्तर रुपए) प्लस ब्याज + अन्य प्रभार के साथ उस पर ब्याज, लागत एवं अन्य व्ययों का भुगतान करने के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

1) आरजी बाजार, प्लॉट नं. सीएससी, सैक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली में स्थित कम्पनी के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति : 10 वाणिज्यिक दुकानों के सभी भाग एवं हिस्से।
- यूनिट नं. जी-06 परिमाप 160 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-15 परिमाप 110 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-32 परिमाप 99 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-36 परिमाप 99 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-37 परिमाप 99 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-38 परिमाप 99 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-53 परिमाप 99 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-102 परिमाप 151 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-103 परिमाप 151 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित
- यूनिट नं. जी-104 परिमाप 151 वर्ग फीट, प्लॉट नं सीएससी, सीएस/ओसीएफ नं. 8 सैक्टर-11 एक्सटेंषन, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित

2) सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः आरजी सिटी सेंटर, लारेंस रोड, नई दिल्ली में स्थित दुकान नं. जी-01 से जी-10, भूतल, औसत एरिया 2018 वर्ग फीट, 107, 110, 111, 114 एवं 115, प्रथम तल, औसत एरिया 3068 वर्ग फीट, 210, 211, 214 एवं 215, द्वितीय तल, 2 बेसमेंट के साथ औसत एरिया 6580 वर्ग फीट

3) सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः प्लॉट नं. सीएससी/ओएफसी-01, आरजी मेट्रो आर्केड, सैक्टर-11, रोहिणी, दिल्ली में स्थित यूनिट नं. ए-101 औसत एरिया 4393 वर्ग फीट, ए-201 टैरेस के साथ एवं बी-201 बिना टैरेस एवं बेसमेंट औसत एरिया 3068 वर्ग फीट

4) सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः प्लॉट एसयू, एलएससी ब्लॉक, लारेंस रोड, दिल्ली में स्थित कथित आरजी सिटी सेंटर में वाणिज्यिक यूनिट नं. 208, दूसरा तल, परिमाप लगभग कवर्ड एरिया 75.69 वर्ग मीटर (815 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 108.13 वर्ग मीटर (1164 वर्ग फीट)

5) सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः प्लॉट एसयू, एलएससी ब्लॉक, लारेंस रोड, दिल्ली में स्थित कथित आरजी सिटी सेंटर में वाणिज्यिक यूनिट नं. 209, दूसरा तल, परिमाप लगभग कवर्ड एरिया 70.60 वर्ग मीटर (760 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 108.86 वर्ग मीटर (1086 वर्ग फीट)

6) सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः प्लॉट एसयू, एलएससी ब्लॉक, लारेंस रोड, दिल्ली में स्थित कथित आरजी सिटी सेंटर में वाणिज्यिक यूनिट नं. 212, दूसरा तल, परिमाप लगभग कवर्ड एरिया 70.60 वर्ग मीटर (760 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 108.86 वर्ग मीटर (1086 वर्ग फीट)

7) निम्नलिखित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः'
- प्लॉट नं. एसयू, लोकल शॉपिंग सेन्टर, प्लॉट नं. 39 के सामने, सैक्टर-09, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित कथित आरजी मॉल में जी-21 एवं जी-30 भूतल, परिमाप कवर्ड एरिया लगभग 21.73 वर्ग मीटर (234 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 31.25 वर्ग मीटर (336 वर्ग फीट)
- प्लॉट नं. एसयू, लोकल शॉपिंग सेन्टर, प्लॉट नं. 39 के सामने, सैक्टर-09, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित कथित आरजी मॉल में जी-22 एवं जी-29 भूतल, परिमाप कवर्ड एरिया लगभग 21.73 वर्ग मीटर (234 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 31.25 वर्ग मीटर (325 वर्ग फीट)

8) निम्नलिखित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः'
- प्लॉट नं. एसयू, लोकल शॉपिंग सेन्टर, प्लॉट नं. 39 के सामने, सैक्टर-09, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित कथित आरजी मॉल में जी-64 एवं जी-65 भूतल, परिमाप कवर्ड एरिया लगभग 34.00 वर्ग मीटर (366 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 48.95 वर्ग मीटर (527 वर्ग फीट)
- प्लॉट नं. एसयू, लोकल शॉपिंग सेन्टर, प्लॉट नं. 39 के सामने, सैक्टर-09, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित कथित आरजी मॉल में जी-25 एवं जी-26 भूतल, परिमाप कवर्ड एरिया लगभग 21.73 वर्ग मीटर (234 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 31.25 वर्ग मीटर (325 वर्ग फीट)

9) निम्नलिखित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः'
- प्लॉट नं. एसयू, लोकल शॉपिंग सेन्टर, प्लॉट नं. 39 के सामने, सैक्टर-09, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित कथित आरजी मॉल में जी-24 एवं जी-27 भूतल, परिमाप कवर्ड एरिया लगभग 21.73 वर्ग मीटर (234 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 31.25 वर्ग मीटर (336 वर्ग फीट)
- प्लॉट नं. एसयू, लोकल शॉपिंग सेन्टर, प्लॉट नं. 39 के सामने, सैक्टर-09, रोहिणी, दिल्ली-110085 में स्थित कथित आरजी मॉल में जी-23 एवं जी-28 भूतल, परिमाप कवर्ड एरिया लगभग 21.73 वर्ग मीटर (234 वर्ग फीट) एवं सुपर एरिया (प्लिन्थ एरिया) 31.25 वर्ग मीटर (336 वर्ग फीट)

स्थान : दिल्ली, प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 21.08.2019 इलाहाबाद बैंक

Parsvnath Developers Limited

Registered & Corporate Office: Parsvnath Tower, Near Shahdara Metro Station, Shahdara, Delhi - 110032
CIN: L45201DL1990PLC040945; Phone No: 011-43010500, 011-43050100; Fax No: 011-43050473
e-mail address: secretarial@parsvnath.com; Website: www.parsvnath.com

कंपनी की 28वीं वार्षिक सभा, पुस्तिका बंद होने तथा ई-वोटिंग संबंधित सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के सदस्यों की 28 वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार सितंबर 21, 2019 को अपराह्न 3.30 बजे श्री सत्य साईं इंटरनेशनल सेंटर, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003 में आयोजित की जाएगी। [illegible]

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड
हस्ता/-
(वी. मोहन)
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कंपनी सचिव
सदस्यता सं. एफ-2084

दिनांकः 28 अगस्त, 2019
स्थानः दिल्ली

Directorate General
SASHASTRA SEEMA BAL
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
Force HQ, SSB, East Block-V, R.K. Puram, New Delhi-110066

e-NOTICE INVITING TENDER

The Executive Engineer, Office of the Director General, SSB, East Block-V, R.K. Puram, New Delhi-110066 on behalf of the President of India invites percentage rate e-Tenders from approved and eligible contractors of CPWD, and those of appropriate list of MES, P&T and Railways, State PWD and those having experience of works in SSB for similar type of works upto 1500 Hrs. on 13.09.2019 for the following works:-

Sl. No.	Name of Work	NIT No.	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money (Rs.)	Time of Completion	Cost of Tender
1	Repainting and Repairing of Fortwall, Boundary Wall and Stadium Shed at 25th BN, SSB, Ghitorni, New Delhi	217/ Ghitorni / 2019-20	17,71,643/-	35,437/-	120 days	560/-

Date of Start of tender submission : 30/08/2019
Last date & time of tender submission : 13/09/2019 at 1500 Hrs.
Date & time of opening of tender : 16/09/2019 at 1530 hrs

All relevant details like, specification/ qualitative requirement etc., terms & condition are available on the SSB Website www.ssb.nic.in / www.eprocure.gov.in All tenderers are requested to visit SSB website regularly to check changes, if any, in the Tender document. No separate communication will be made. Tenderer must ensure up-loading of legible documents.

कार्यालय वसूली अधिकारी-।।
ऋण वसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर. सी. सं.- 499/2016 | **बिक्री उद्घोषणा** | दिनांक 16.08.2019

बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स हाई-टेक फैशन कम्पनी एवं अन्य

बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993

सीडी नं. 1. मैसर्स हाई-टेक फैशन कंपनी, 7198, रतन गली, सुंदर चौक के पास, गांधी नगर, दिल्ली - 110031

सीडी नं. 2. निति कुमार अरोड़ा, (प्रोपराइटर मैसर्स हाई-टेक फैशन कंपनी) IX/7107/5 & IX/7107/10 शांति मार्केट, गुरु नानक गली, गांधी नगर, नई दिल्ली - 110031, और: 7198, रतन गली, सुंदर चौक, गांधी नगर, दिल्ली - 110031, और: 5/10, ब्लॉक 1, कृष्णा नगर, दिल्ली - 110051, और: जेल अधीक्षक, जेल नं. 8, तिहाड़ जेल, नई दिल्ली

सीडी नं. 3. विनोद कुमार अरोड़ा, 5/10, ब्लॉक 1, कृष्णा नगर, दिल्ली - 110051, और IX/7107/5 & IX/7107/10, शांति मार्केट, गुरु नानक गली, गांधी नगर, नई दिल्ली - 110031, और जेल अध्यक्ष के माध्यम से, डासना जेल, गाजियाबाद (यू.पी.)

सीडी नं. 4. रूपाली चोपड़ा (अब मृतक) के माध्यम से, कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से) श्री टीनू आनंद चोपड़ा, ई-45, मालवीय नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110017, और) सुश्री सुनीता चोपड़ा डी/ओ श्री टीनू आनंद चोपड़ा, ई-45, मालवीय नगर एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110017

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली द्वारा ओ ए नं. 409/2015/डी आर टी-।।।, दिल्ली में दिनांक 11.05.2015 से वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके / उनके द्वारा देय योग्य **रु. 1,49,78,740.02 (रु. एक करोड़ उनचास लाख अठहत्तर हजार सात सौ चालीस और पैसे दो मात्र)** और साथ में साधारण ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित प्रमाणपत्र के अनुसार देय योग्य ब्याज व लागत का भुगतान प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है।

और जैसाकि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जहाँ पर **रु. 1,49,78,740.02 (रु. एक करोड़ उनचास लाख अठहत्तर हजार सात सौ चालीस और पैसे दो मात्र)** और साथ में @12% की दर से ब्याज ओ. ए दाखिल करने की तिथि अर्थात 11.05.2015 से साधारण ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित अदायगी की तिथि तक देनदारों से संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से देय है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को ई-नीलामी द्वारा **11.10.2019** को अप. 03.00 बजे से 04.00 बजे के बीच बेचा जाएगा **(5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है)** तथा सेवा प्रदाता **मैसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार फेज-2, गल्फ पैट्रोकैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा-122015, फोन : 0124-4302020/21/22/23/24, 09813887931, ई-मेल : support@bankeauctions.com** से सम्पर्क करें।

संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी और संपत्ति का निरीक्षण हेतु सीएच बैंक के ऑफिसर **श्री प्रदीप कुमार, मुख्य प्रबंधक, मो. 8130504167** या अधोहस्ताक्षरी के सहायक से संपर्क किया जा सकता है।

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावों को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी। यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री का तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अधोहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

1. आरक्षित मूल्य के नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	मकान नं. एच-5/10 का पूर्वी आधा हिस्सा, जोकि कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 110.7/20 वर्ग गज	रु.1,71,00,000/- (रु. एक करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) धरोहर राशि: रु.17,10,000/- (रु. सत्रह लाख दस हजार मात्र)

2. बोली, **कम से कम रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।
3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसका स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
4. धरोहर राशि जमा करने हेतु **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली में** देययोग्य हो को **वसूली अधिकारी -।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली को दिनांक 11.10.2019 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायगी।
5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई-मेल आई डी, मोबाइल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगा। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी/प्रतिनिधित्व का पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख तथा एसी जमा रसीद/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली** के कार्यालय में जमा कराना होगा।
6. असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी-।।। की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा
7. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00 बजे तक ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विवरणानुसार जमा करनी होगी।
8. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**
9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएगें।
10. **सम्पत्ति को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ है आधार" पर बेचा जाएगा**
11. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रास्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह-स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
1.	मकान नं. एच-5/10 का पूर्वी आधा हिस्सा, जोकि कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 110.7/20 वर्ग गज	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

मेरे समक्ष दिनांक 16.08.2019 को मोहर किया गया | (विकास जेटली) वसूली अधिकारी-।।, ऋणवसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

Branch- Patel Nagar, Ghaziabad, UP
Uttar Pradesh
E-mail: br.9838@syndicatebank.co.in

Ref No: 9838/140/266/SARFAESI/2019 | दिनांक: 16.08.2019

सेवा में, कर्जदारगण:

नाम	पता
1. मै0. श्री कुंज बिहारी ट्रेडर्स।	1. 515/560/1 राम नगर किराना मण्डी, ए-3, गाजियाबाद। 2. बी-92, नवीन मण्डी स्थत, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उ0प्र0।
2. श्री अमित कुमार गर्ग पुत्र श्री श्री प्रकाश गर्ग।	एई-187, प्रथम तल अवन्तिका कॉलोनी, गाजियाबाद।

प्रिय महोदय/महोदया,

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

(1) हमने, आपके अनुरोध पर, कर्जदार/रों को कुल योग राशि रू. 75,00,000/- हेतु क्रेडिट लिमिट्स मंजूर की हैं तथा हम हमारे द्वारा प्रदान की गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का पूर्ण विवरण यहां नीचे दे रहे हैं :

क्रम सं.	सुविधा का प्रकार/ खाता संख्या	Limit/Loan Amount (Rs.)	Outstanding Liability (Rs.) as on 30.07.2019	एन पी ए तारीख
1.	98381400000266	7500000	7781901.57	29.07.2019

(2) चूंकि आपने देय राशियां चुकाने में चूक की है, हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 29.07.2019 निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार आपका खाता को अनार्जक आस्ति के रूप में सूचीबद्ध किया है।

(3) ऋण दस्तावेज की सहमत शर्तों के अनुसार भुगतान में लगातार चूक के दृष्टिगत, पूरी राशि देय हो चुकी है। अतः अब रू. 7781901.57 (रू. सतहत्तर लाख इक्यासी हजार नौ सौ एक और सत्तावन पैसे मात्र) की राशि दिनांक 29-07-2019 से ब्याज और लागतों इत्यादि सहित बकाया है।

(4) हम आपको यह भी सूचित करते हैं कि हमारी पूरी बकाया राशि के भुगतान हेतु बारम्बार सूचनाओं तथा मौखिक अनुरोधो के बावजूद, आपने अभी तक उसका भुगतान नहीं किया है।

(5) आपको विदित है कि हमारे द्वारा मंजूर की गई लिमिट द्वारा स्वाधिकृत निम्नलिखित आस्तियों (प्रतिभूत आस्तियों) द्वारा प्रत्याभूत है मालिक श्री अमित कुमार गर्ग पुत्र श्री श्री प्रकाश गर्ग।

भूमि और ईमारत अराजी नं0. 955 क एमआई और 952 ख एम आई, गांव सैन्दुरिया, परगना आगोरी, तहसील रॉबर्टसगंज, जिला सौनभद्र जिसकी माप 529 स्क्वेयर मीटर।

प्लॉट नं0 1 चौहद्दी :- उत्तर : रोड़ छोपन बैरियर से सैन्दुरिया, दक्षिण : नरेन्द्र सिंह की भूमि और नरेन्द, पूर्व : महेन्द्र की भूमि, चन्दू और अन्य, पश्चिम : अमित कुमार गर्ग का घर।

प्लॉट नं0 2 चौहद्दी :- उत्तर : सम्पत की भूमि, दक्षिण : अमित कुमार गर्ग का घर, पूर्व : अमित कुमार गर्ग का घर, पश्चिम : विदया का घर।

(6) उपरिवर्णित कारणो के आधार पर, हम एतद्द्वारा आपसे हमारी पूरी बकाया राशि इस सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग करते हैं, जिसमें असफल रहने पर, हम उपरिवर्णित प्रत्याभूत आस्तियों के विरुद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अधिनियम की धारा 13 के अधीन हमको प्राप्त शक्तियों में अन्य के साथ

(प) कर्जदार की प्रत्याभूत आस्ति का कब्जा प्राप्त करना, जिसमें प्रत्याभूत आस्ति के नकदीकरण हेतु पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण, (पप) व्यवसाय का प्रबंधन अधिग्रहीत करना, जिसमें पट्टा, समनुदेशन अथवा बिक्री द्वारा अंतरण का अधिकार तथा प्रत्याभूत ऋण की वसूली शामिल है तथा हमारे द्वारा किए गए प्रत्याभूत आस्ति के अंतरण से अंतरित प्रत्याभूत आस्ति के संबंध में सभी अधिकार अंतरिती को इस प्रकार प्रकार प्राप्त हो जाएगें जैसाकि आपके द्वारा किए गए अंतरण से प्राप्त होते।

(7) उपरिवर्णित शक्तियो के प्रयोग से प्राप्त होने वाली राशि सर्वप्रथम उन सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों हेतु प्रयुक्त की जाएगी, जो कानून की दृष्टि में हमारे द्वारा समुचित उपगत किए गए हैं अथवा उनके अनुषंगी हैं और द्वितीयतः हमारी उपरिवर्णित बकाया राशि, इस सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली तक संविदात्मक दर पर ब्याज चुकाने हेतु प्रयुक्त की जाएगी, तथा शेष राशि, यदि कोई होगी, आपको अदा कर दी जाएगी।

(8) कृपया नोट करें कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद, आप इस सूचना में संदर्भित किसी भी प्रत्याभूत आस्ति का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरण, बैंक (प्रत्याभूत लेनदार) की लिखित सहमति के बिना नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया तो यह अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

(9) आपका का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

(10) कृपया यह भी नोट करें कि यह सूचना पूरी बकाया राशि अथवा उसके किसी अंश की वसूली, उसकी वसूली की तिथि तक देय ब्याज एवं लागतों के साथ करने के लिए आपके विरुद्ध डीआरटी/सक्षम न्यायालय में कार्यवाही आरंभ करने के बैंक के अधिकार को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगी।

दिनांक- 16.08.2019 | स्थान-गाजियाबाद। | प्राधिकृत अधिकारी

तेजाब हमला, 21 जख्मी

हाजीपुर, 28 अगस्त (भाषा)। जिले के वैशाली थाने के दाउदपुर गांव में बुधवार को एक विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर कथित तौर पर तेजाब फेंका, जिससे तीन महिलाओं सहित 21 लोग जख्मी हो गए।

HARYANA LEATHER CHEMICALS LTD.
CIN: L74999HR1985PLC019905
Regd. Office: 72-77, HSIDC Industrial Estate, Hansi Road, Jind - 126102 (Haryana)
Tel: +91-01681-225662, Fax: +91-01681-225101
E-mail: info@leatherchem.com, Website: www.leatherchem.com

NOTICE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 96 of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 34th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 25th day of September, 2019 at 11.30 a.m. at its Registered Office at 72-77, HSIDC Industrial Estate, Hansi Road, Jind - 126102 (Haryana) to transact business as detailed in the notice dated August 09, 2019.

The Company has completed mailing of notice to the members individually by post together with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 and Report of Directors' and Statutory Auditors along with other documents.

These documents have been sent electronically to those members who have registered their e-mail addresses.

These documents are also available on the company website www.leatherchem.com

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Wednesday the 18.09.2019 to Wednesday the 25.09.2019 (both days inclusive) to determine the Members entitled to receive the dividend for the year ended March 31, 2019.

The final dividend @ Rs. 0.80 per share of Rs. 10/- each, if declared at the Annual General Meeting will be paid to those Members whose name will appear in the Register of Members of the Company as the close of Tuesday the 17.09.2019 and/or the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the close of Tuesday the 17.09.2019. The record date as printed in the Annual Report is to be read out as 17.09.2019 in place of any other date, if misprinted.

Further in accordance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide E-voting facility to all its members to exercise their rights to vote on the resolution through remote e-voting provided by National Security Depository Limited (NSDL). The E-voting period commences on Sunday, 22nd September, 2019 (10:00 a.m.) and ends on Tuesday, 24th September, 2019 (05:00 p.m.). The Members will not be able to cast their votes after the said period. The only Members who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to vote at the meeting.

For Haryana Leather Chemicals Ltd.
SILU NANDA
Company Secretary

Place: Gurugram
Date : 29.08.2019

KRISHNA WEAVERS LIMITED
Regd. Office: E-42/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
Contact No.: +91-7093383001 Email: krishnaweavers@gmail.com
Corporate Identity Number: U74999DL2008PLC319330

NOTICE
(for the attention of Equity Shareholders of the Company)
Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education & Protection Fund (IEPF)

This notice is published pursuant to the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by Ministry of Corporate Affairs effective from 7th September 2016 (including any modification or re-enactment thereof for the time being in force).

The Rules, interalia, provide for transfer of all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) set up by the Central Government. Accordingly, the Company has sent individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF under the said Rules at their latest available address.

Notice is hereby given to all such shareholders to make an application to the Company/undersigned by 01.11.2019 with the request for claiming the unpaid dividend for the year 2011-12 onwards so that the shares are not transferred to the IEPF. It may please be noted that if no reply is received by the Company by 01.11.2019, the Company will be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per the Rules and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF.

It may be noted that the shares transferred to IEPF, including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after the procedure prescribed under the Rules.

For any clarification on matter, please contact the undersigned.

Vivek Rishi
Krishna Weavers Ltd
E-42/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
Contact No.: +91-9310679043

Sd/-
Rajendran Kavil Poduvattil Achutan
Director
DIN: 01882807
Krishna Weavers Limited
Regd. Off: E-42/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020

Place : New Delhi
Date : 27th August, 2019

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रधान कार्यालय: हर्षा भवन, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-32, गुरुग्राम - 122001
वेबसाइट: www.obcindia.co.in ई-मेल: mbd@obc.co.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी के दिनांक 06 नवंबर, 2018 के परिपत्र सेबी/प्रका/एमआईआरएसडी/डीओएस3/परि/पी/2018/139 के अनुसरण में बैंक को नीचे दिए विवरणानुसार प्रतिभूतिधारक के नाम पर धारित निम्नलिखित प्रतिभूतियों को अंतरित करने के लिए निम्नलिखित अंतरितियों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा दावा किया गया था कि उन्होंने ये प्रतिभूतियां क्रय की थीं तथा ये उनके नाम पर अंतरित नहीं हुई है

फोलियो नं.	धारक अंतरणकर्ता का/के नाम	प्रतिभूति का प्रकार तथा अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की संख्या	विशिष्ट नं. से - तक	अंतरितियों के नाम
00445241	मारगन ग्रीनफेल्ड ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट्स फंड (मॉरिशस) प्रा. लि.	इक्विटी 10/-	100	143400901 से 143401000	सरदार जगजीत सिंह सलूजा एवं मनजीत सिंह सलूजा

यदि कोई व्यक्ति ऊपर उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में दावा रखता है तो, वह अपने दावे को सिद्ध करने वाले उपयुक्त दस्तावेजी प्रमाणों के साथ नोटिस की तिथि से 30 दिनों के भीतर बैंक के पास निवेशक शिकायत निवारण कक्ष, कॉरपोरेट कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करे, अन्यथा बैंक बिना किसी आगामी सूचना के उपरोक्त प्रस्तावित अंतरिति(यों) के पक्ष में प्रतिभूतियां अंतरित करने के लिए कार्रवाई शुरु कर देगा।

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 28.08.2019

महा प्रबंधक
मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग

AMRIT AGRO INDUSTRIES LTD.
(CIN: U01111UP1985PLC010776)
Regd. Office: CM/28, 1st Floor, Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T. Road, Ghaziabad-201 009 (U.P.)
Phone: 0120-2866880
E-mail: info@amritagro.com, Website: www.amritagro.com

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ('AGM') of the members of Amrit Agro Industries Limited will be held at Chaudhary Bhavan (Near Jain Mandir), E-Block, Kavi Nagar, Ghaziabad-201 002 (U.P.) on Thursday, September 26, 2019 at 02:30 p.m. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2019 and e-voting details have been sent to all the members individually at their registered addresses in prescribed mode. The date of completion of dispatch of the notices to the shareholders is August 28, 2019. These documents are also available on Company's website **www.amritagro.com** for download by the members and kept at the Registered Office of the Company for inspection by members.

Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business through National Securities Depository Ltd. (NSDL) through their portal **www.evoting.nsdl.com** to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Monday, September 23, 2019 (09:00 am) and ends on Wednesday, September 25, 2019 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 20, 2019, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 20, 2019, will be provided the notice through mail or by post after the cut-off date and such members may also obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or RTA, MAS Services Limited. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri Baldev Singh Kashtwal, Practising Company Secretary (Membership No. FCS-3616 & CP No. 3169), Partner, M/s. RSM & Co., Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

The detailed procedure for e-voting are contained in the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting can be addressed to Mr. Harish Goswami, Share Department, CM-28 (First Floor), Gagan Enclave, Amrit Nagar, G.T.Road, Ghaziabad - 201 009, (UP), Tel.: 0120-4506900, 0120-2866880, Fax: 0120-4506910, Email: **info@amritagro.com.**

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Equity Shareholders of the Company will remain closed from Monday, September 23, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of annual closure of books.

For **Amrit Agro Industries Limited**
Sd/-
(Jaya Bajaj)
Managing Director

Date : August 28, 2019
Place : Ghaziabad

यौन उत्पीड़न में अभिनेता गिरफ्तार

पुणे, 28 अगस्त (भाषा)। पुणे पुलिस ने फोटोशूट के दौरान एक लड़की का कथित रूप से उत्पीड़न करने को लेकर 24 वर्षीय एक अभिनेता-निर्देशक को गिरफ्तार किया है।

डेक्कन थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी अभिनेता मंदार कुलकर्णी को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। कुलकर्णी ने कुछ व्यावसायिक नाटकों में अभिनय किया है और वह नाट्य कार्यशालाएं भी आयोजित करता है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता लड़की (17) से एक ऐसी ही कार्यशाला में उसकी मुलाकात हुई थी।

थाने के एक अधिकारी ने कहा, 'उसके बाद कुलकर्णी ने यह कहते हुए उसे 16 अगस्त को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया कि वह उसे एक नाटक में किरदार देना चाहता है।

उसने उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े दिए और उसके कुछ फोटो खींचे।'

अधिकारी ने बताया कि उसने उसे एक बिकनी दी और जब लड़की ने एतराज किया, तब उसने उसे उस कपड़े में अन्य लड़कियों के साथ अपनी तस्वीर दिखाई।

अधिकारी के अनुसार लड़की ने बिकनी पहन ली। अभिनेता ने उसके कुछ और फोटो खींचे। बाद में घर पहुंचने पर लड़की ने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया जिसने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम
(लाभकारी परियोजना प्रभाग)
प्रथम तल, उद्योग सदन, 419, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110092
सं. ए.सी./आर.पी. सेल/ईडीएमसी/2019/डी-426 दिनांक 26.08.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पू.दि.न.नि. क्षेत्र की सरकारी पार्किंग के लिए ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित किये जाते हैं। तिथि एवं समय सूची निम्नानुसार है:

निविदा जारी होने की तिथि	:	26.08.2019
बोली-पूर्व बैठक	:	04.09.2019 (अप. 02:30 बजे)
बोली-पूर्व बैठक का स्थान	:	ए.सी./आर.पी. सेल, पू.दि.न.नि. का कक्ष
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:	27.09.2019 (अप. 01:00 बजे तक)
तकनीकी बोली खोलने की तिथि	:	27.09.2019 (अप. 02:30 बजे)

विस्तृत नियम एवं शर्तों तथा निविदा की समय सूची सहित नक्शों से युक्त निविदा दस्तावेज पू.दि.न.नि. की वेबसाइट **www.mcdonline.gov.in** पर उपलब्ध है।

आरओ न. 42/डीपीआई/पूर्वी/2019-20 | सहायक आयुक्त, आर.पी.सेल

पूर्वी दि. न. निगम नागरिक हेल्पलाईन सेवा - 155303

WISEC GLOBAL LIMITED
NH-II.2ND Floor, C Block Community CenterNaraina Vihar, New Delhi-110028

NOTICE OF BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 to transact the business contained in the Notice of the said AGM. Notice of the meeting has been dispatched and Notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Monday, 23rd September, 2019 to Monday. 30th September, 2019 (Both days inclusive) for the said AGM of the Company and payment of dividend, if any approved at the AGM.

For Wisec Global Limited
Sd/-
Rakesh Rampal
Whole Time Director

Date: 28/08/2019
Place: New Delhi

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
SHRI MATA VAISHNO DEVI SHRINE BOARD, KATRA
ABRIDGED TENDER NOTICE

For and on behalf of the Chairman, Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, Katra, sealed tender are invited from Principal firms or their authorized franchisees for providing Catering Services at **Bhojanalaya Saraswati Dham, Rail Head Complex, Jammu,** of Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board, on leave and license basis **"on as is where is basis".** Sealed technical bid and commercial bid should reach the Office of the Chief Executive Officer, Katra, upto 1500 hrs. on 17th of September 2019. Bidders are advised to visit the premises in advance in order to be well versed with the economic potential of location before submitting their bids. Offers should be complete in all respect and duly signed by the tenderer. Incomplete / conditional tender or tender received after the stipulated date and time shall not be considered.

Tender Performa along with detailed terms and conditions of the tender can be downloaded from our official website (www.maavaishnodevi.org), free of cost.

Sd/-
Dr. J.C. Mehra) KAS
Dy. Chief Executive Officer

No.: Co/Cat/338/676
Dated: 28.08.2019

Amrit Corp. Ltd.
CIN: L15141UP1940PLC000946
Reg. Office: CM/28, First Floor, Gagan Enclave, Amrit Nagar, G T Road, Ghaziabad - 201 009 (U.P.)
Corp. Office: Amrit Corporate Centre, A-95, Sector-65, Noida-201 309 (U.P.)
Ph.: 0120-4506900; Fax: 0120-4506910
E-mail: info@amritcorp.com, Website: www.amritcorp.com

NOTICE OF 78TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the Seventy Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the members of Amrit Corp. Limited will be held at Chaudhary Bhavan (Near Jain Mandir), E-Block, Kavi Nagar, Ghaziabad-201 002 (U.P.) on Thursday, September 26, 2019 at 11:00 a.m. to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM. The Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended March 31, 2019 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository Participants and physical copies of the same have been sent to all other members individually at their registered addresses in prescribed mode. The date of completion of dispatch of the notices to the shareholders is August 27, 2019. These documents are also available on Company's website **www.amritcorp.com** for download by the members and kept at the Registered Office of the Company for inspection by Members. Further, the shareholders desiring the said documents in physical form will be provided the same free of cost, upon request.

Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business through National Securities Depository Ltd. (NSDL) through their portal **www.evoting.nsdl.com** to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Monday, September 23, 2019 (09:00 am) and ends on Wednesday, September 25, 2019 (05:00 pm). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 19, 2019, may cast their vote by remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 19, 2019, will be provided the notice through mail or by post after the cut-off date and such members may also obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or RTA, MAS Services Limited. However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Shri Baldev Singh Kashtwal, Practising Company Secretary (Membership No. FCS-3616 & CP No. 3169), Partner, M/s. RSM & Co., Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

The detailed procedure for remote e-voting are contained in the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting can be addressed to Shri P. K. Das, Company Secretary and Compliance Officer, Amrit Corp. Ltd., A-95, Sector-65, Noida - 201309 (U.P.), Tel.: 0120-4506900, Fax: 0120-4506910, Email: pkdas@amritcorp.com.

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Equity Shareholders of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of annual closure of books.

for **Amrit Corp. Ltd**
Sd/-
(P. K. Das)
Company Secretary & Compliance Officer

Dated: August 28, 2019
Place : Ghaziabad

अकील कुरैशी की पदोन्नति पर विधि एवं न्याय मंत्रालय से सूचना मिली : सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर उसे विधि एवं न्याय मंत्रालय से एक सूचना मिली है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की पीठ ने कहा कि मंत्रालय की सूचना कॉलेजियम के समक्ष रखी जाएगी जिससे कि वह इस पर संज्ञान ले सके। अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

'बाबर न तो अयोध्या गया, न ही मस्जिद के लिए मंदिर गिराने का आदेश दिया'

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

एक हिंदू संस्था ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया कि मुगल बादशाह बाबर न तो अयोध्या गया था और और न ही विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर 1528 में मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।

एक मुस्लिम पार्टी के जरिए दायर मुकदमे में प्रतिवादी अखिल भारतीय श्रीराम जन्म भूमि पुनरुद्धार समिति ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा और तुजुक-ए-जहांगीरी जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों का उल्लेख किया। संस्था ने कहा कि इनमें से किसी में भी बाबरी मस्जिद के अस्तित्व के का जिक्र नहीं किया गया है। हिंदू संस्था की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी एन मिश्रा ने दशकों पुराने मामले में हो रही सुनवाई में 14वें दिन कहा कि इन पुस्तकों, खासकर बाबरनामा में प्रथम मुगल बादशाह के सेनापति मीर बाकी के जरिए अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण या मंदिर गिराए जाने का कोई जिक्र नहीं है।

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK
(A Govt. of India Undertaking)

विशिष्ट आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा (एसएआरएम) प्रथम तल, एम-35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
फोन नंबर : 011-23418746, 23418750 ई-मेल : bm3102@andhrabank.co.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि आन्ध्रा बैंक के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित कब्जा आन्ध्रा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है,

1. कर्जदार-सह-बंधकदाता : मैसर्स डॉल्फिन सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर बी-155, सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)- 201301
2. निदेशक-सह-गारंटर : (1) सुश्री ज़ेबा उर्फी, ई-236, द्वितीय तल, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110024, अन्य पता : ए-169, द्वितीय तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024 (2) सुश्री ज़ेबा उर्फी, सी-104, द्वितीय तल, काल्काजी, नई दिल्ली-110019

से आन्ध्रा बैंक की 30-06-2014 तक बकाया राशि रू. 18,61,81,962.90/- (रू. अठारह करोड़ इकसठ लाख इक्यासी हजार नौ सौ बासठ तथा पैसे नब्बे मात्र) आगे ब्याज, लागतों, प्रभारों इत्यादि सहित की वसूली के लिए दिनांक 13-09-2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा यहां नीचे वर्णितानुसार होगी। न्यूनतम बोली गुणक सुरक्षित मूल्य की 1 प्रतिशत/ईएमडी होगी।

क्र. सं.	सम्पत्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी (सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत)
1.	मैसर्स डॉल्फिन सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ संबंधित औद्योगिक सम्पत्ति, भूमि तथा भवन प्लॉट नंबर बी-155, सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)- 20130, परिमाप 925 वर्ग मीटर (सम्पत्ति सांकेतिक कब्जाधीन है)	रू. 5,25,00,000/- (रूपए पांच करोड़ पच्चीस लाख मात्र)	रू. 52,50,000/- (रूपए बावन लाख पचास हजार मात्र)

(यह सम्पत्ति मूल रूप से मैसर्स डॉल्फिन सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के खाते में बंधक रखी गई थी और मैसर्स होरिजोन सॉल्यूशन के खाते को भी विस्तारित की गई थी)। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक नामतः **www.andhrabank.in www.tenders.gov.in** तथा ई-नीलामी सेवा प्रदाता वेबसाइट नामतः **www.antaressystems.com, www.tenderwizard.com/ANB** देखें।

तिथि : 28-08-2019
स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधक
आन्ध्रा बैंक एसएआरएम शाखा, नई दिल्ली

'ओम' और 'गणेश' प्रिंट वाली लेगिंग्स पर कंपनी ने मांगी माफी

लंदन, 28 अगस्त (भाषा)।

लंदन के एक ऑनलाइन रिटेलर ने 'ओम' और 'गणेश' प्रिंट वाली उसकी लेगिंग्स पर विवाद होने के बाद मंगलवार को माफी मांगते हुए उसे वापस ले लिया।

अमेरिका के एक हिंदू समूह ने इस ब्रांड की आलोचना करते इसे 'बेहद अनुचित' बताया था। अपनी स्टाइलिश लेगिंग्स के लिए मशहूर 'इको फ्रेंडली' कंपनी 'एमीकाफाक्स', 'ओम' और 'गणेश' के प्रिंट वाली काली-सफेद लेगिंग्स 30 पाउंड में बेच रही थी। इसमें उसने हिंदू भगवान को नई शुरुआत का प्रतीक बताया था।

फैशन मॉडल एवं 'एमीकाफाक्स' की सह-संस्थापक एमीली जेन ने कहा, 'मैं दुखी हूं कि मैंने लेगिंग्स पर 'ओम' और 'गणेश' प्रिंट करा के हिंदू लोगों को ठेस पहुंचाई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैं दिल से माफी चाहती हूं।' उन्होंने कहा, 'ये मेरी वेबसाइट से हटा ली जाएंगी।'

जम्मू-कश्मीर के लिए योजनाओं, परियोजनाओं पर काम करें मंत्री : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में विकास की पहलों पर जोर देते हुए बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों से क्षेत्र के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहा है। मोदी ने इसके साथ ही राज्य के उन अधिकारियों और छात्रों के साथ संवाद कायम करने का भी आह्वान किया जो वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं।

सूत्रों ने कहा कि मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर की स्थिति पर प्रस्तुति दी और जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के कदम के बारे में देर तक बोले। उन्होंने कहा कि शाह ने कहा कि घाटी में स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। घाटी में कई स्थानों पर सुरक्षा व संचार पाबंदियां हैं। उन्होंने पाबंदियों का बचाव करते हुए कहा कि यह व्यापक हित के लिए है। उन्होंने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि संचार और लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रोक नहीं है। शाह ने कहा कि पाबंदियां केवल कुछ स्थानों पर लागू हैं जहां सुरक्षा को खतरा है। सूत्रों ने कहा कि बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उनके द्वारा हाल में घोषित सुधार के उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये कदम उठाने से पहले सभी हितधारकों से मशविरा किया है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा इस महीने के शुरू में समाप्त किए जाने के बाद सरकार राज्य में 100 से अधिक केंद्रीय कानून लागू करने के वास्ते जरूरी आधारभूत ढांचा तैयार करने को जल्द ही करोड़ों रुपए के पैकेज ला सकती है। सूत्रों ने कहा कि यद्यपि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर आधारित पैकेज वास्तव में कितनी राशि का होगा। इसकी अभी गणना की जानी है। प्रस्ताव जल्द ही व्यय वित्तपोषण समिति को भेजा जाएगा और घोषणा किए जाने से पहले इसकी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी।

दक्षिणी मेक्सिको में बार पर हमले में 25 लोगों की मौत

मेक्सिको सिटी, 28 अगस्त (एपी)।

मेक्सिको के खाड़ी तटीय शहर कोअतजाकोलकोस में एक बार पर हमले में 25 व्यक्तियों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने बमबारी की जिससे बार में आग लग गई। वेराक्रूज तटीय राज्य के अभियोजन कार्यालय ने कहा कि आग गैसोलीन बम की वजह से लगी हो सकती है। इस तरह का हमला लगभग आठ साल बाद हुआ है जब मोंटेरी के एक कसीनो में किए गए हमले में 52 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल गिरोह जेटास ने वसूली का दबाव बनाने के लिए इस हमले की साजिश रची थी।

भारत को उम्मीद, पाकिस्तान एक दिन सामान्य पड़ोसी बनेगा : जयशंकर

मास्को, 28 अगस्त (भाषा)।

रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी विद्वानों और पत्रकारों से बातचीत में उम्मीद जताई कि पाकिस्तान एक दिन सामान्य पड़ोसी बन जाएगा।

मंत्री ने कहा, 'अगर आपका पड़ोसी आपके साथ सामान्य कारोबार नहीं करता है, कनेक्टिविटी की इजाजत नहीं देता है और सोचता है कि आप पर दबाव बनाने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल एक नीति के तौर पर ठीक है तो यह सामान्य पड़ोसी नहीं है।' जम्मू-कश्मीर पर भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेज दिया था, और भारत के साथ राजनयिक संबंध को कम करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, 'यह निश्चित तौर पर मेरी उम्मीद है कि वे (पाकिस्तान) एक दिन सामान्य पड़ोसी बन जाएंगे। मैं चाहूंगा कि यह हो।'

वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और दोनों ने आपसी हित के क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

मंत्रालयों में रिश्तेदारों की नियुक्ति न करें मंत्री : मोदी

नई दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी मंत्री परिषद को निर्देश दिया कि वे ऐसे दावें करें जो स्थापित हो सकें और मंत्रालयों में सलाहकारों की भूमिका में अपने रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं करें।

सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोदी ने मीडिया और सार्वजनिक तौर पर गैर जरूरी टिप्पणियों का हवाला दिया और मंत्रियों से स्पष्ट तौर पर कहा कि वे केवल तथ्यों को बताएं या ऐसे दावें करें जो स्थापित हो सकें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से यह भी कहा कि वे अपने संबंधित मंत्रालयों में या विभागों में सलाहकारों की भूमिका में अपने रिश्तेदारों को नियुक्त नहीं करें।

महारानी एलिजाबेथ ने संसद की बैठक को निलंबित रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

लंदन, 28 अगस्त (भाषा)। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद की बैठक को 14 अक्तूबर तक निलंबित रखने की अपनी योजना को बुधवार को सार्वजनिक किया ताकि वह जिसे नया साहसिक व महत्त्वाकांक्षी विधायी एजेंडा बता रहे हैं, उसे ब्रेक्जिट की अंतिम तिथि से दो हफ्ते पहले तक प्रस्तुत कर सकें। हालांकि उनके इस कदम की विपक्ष ने तीखी आलोचना की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि जॉनसन ने अगले महीने नौ सितंबर से शुरू हो रही अगली बैठक को निलंबित करने का अनुरोध करने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से बात की थी। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने औपचारिक अनुरोध के बारे में संदेश पहुंचाया।

बर्दमान धमाका मामले में चार बांग्लादेशियों समेत 19 दोषी

कोलकाता, 28 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) की एक विशेष अदालत ने 2014 के बर्दमान धमाका मामले में चार बांग्लादेशियों समेत 19 लोगों को दोषी ठहराया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों ने अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार किया।

पश्चिम बंगाल के बर्दमान जिले के व्यस्त खागड़ागढ़ इलाके में 2 अक्तूबर को 2014 को आइडी धमाके में दो लोगों की मौत हो गई थी। दोनों लोग उस समय आइडी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस घर में धमाका हुआ उसे बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन ने बुर्का सिलने की फैक्टरी के रूप में किराए पर ले रखा था।

एनआइए ने एक बयान में कहा कि एनआइए जांच में जेबीएम (जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश) की भारत में अपने सदस्यों को कट्टरपंथी बनाने, भर्तियां करने और हथियार तथा गोला-बारूद का इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही उसपर आतंकी गतिविधियों से भारत तथा बांग्लादेश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का आरोप है। बयान के अनुसार जांच के दौरान बड़ी मात्रा में आइडी, विस्फोटक, हथगोले और प्रशिक्षण वीडियो बरामद हुए।

प्लास्टिक से डीजल बनाने वाला देश का पहला संयत्र स्थापित

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 27 अगस्त।

भारत में अब प्लास्टिक से डीजल सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाएंगे। इसके लिए देहरादून में एक सयंत्र की स्थापना भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में की गई है। इससे प्लास्टिक कचरे से मुक्ति मिलेगी। वहीं डीजल की कमी की समस्या से भी निजात मिलेगी।

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में इस संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत भी मौजूद रहे। हर्षवर्धन ने विधि को संस्थान के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे देश के विकास को नई दिशा मिलेगी। हर्षवर्धन ने कहा कि आने वाले छह माह के भीतर 10 टन क्षमता का एक संयंत्र दिल्ली में भी स्थापित किया जाएगा।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
ई-निविदा तिथि विस्तार सूचना इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना सं0 ETC/MU/T-105/2019-20 एवं ETC/MU/T-114/2019-20 मे प्रर्याप्त निविदा उद्धरण (कोटेशन) प्राप्त न होने के कारण उक्त निविदा सूचना प्राप्ति की तिथि दिनांक 04.09.2019 तक विस्तारित की जाती है। कृपया www.etender.up.nic.in पर विस्तार से सभी सूचना, विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करे। शेष अन्य नियम व शर्ते यथावत रहेंगी। **"राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" पत्रांक/ No. 1765 / वि0पा0म0(ETC)/मु0नगर(MZN)/ दिनांक/ DATED 28.08.2019**

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
ओ.बी.सी
Resolution Recovery & Law कलस्टर (दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्विट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067, फोन : 26108530, 26108531, ई-मेल: rrl_7670@obc.co.in

सार्वजनिक सूचना

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा निम्नांकित कर्जदारों / गारंटरों को बैंक / रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देशानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जानबूझकर डिफॉल्टकर्ता घोषित किया गया है। जानबूझकर डिफॉल्टकर्ताओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कर्जदार / निदेशक / पार्टनर / गारंटरों के नाम और पता	बैंक की शाखा और खाते का नाम	एन पी ए की तिथि और डिफॉल्ट राशि	फोटोग्राफ
1	श्री रोहित गुप्ता, सी-10 अर्जुन पार्क, नागली सकरवती नजफगढ़, दिल्ली- 110043	मैसर्स वैटिस लाइफ साइंसेज प्रा. लि. सफदरगंज एन्क्लेव शाखा	01-09-2017 ₹ 1.50 करोड़	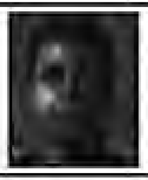
2	श्री विद्यानंद ठाकुर, डी 953, डीडीए फ्लैट, बिंदापुर पश्चिमी दिल्ली-110059			
3	श्री सतबीर सिंह, बी 522, बी ब्लॉक, जेजे कॉलोनी हस्ताल, दिल्ली			
4	श्री जितेन्द्र जैन, बी-207 गली नं. 3 सादतपुर करावल नगर दिल्ली-110094	मैसर्स अमन स्वीट्स बसंत लोक, नई दिल्ली	30.09.2016 ₹ 4.45 करोड़	
	श्रीमती अंजना जैन, बी-207 गली नं. 3 सादतपुर, करावल नगर दिल्ली-110094	मैसर्स वैरायटी शॉपिंग सेंटर बसंत लोक, नई दिल्ली	30.09.2016 ₹ 2.00 करोड़	
		मैसर्स हीर धेनु फूड्स प्रा. लि. बसंत लोक, नई दिल्ली	31.08.2016 ₹ 1.43 करोड़	
		अमि स्वीट्स बसंत लोक, नई दिल्ली	30.09.2016 ₹ 1.00 करोड़	
5	श्री अजय शर्मा, 1/1449/3 बी मेन 100 फीट रोड दुर्गापुरी, दिल्ली-110093	मैसर्स अजय इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड फर्नीचर मार्ट सफदरगंज एन्क्लेव शाखा	30-03-2017 ₹ 4.92 करोड़	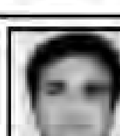
	श्री अरुण शर्मा, 1/5304-सी गली नं 12 बलबीर नगर एक्सटेंशन दिल्ली 110032			
6	श्री अजय शर्मा, 1/9805, गली नं. 1 पश्चिम गोरख पार्क, शाहदरा दिल्ली-110032	ज्ञानन इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड मोबाईल प्वॉइंट सफदरगंज एन्क्लेव शाखा	30-03-2017 ₹ 4.75 करोड़	
	श्रीमती किरण शर्मा, 1/9805, गली नं. 1 पश्चिम गोरख पार्क, शाहदरा दिल्ली-110032			

जनसाधारण से निवेदन है कि वे उपरोक्त व्यक्तियों से और उनको आस्तियों के साथ कोई सौदा न करें और बैंक को इन व्यक्तियों की परिसंपत्तियों का विवरण / उनके द्वारा किए गए संक्रमण आदि की जानकारी बैंक को दें, जिससे कि बैंक सार्वजनिक धन को पुर्नप्राप्त कर सके।

दिनांक 28.08.2019, स्थान : नई दिल्ली — कलस्टर प्रमुख, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय: भवन संख्या 80, प्रथम तल, बीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ -250005। फोन नं0 0121-2761701, 2761701, 2762124

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत मेगा ई-नीलामी दिनांक 16.09.2019 अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभुतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। जबकि इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **SARFAESI** अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किया गया तथा उसके बाद निम्नांकित तथा उसके बाद निम्नांकित प्रभारित/बन्धक सम्पत्ति को उक्त अधिनियम के तहत सम्पत्ति का कब्जा ले लिया गया था और यहां नीचे दर्शायी गयी सम्पत्ति की बिक्री हेतु **"जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर"** उक्त अधिनियम की धारा 13(4) में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्ति की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **(https://iob.auctiontiger.net)** द्वारा करायी जायेगी।

क्रम सं.	शाखा का नाम	ऋणी का नाम	बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	(E.M.D.) राशि	संपर्क के लिए शाखा का विवरण
1.	अलीगढ़	मैसर्सः उस्मा एंटरप्राइजेज	रू0 1,43,66,701 28.06.2015 को	संपत्ति नंबर 1:- संपत्ति स्थित चौहरपुर, रसूलपुर रवाद, परगना तहसील कोइल, अलीगढ़ (संपत्ति स्वामिनी श्रीमती सायरा बेगम पत्नी शब्बीर खान) संपत्ति नंबर 2:- संपत्ति स्थित एफ सं. 215, रसूलपुर रवाद, तहसील कोइल, अलीगढ़ संपत्ति स्वामिनी श्रीमती सायरा बेगम पत्नी शब्बीर खान। (बैंक के भौतिक कब्जे के तहत संपत्तियां)	संपत्ति नंबर 1 रू0 8.00 लाख; संपत्ति नंबर 2 रू0 30.00 लाख	संपत्ति नंबर 1 रू0 80,000; संपत्ति नंबर 2 रू0 3,00,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक, अलीगढ़ शाखा 13/6, जी.टी. रोड, नोवेल्टी टॉकीज के पास, पी. बी. 28, अलीगढ़ -202001 श्री मनीष सोनी मो. नं. 8287040850
2.	बरेली	रिजवान खान	रू0 21,93,821 11.10.2017 को	संपत्ति 1:- आवासीय संपत्ति भूमि और भवन के सभी भाग और पार्सल क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर स्थित मोहल्ला स्वाले नगर नवादिया, फूल बाग जिला बरेली, संपत्ति 2 :- आवासीय संपत्ति भूमि और भवन के सभी भाग और पार्सल क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर स्थित मोहल्ला स्वाले नगर नवादिया, फूल बाग जिला बरेली, (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्तियां)	संयुक्त संपत्ति मूल्य रू0 30.50 लाख	रू0 3,05,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - बरेली मेन ब्रांच 47, सिविल लाइन्स, पी.बी. सं. 113 बरेली -243001 श्री राजीव रंजन भारती मो. नं. 8464865638
3.	बरेली	इमरान खान	रू0 13,22,579 11.10.2017 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल क्षेत्रफल 240.00 वर्ग गज खसरा नंबर 115 का भाग स्वाले नगर नवादिया, जिला बरेली. (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 14.25 लाख	रू0 1,43,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - बरेली मेन ब्रांच 47, सिविल लाइन्स, पी.बी. सं. 113 बरेली -243001 श्री राजीव रंजन भारती मो. नं. 8464865638
4.	बरेली	मैसर्स बादल रेस्टोरेन्ट	रू0 26,70,904 18.01.2016 को	संपत्ति का साम्यिक बंधक क्षेत्रफल 650.72 वर्ग गज खसरा नंबर 05 स्थित ग्राम नकासुआ परगना और तहसील फरीदपुर जिला बरेली श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री सुखलाल के नाम पर दर्ज। (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 37.10 लाख	रू0 3,71,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - बरेली मेन ब्रांच 47, सिविल लाइन्स, पी.बी. सं. 113 बरेली -243001 श्री राजीव रंजन भारती मो. नं. 8464865638
5.	डी एन कालेज	मैसर्स रीत इंडस्ट्रीज	रू0 21,72,864 02.08.2014 को	आवासीय मकान के सभी भाग और पार्सल स्थित एमपीएल सं. 594, खसरा नंबर 2331 का भाग, मोहल्ला शिव शक्ति नगर, आरएमडी पब्लिक स्कूल के पास, दिल्ली रोड, मेरठ (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 21.00 लाख	रू0 2,10,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - डी एन कालेज शाखा देव नागरी कालेज कैंपस, रेलवे रोड, घंटा घर, मेरठ -250002
6.	डी एन कालेज	सरफराज टेक्सटाइल	रू0 61,07,892 04.09.2014 को	आवासीय संपत्ति स्थित मकान नंबर 74/1 (पुराना एमपीएल नंबर 46), खसरा नंबर 4004 का भाग, क्षेत्रफल 109.72 वर्ग मीटर, करीम नगर, हापुड़ रोड मेरठ। (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 32.75 लाख	रू0 3,28,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - डी एन कालेज शाखा देव नागरी कालेज कैंपस, रेलवे रोड, घंटा घर, मेरठ -250002
7.	डी एन कालेज	मैसर्स वर्धमान ग्लास ट्रेडर्स	रू0 41,33,502 04.09.2014 को	वाणिज्यिक दुकान नंबर 2 और 3 और हॉल, स्थित प्लॉट नंबर 17/5 पर, सिद्धि विनायक अस्पताल के पास, जागृति विहार, मेरठ, क्षेत्रफल 65.09 वर्ग मीटर (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 35.00 लाख	रू0 3,50,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - डी एन कालेज शाखा देव नागरी कालेज कैंपस, रेलवे रोड, घंटा घर, मेरठ -250002
8.	मेरठ मेन	मैसर्स अमाजोन जी वी	रू0 52,32,947 31.07.2019 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित खसरा नंबर 2088, एमएलपी नंबर 8/10 ए, साई पुरम हापुड़ रेलवे क्रासिंग के पास, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली रोड, मेरठ भूमि क्षेत्रफल 209.00 वर्ग मीटर (250.00 वर्ग गज) (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 42.25 लाख	रू0 4,22,500 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - मेरठ मेन ब्रांच 201-212, गंज बाजार पुलिस स्ट्रीट, सदर केन्टोमेंट मेरठ केन्टोमेंट 250002 श्री सुहैल अजीम मो. सं. 9584717714
9.	मेरठ मेन	मैसर्स श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी	रू0 3,44,10,901 31.07.2019 को	प्लॉट का खसरा नंबर -298, 300, 301 और 302 क्षेत्रफल 2290 वर्ग मीटर (डीड के अनुसार, 2054 वर्ग मीटर के हिसाब से 143 और 2044.49 वर्ग मीटर वास्तविक के अनुसार) गांव: सिवाया, जमुल्लापुर, रुड़की, मेरठ (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 164.70 लाख	रू0 16,47,000 (बोली गुणांक रु. 100000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - मेरठ मेन ब्रांच 201-212, गंज बाजार पुलिस स्ट्रीट, सदर केन्टोमेंट मेरठ केन्टोमेंट 250002 श्री सुहैल अजीम मो. सं. 9584717714
10.	मेरठ मेन	मैसर्स क्यूरवेल लेबोरेटरीज	रू0 4,41,44,498 31.07.2019 को	प्लॉट का खसरा नंबर -298, 300, 301 और 302 क्षेत्रफल 2290 वर्ग मीटर गांव: सिवाया, जमुल्लापुर, रुड़की, मेरठ (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 184.90 लाख	रू0 18,49,000 (बोली गुणांक रु. 100000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - मेरठ मेन ब्रांच 201-212, गंज बाजार पुलिस स्ट्रीट, सदर केन्टोमेंट मेरठ केन्टोमेंट 250002 श्री सुहैल अजीम मो. सं. 9584717714
11.	मेरठ मेन	विजय चौधरी, अमृता	रू0 72,69,566 31.07.2019 को	आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित एमपीएल सं. 299 प्लॉट नंबर 30 का भाग मोहल्ला साउथ सोती गंज गुरुद्वारा के पास, थापर नगर, मेरठ क्षेत्रफल 206.52 वर्ग मीटर (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 126.30 लाख	रू0 12,63,000 (बोली गुणांक रु. 100000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - मेरठ मेन ब्रांच 201-212, गंज बाजार पुलिस स्ट्रीट, सदर केन्टोमेंट मेरठ केन्टोमेंट 250002 श्री सुहैल अजीम मो. सं. 9584717714
12.	मेरठ मेन	मैसर्स महेन्द्रा ग्लास इंडस्ट्रीज	रू0 1,56,25,676 31.07.2019 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित प्लॉट नंबर 32, एलआईई इंडस्ट्रियल एस्टेट, ग्राम मुंडियाकी, परगना मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार-जिला खसरा नंबर 368 रजिस्टर्ड उप जिला रुड़की और जिला हरिद्वार भूमि का क्षेत्रफल 786 वर्ग मीटर (बैंक के भौतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 51.60 लाख	रू0 5,16,000 (बोली गुणांक रु. 50000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - मेरठ मेन ब्रांच 201-212, गंज बाजार पुलिस स्ट्रीट, सदर केन्टोमेंट मेरठ केन्टोमेंट 250002 श्री सुहैल अजीम मो. सं. 9584717714
13.	पीलीभीत	मैसर्स प्रशांत सीमेंट एजेंसी	रू0 21,58,530 17.03.2018 को	44-ए गोदावरी एस्टेट कॉलोनी, देशनगर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, भारत, पिन: 262001, क्षेत्रफल 150.04 वर्ग मीटर (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 40.50 लाख	रू0 4,05,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पीलीभीत शाखा 94, अशोक कॉलोनी, सिविल लाइंस, दक्षिण पीलीभीत, जिला पीलीभीत, पिन 262 001
14.	पुलिस लाइंस	महेन्द्री देवी और मोहित कुमार	रू0 6,87,839 31.01.2018 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय संपत्ति उत्तरी-प्लॉट नंबर -33 का भाग, मकान नंबर -134/2 जय भीम नगर कॉलोनी, मेडिकल कॉलेज के पास, गढ़ रोड, मेरठ क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर। (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 17.75 लाख	रू0 1,78,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पुलिस लाइन ब्रांच पुलिस लाइन, सिविल लाइन्स, कचहेरी, मेरठ 250003 श्री गौरव मित्तल मो. नं. 769397939
15.	पुलिस लाइंस	मैसर्स मन्शा टेक्सटाइल्स	रू0 68,96,297 05.07.2016 को	संपत्ति स्थित मकान नंबर-530/09, स्कीम -6 जागृति विहार, गढ़ रोड, मेरठ में (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 76.76 लाख	रू0 7,60,000 (बोली गुणांक रु. 50000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पुलिस लाइन ब्रांच पुलिस लाइन, सिविल लाइन्स, कचहेरी, मेरठ 250003 श्री गौरव मित्तल मो. नं. 769397939
16.	पुलिस लाइंस	शिवम ट्रेडर्स	रू0 18,66,562 31.12.2017 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान संबंधित मकान नंबर- आई-511 और आई-512 गंगा नगर मेरठ, क्षेत्रफल 61.15 वर्गमीटर श्रीमती गीता शर्मा पत्नी संजय शर्मा के नाम पर। (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 25.00 लाख	रू0 2,50,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पुलिस लाइन ब्रांच पुलिस लाइन, सिविल लाइन्स, कचहेरी, मेरठ 250003 श्री गौरव मित्तल मो. नं. 769397939
17.	पुलिस लाइंस	मैसर्स मोहन ओवरसीज	रू0 17,59,892 17.02.2018 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल संपत्ति स्थित खाता संख्या -96 (नया सं.-00073) खसरा नं.-215 (नया सं.-330) ग्राम-जलालपुर उर्फ मखदूलपुर, हस्तिनापुर तहसील-मवाना जिला- मेरठ क्षेत्रफल -2910.00 वर्गमी. (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 12.00 लाख	रू0 1,20,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पुलिस लाइन ब्रांच पुलिस लाइन, सिविल लाइन्स, कचहेरी, मेरठ 250003 श्री गौरव मित्तल मो. नं. 769397939
18.	पुलिस लाइंस	मैसर्स एस.जी. आर. इंडस्ट्रीज	रू0 66,93,962 15.02.2018 को	भूमि और भवन स्थित बीएलडीजी नं -216 (नया) 199 (पुराना) दक्षिण इस्लामाबाद, मेरठ (यूपी), क्षेत्रफल 100 वर्ग गज श्री शाहिद (मालिक / बंधककर्ता) के नाम (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 24.50 लाख	रू0 2,45,000 (बोली गुणांक रु. 25000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - पुलिस लाइन ब्रांच पुलिस लाइन, सिविल लाइन्स, कचहेरी, मेरठ 250003 श्री गौरव मित्तल मो. नं. 769397939
19.	शास्त्री नगर शाखा	मैसर्स श्री श्याम एंटरप्राइजेज	रू0 1,35,97,502 26.08.2019 को	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित खाता क्रमांक -319, खसरा नंबर -33 का भाग, ग्राम यकूटपुर मवी, निवाडी रोड, नियर डी.जे. कॉलेज परगना, जलालाबाद, मोदीनगर, जिला- गाजियाबाद (यूपी) (352.82 वर्ग गज) (बैंक के सांकेतिक कब्जे के तहत संपत्ति)	रू0 79.55 लाख	रू0 7,96,000 (बोली गुणांक रु. 50000)	इंडियन ओवरसीज बैंक - शास्त्री नगर शाखा बी-7, शास्त्री नगर, मेडिकल पोस्ट कार्यालय, मेरठ 250004 श्रीमती मनप्रीत कौर मो. नं. 9654560182

नियम व शर्ते :- ई-नीलामी की तिथि: 16.09.2019 समय प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 4 बजे
1. ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है" बिना किसी दायित्व के जैसा है जो है के आधार पर" की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। स्थानीय स्वशासन की बकाया राशि (सम्पत्ति टैक्स, पानी, सीवेज, विद्युत बिल आदि):- बोली लगाने वाले द्वारा वहन किया जायेगा हालांकि प्रत्याशित बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों तथा इस सम्पत्ति के संबंध में दावे/अधिकार/बकाया के संबंध व स्वयं स्वतंत्र जांच करवा लें। बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को सन्तुष्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी बोलीदारों की होगी। सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 12.09.2019 व 13.09.2019 को प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे के बीच (बैंक से पूर्व नियुक्ति के साथ) कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ई.एम.डी. जमा की है, लॉगिन आई.डी., पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बिड जमा करने तथा ई-ऑक्शन पर पर ऑनलाईन बिडिंग हेतु इच्छुक बोलीदाता, सर्विस प्रदाता **M/s E-Procurement Technologies (Auction Tiger)** सम्पर्क व्यक्ति राम शर्मा, **E- mailld:up@auctiontigher.net/support@auctiontiger.net** फोन नं0 **0800023297, Support Desk No: 07961200594/98/68/87/38.**

नीलामी की विस्तृत विवरण नियम व शर्तों के लिये हमारी वेबसाईट **www.iob.auctiontigher.net** पर देखें

इसे **U/r 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules,** 2002 के अन्तर्गत तिथि को की जा रही उक्त ई-ऑक्शन बिक्री के संबंध में निम्नलिखित कथित ऋण के अन्तर्गत ऋणियों/गारंटरों को 15 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांकः- 28.08.2019 स्थान - मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

दूसरे दौर में नडाल का प्रवेश

न्यूयार्क, 28 अगस्त (एएफपी)।

जापान की नाओमी ओसाका ने रूस की अन्ना ब्लिंकोवा को तीन सेट चले मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया।

रफेल नडाल ने जॉन मिलमैन के खिलाफ सीधे सेटों में जीत के साथ चौथे अमेरिकी ओपन खिताब के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। हालांकि पुरुष एकल के पहले दौर में कई शीर्ष वरीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा। दुनिया के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल चार खिलाड़ियों डोमनिक थिएम, स्टीफानोस स्टिपास, केरेन खचानोव और राबर्टो बतिस्ता आगुत को मंगलवार को हार का सामना करना पड़ा जिससे नडाल का फाइनल तक का सफर कुछ आसान होता दिख रहा है।

स्पेन के दूसरे वरीय और 2010, 2013 व 2017 के चैंपियन नडाल ने लगभग दो घंटे में आस्ट्रेलिया के दुनिया के 60वें नंबर के खिलाड़ी मिलमैन को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। दो बार के फ्रेंच ओपन उप विजेता थिएम को हालांकि इटली के थॉमस फाबियानों के हाथों 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा। थिएम इससे पूर्व विंबलडन के भी पहले दौर में बाहर हो गए थे।

स्टिपास को चार घंटे चले कड़े मुकाबले में आंद्रे रूबलेव के खिलाफ 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (9/7), 7-5 से हार झेलनी पड़ी। वह मैच के दौरान पैर की जकड़न से परेशान रहे और उन्होंने अंपायर पर पक्षपात का आरोप भी लगाया।

लगातार दूसरे ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के पहले दौर में हार का सामना करने वाले स्टिपास को अंतिम सेट में समय से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए एक अंक की पेनल्टी का सामना करना पड़ा था।

स्टिपास ने इसके बाद फ्रांस के चेयर अंपायर डेमियन डुमुसोइस को मैच के दौरान कहा कि 'तुम सब अजीब हो'। रूस के नौवें वरीय खचानोव को कनाडा के वासेक पासपिसिल के खिलाफ 6-4, 5-7, 5-7, 6-4, 3-6 से शिकस्त झेलनी पड़ी जबकि स्पेन के 10वें वरीय आगुत को कजाखस्तान के मिखाइल कुकुशकिन के खिलाफ पांच सेट में 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, 3-6 से हार का सामना करना पड़ा।

छठे वरीय एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने हालांकि पांच सेट में मालदोवा के राडू एल्बट को 6-1, 6-3, 3-6, 4-6, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। पूर्व चैंपियन मारिन सिलिच ने स्लोवाकिया के मार्टिन क्लिजान के खिलाफ सीधे सेटों में जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश किया।

महिला एकल में गत चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका ने दुनिया की 84वें नंबर की रूस की अन्ना ब्लिंकोवा को तीन सेट चले कड़े मुकाबले में 6-4, 6-7 (5/7), 6-2 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पिछले दो साल से अमेरिकी ओपन के पहले दौर में शिकस्त झेलने वाली विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप ने अमेरिका की निकोल गिब्स को पहले दौर में 6-3, 3-6, 6-2 से हराया।

विंबलडन में शानदार प्रदर्शन करने वाली 15 साल की कोको गॉफ ने अमेरिकी ओपन में पदार्पण करते हुए तीन सेट में अनास्तासिया पोतापोवा को शिकस्त दी।

दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ निगाहें गिल पर

तिरूवनंतपुरम, 28 अगस्त (भाषा)।

भारत 'ए' और दक्षिण अफ्रीका 'ए' के बीच गुरुवार से शुरू हो रही पांच अनौपचारिक एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला में निगाहें शुभमन गिल पर टिकी होंगी। हाल के समय में अच्छी फॉर्म में चल रहे गिल ने भारत 'ए' के साथ कैरेबियाई दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन सीनियर एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने से वह चूक गए। गिल अब दक्षिण अफ्रीका 'ए' के खिलाफ अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे।

इस साल न्यूजीलैंड में दो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पंजाब के दाएं हाथ के बल्लेबाज गिल कैरेबियाई दौरे की फॉर्म आगामी श्रृंखला में भी बरकरार रखते हुए चयनकर्ताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। गिल के अलावा पैर के अंगूठे की चोट से उबरने वाले ऑलराउंडर विजय शंकर पर भी चयनकर्ताओं की नजरें होंगी।

शंकर को इस चोट के कारण इंग्लैंड में आइसीसी क्रिकेट विश्व कप के बीच से स्वदेश लौटना पड़ा था और हाल में तमिलनाडु प्रीमियर लीग के साथ उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की। वेस्ट इंडीज दौरे पर भारत की सीमित ओवरों की सीनियर टीम में वापसी करने वाले मनीष पांडे पहले तीन मैचों में टीम की अगुआई करेंगे।

मेडिकोट के बिना भी ओलंपिक पहुंच सकता हूं : मिर्जा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 28 अगस्त।

अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित फवाद मिर्जा की तोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को उनके पसंदीदा घोड़े के चोटिल होने से झटका लगा है। हालांकि उनका मानना है कि वे अन्य दो घोड़ों के साथ इस लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे।

मिर्जा पिछले साल जकार्ता में एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले 1982 के बाद पहले भारतीय बने थे। साथ ही टीम प्रतियोगिता में भी उन्होंने रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

जर्मनी में तोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटे मिर्जा ने कहा कि वो अभी क्वालीफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि उनके पसंदीदी घोड़े सेगनूर मेडिकोट की सेवाएं उन्हें पूरे साल नहीं मिलेंगी। मिर्जा ने बताया कि अभी वह चोटिल है और उसे ठीक होने में लगभग एक साल का समय लगेगा। अभी उनके पास दो और घोड़े हैं जिसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मेडिकोट ने मुझे एशियाई खेलों में दो पदक दिलाए लेकिन वह अभी चोटिल है। मैं अपने अन्य दो घोड़ों के साथ अभ्यास कर रहा हूं। नए घोड़े के साथ

तालमेल बैठाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन अभी मेरे पास काफी समय है।

फवाद को खेल दिवस के मौके पर अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान का उनके जीवन में क्या महत्व है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह काफी बड़ा क्षण है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इसका कारण है कि घुड़सवारी में भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। जब भी इस खेल में कोई पुरस्कार मिला तो वह कोई फौजी ही रहा। ऐसे में पहली बार किसी सिविलियन को इससे सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार मुझे और इस खेले को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

फर्राटा धाविका विलियम्स डोप टेस्ट में नाकाम

किंगस्टन, 28 अगस्त (एएफपी)।

दोहरी विश्व अंडर-20 फर्राटा चैंपियन ब्रायना विलियम्स को डोप टैस्ट में नाकाम रहने के बाद अगले महीने होने वाली विश्व चैंपियनशिप से बाहर रहना पड़ सकता है। जमैका के दैनिक 'द ग्लीनर' ने कहा कि 17 बरस की यह धाविका 20 से 23 जून तक हुई राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप में डोप टेस्ट में विफल रही थी जिसमें वह 100 मीटर में तीसरे स्थान पर रही। अखबार ने कहा कि उनके बी नमूने की जांच में भी प्रतिबंधित डायूरेटिक हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड के अंश पाए गए।

हमने कोचों में निवेश नहीं किया : गोपीचंद

हैदराबाद, 28 अगस्त (भाषा)।

भारत भले ही पीवी सिंधू के रूप में अपने पहले विश्व चैंपियन की सफलता का जश्न मना रहा हो लेकिन राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद एक अलग ही चिंतन में हैं। उनका मानना है कि देश ने कोचों में पर्याप्त निवेश नहीं किया है। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू रविवार को बैडमिंटन में भारत की पहली विश्व चैंपियन बनी जब उन्होंने फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को सीधे सेटों में हराया।

गोपीचंद का हालांकि मानना है कि देश को यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि तेजी से सामने आ रही प्रतिभा को संभालने के लिए पर्याप्त कोच नहीं हैं। गोपीचंद ने मंगलवार रात सिंधू की मौजूदगी में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हमने कोचों में पर्याप्त निवेश नहीं किया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता गोपीचंद को सिंधू ही नहीं बल्कि साइना नेहवाल और के श्रीकांत सहित अन्य खिलाड़ियों को निखारने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने कहा कि हम स्तरीय कोच तैयार नहीं कर पा रहे हैं और यह ट्रेनिंग कार्यक्रम नहीं हैं। यह हमारे आसपास के माहौल से जुड़ा मामला है। इसलिए हमें इस खाई को पाटने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। गोपीचंद ने कहा कि टीम के साथ दक्षिण कोरिया के किम जी ह्युन जैसे कुछ विदेशी कोच हैं लेकिन सामने आ रही प्रतिभा को संभलाने के लिए अधिक कोचों की जरूरत है।

(THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND NOT AN OFFER DOCUMENT)

ISHAN

ISHAN DYES AND CHEMICALS LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private company limited by shares under the Companies Act, 1956 with the name *"Ishan Dyes and Chemicals Private Limited"* in the state of Gujarat pursuant to Certificate of Incorporation dated November 30, 1993 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to *"Ishan Dyes and Chemicals Limited"* pursuant to a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name dated September 21, 1994 issued by the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli. For details of change in name and Registered Office of our Company, please see the chapter titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 59 of the Letter of Offer.

Registered Office: 18, G.I.D.C. Estate Phase - 1, Vatva, Ahmedabad – 382 445, Gujarat, India.
Telephone: +91-79-25832144/25893607 | **Facsimile:** +91-79-25833643 | **Email:** ishandyes@yahoo.com | **Website:** www.ishandyes.com
Contact Person: Ms. Ankita V. Shah, Company Secretary and Compliance Officer | **Email:** ishandyes@yahoo.com
Corporate Identity Number: L24110GJ1993PLC020737

PROMOTERS OF OUR COMPANY

MR. PIYUSHBHAI N. PATEL, MR. SHRINAL P. PATEL, MS. ANILABEN P. PATEL, MS. MIRALI H. PATEL AND MR. MARUTBHAI D. PATEL

ISSUE OF UP TO 51,81,762 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17 PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT NOT EXCEEDING ₹ 1,399.08 LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 46 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 100 FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, MAY 10, 2019 ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 2.7 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 127 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened on Friday, July 12, 2019 and closed on Friday, August 09, 2019. The total number of Composite Application Forms (**"CAFs"/"Applications"**) (net of cheque return) received were 84 (including 27 ASBA Applications) for 47,03,782 Equity Shares which includes Applications for subscriptions to Additional Equity Shares. The Issue was subscribed to the extent of 90.78% (net of Cheque return) of the Issue Size in terms of the number of Equity Shares applied. The Basis of Allotment was finalized on August 21, 2019 in consultation with BSE Limited (**"BSE"**), the Designated Stock Exchange. The Board of Directors of the Company approved the allotment of 47,03,447 Equity Shares on August 23, 2019. In the Issue, 3,128 Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications (including ASBA Applications) after technical rejections have been considered for Allotment. The breakup of valid applications is given below:-

1. Basis of Allotment:

Applicants	Number of valid applications received (including ASBA) and allotted	Number of Equity Shares applied for and allotted against Rights Entitlement (A)	Number of Additional Equity Shares allotted (B)	Total Rights Equity Shares allotted (A+B)
Eligible Shareholders	73	21,31,523	23,30,968*	44,62,491
Renouncees	6	18,176	2,22,780	2,40,956
TOTAL	**79**	**21,49,699**	**25,53,748**	**47,03,447**

Includes 19 Additional Rights Equity Shares applied by the shareholders whose fractional entitlement has been ignored at the time of computation of Rights entitlement.

2. Information regarding All Applications Received (including ASBA Application received)

Category	Applications Received (including ASBA)		Equity Shares Applied for			Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Eligible Shareholders	78	92.86%	44,62,826	12,04,96,302.00	94.88%	44,62,491	12,04,87,257.00	94.88%
Renouncees	6	7.14%	2,40,956	65,05,812.00	5.12%	2,40,956	65,05,812.00	5.12%
TOTAL	**84**	**100.00%**	**47,03,782**	**12,70,02,114.00**	**100.00%**	**47,03,447**	**12,69,93,069.00**	**100.00%**

The Company has received approval for listing of 47,03,447 Equity Shares issued on Rights Basis from the BSE Limited (**"BSE"**) on August 26, 2019. The refund instructions were initiated on August 23, 2019 and the dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the allottees, as applicable, has been completed on August 27, 2019.

The credit of Equity Shares to the respective demat accounts of the shareholders in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on August 27, 2019. The trading in Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or before August 29, 2019.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN THE DEMATERIALISATION FORM.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act, 1933, as amended (**"Securities Act"**), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof (**"United States" or "U.S."**) or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S under the Securities Act (**"Regulation S"**), except in a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act. The Rights Entitlements referred to in the Letter of Offer are being offered in India, but not in the United States. The offering to which the DLOF, the Letter of Offer and Abridged Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any securities or rights for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities or rights.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: SEBI only gives its observations on the Draft Letter of Offer and this does not constitute approval of either the Issue or the Draft Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of SEBI"* on page 119 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of BSE"* Limited on page 122-123 of the Letter of Offer.

All capitalised terms not defined herein shall have the same meanings ascribed to such terms in the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY
VIVRO **Vivro Financial Services Private Limited** Vivro House, 11, Shashi Colony, Opposite Suvidha Shopping Center, Paldi, Ahmedabad - 380007, Gujarat, India. **Tel.:** +91-79-4040 4242 **Fax :** +91-79-2665 0570 **Email:** project.blue@vivro.net **Website:** www.vivro.net **Investor Grievance Email:** investors@vivro.net **Contact Person:** Mr. Anish Akruwala / Mr. Bhargav Parekh **SEBI Registration No.** INM000010122 **CIN:** U67120GJ1996PTC029182	LINKIntime **Link Intime India Private Limited** C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai– 400083, Maharashtra, India **Tel.:** + 91-22-4918 6200 **Fax:** +91-22-4918 6195 **Email:** ishandyes.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Investor Grievance Email:** ishandyes.rights@linkintime.co.in **Contact Person:** Mr. Sumit Deshpande **SEBI Registration Number:** INR000004058 **CIN:** U67190MH1999PTC118368	**Ms. Ankita V. Shah** Ishan Dyes and Chemicals Limited 18, G.I.D.C Estate Phase – 1, Vatva, Ahmedabad – 382445, Gujarat, India. **Facsimile:** +91-79-25833643; **Telephone:** +91-79-25832144/25893607; **Email:** ishandyes@yahoo.com **Website:** www.ishandyes.com Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any Post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, Amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF was submitted by the ASBA Investors.

For Ishan Dyes and Chemicals Limited
Sd/-
Ms. Ankita V. Shah
Company Secretary and Compliance Officer

Place : Ahmedabad
Date : August 28, 2019

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF ISHAN DYES AND CHEMICALS LIMITED.

Disclaimer: The Letter of Offer has been filed with the Securities and Exchange Board of India and BSE Limited. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of designated stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the website of the Lead Manager at www.vivro.net. Investors should note that investment in securities involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer, including the section *"Risk Factors"* beginning on page 17 of the Letter of Offer.

Raka

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 284, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।